

Website Link: https://heavyindustries.gov.in/

सी.जी.-डी.एल.-अ.-25012022-232914 CG-DL-E-25012022-232914

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 25, 2022/माघ 5, 1943 No. 26] NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 25, 2022/ MAGHA 5, 1943

भारी उद्योग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 25 जनवरी, 2022

सं. 16/1/2017 –एचई एंड एमटी.—साझा प्रौद्योगिकी विकास और सेवा अवसंरचना में सहायता के लिए "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संवर्धन स्कीम, चरण-॥" संबंधी दिशानिर्देश

1. उद्देश्य

"पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संवर्धन स्कीम" के चरण-II का उद्देश्य प्रायोगिक स्कीम के चरण-I द्वारा सृजित प्रभाव का विस्तार और परिवर्धन करना है ताकि एक ऐसे सुदृढ और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के विनिर्माण के माध्यम से अधिक बल प्रदान किया जाए जो विनिर्माण क्षेत्र के लिए कम से 25 फीसदी का योगदान कर सके।

2. प्रौद्योगिकी विकास और सेवा अवसंरचना के लिए सहायता हेतु भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संवर्धन स्कीम, चरण-ll का कार्यक्षेत्र

पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संवर्धन स्कीम, चरण-॥ का उद्देश्य निम्नानुसार है:

- (i) एक ऐसे **सुदृढ और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र** का सृजन करना जो विनिर्माण क्षेत्र में कम से कम 25% का योगदान दे और घरेलू मांग को पूरा करने के लिए पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की क्षमता को बढ़ाए तथा भारत को पूंजीगत वस्तुओं का शुद्ध निर्यातक बना सके।
- (ii) प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टल के उपयोग के माध्यम से विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के लिए अनुसंधान और नवाचार के लिए एक आत्मनिर्भर पारितंत्र का सृजन करना।

520 GI/2022 (1)

- (iii) मौजूदा जनशक्ति के कौशल को बढ़ाना और विशेष रूप से रोबोटिक वेल्डिंग, प्रीसिजन मशीनिंग, धातु विज्ञान, मेट्रोलॉजी, मशीन के पुर्जों की कंप्यूटर सहायतायुक्त डिजाइनिंग, थर्मल विश्लेषण, ध्विन और कंपन इंजीनियरिंग, उच्च परिशुद्धता उपकरणों की डिजाइनिंग और उनका विनिर्माण आदि जैसे उत्कृष्ट कौशल क्षेत्र के लिए अत्यधिक कुशल जनशक्ति की उपलब्धता का विस्तार करना।
- (iv) अंतरराष्ट्रीय अनिवार्य मानकों अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए विकसित और विनिर्मित प्रक्रियाओं/उत्पादों की गुणवत्ता के परीक्षण के लिए अवसंरचना प्रदान करना। नियमित परीक्षण और प्रमाणन पूंजीगत वस्तुओं की गुणवत्ता में सुधार की सुविधा प्रदान करेगा और उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाएगा।
- (v) पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के एमएसएमई और ऐसे अन्य उद्योगों के लाभ के लिए डिजाइन और विनिर्माण हेतु साझा इंजीनियरिंग अवसंरचना का सृजन करना जिनकी विनिर्माण के लिए आवश्यक नवीनतम उच्च प्रौद्योगिकी मशीनों तक पहुंच न हो और जो औद्योगिक उत्पादन को बढ़ावा देने के अलावा अंतरराष्ट्रीय मानकों के गुणवत्तापूर्ण उत्पादों को विकसित करने के लिए आपूर्ति शृंखलाओं के विकास को भी प्रोत्साहित करें।
- (vi) दक्षता और उत्पादकता में सुधार के लिए पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में उद्योग 4.0 के लिए स्मार्ट विनिर्माण को बढ़ावा देना और प्रासंगिक, सुद़ढ़ और किफायती प्रौद्योगिकियों को अपनाने की सुविधा प्रदान करना।
- (vii) उद्योग प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) के सृजन के माध्यम से, औद्योगिक नवाचारों में अग्रणी, प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी में, नए उत्पादों के नवाचार और विकास में सिक्रय भागीदार के रूप में स्थानीय उद्योग को शामिल करके पूंजीगत वस्तुओं के लिए प्रौद्योगिकियों के प्रगतिशील स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना।

3. पूंजीगत वस्तु क्षेत्र संवर्धन स्कीम, चरण-॥ के तहत घटक

- क. प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टलों के माध्यम से प्रौद्योगिकियों की पहचान- देश के प्रौद्योगिकीय संसाधनों और संबंधित उद्योगों को एक नेटवर्क पर लाने के लिए और उद्योग के समक्ष आ रही प्रौद्योगिकीय समस्याओं की पहचान को आसान बनाने तथा सुव्यवस्थित रूप से इनके क्राउड सोर्स समाधान के लिए, जिससे स्टार्ट-अप और भारतीय नवाचारों की एंजेल फंडिंग सुसाध्य बन सके, स्कीम के चरण-। के सीईएफसी घटक के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों द्वारा छह वेब-आधारित मुक्त विनिर्माण प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म विकसित किए गए है, नामत:- भेल और एचएमटी, स्वायत्त निकायों नामतः सीएमटीआई और एआरएआई; शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान नामतः आईआईटी मद्रास। ये प्लेटफॉर्म उद्योग के समक्ष आ रही समस्याओं और चुनौतियों के प्रौद्योगिकीय समाधानों की पहचान करेंगे।
- ख. चार नए उन्नत उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना और मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का संवर्धन उन्नत उत्कृष्टता केंद्र उच्च जोखिम वाले भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकीय उत्पादों के विकास की जरूरतों को पूरा करेंगे, जैसे- उच्च तकनीक मशीन टूल एग्रीगेट, नियंत्रण, गाइड्स, मोटर्स, सीएनसी, हाई प्रीसिजन घटक, हाइड्रोलिक्स, उच्च प्रौद्योगिकी वाली वस्त्र मशीनों, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और अन्य रणनीतिक मूल प्रौद्योगिकियां जिनमें प्रौद्योगिकी के माध्यम से पहचान की जाती है और नवाचार प्लेटफार्म जिनकी पंजीगत वस्त क्षेत्र द्वारा स्वदेशी रूप से आवश्यकता होती है।
- ग. पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देना-कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के स्तर के लिए अर्हता पैकेजों का सृजन करना-कौशल परिषदों के सहयोग से कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के स्तर के लिए अर्हता पैकेज (क्यूपी) का सृजन किया जाएगा। इन अर्हता पैकेज का उपयोग पूंजीगत वस्तु स्कीम के चरण-। तथा अन्य चिह्नित संस्थानों के तहत समर्थ उद्योग एवं विकसित किए गए कौशल केन्द्रों में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए किया जाएगा।
- घ. चार साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों (सीईएफसी) की स्थापना और मौजूदा सीईएफसी का संवर्धन- सीईएफसी का उद्देश्य उद्योग के लिए प्रदर्शन, जागरूकता, प्रशिक्षण, परामर्श, हैंड-होल्डिंग और अनुसंधान एवं विकास सेवाएं प्रदान करना है। राष्ट्रीय उद्योग 4.0 प्लेटफॉर्म, टेस्ट बेड्स, डाटा बेस, संसाधन केंद्रों, विशेषज्ञों, मानकों, एम 2 एम प्रोटोकॉल, औद्योगिक आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा विश्लेषण, वर्चुअल और संवर्धित वास्तविकता जैसी आवश्यक सामान्य सेवाएं भी इन केंद्रों में प्रदान की जाएंगी। ये केंद्र प्रौद्योगिकी और नवाचार प्लेटफार्मों के माध्यम से विकसित नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए मूलभूत सहायता भी प्रदान करेंगे।
- ड. मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों का विस्तार परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों का विस्तार यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक, संरचनात्मक, धातुकर्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, आदि से संबंधित विभिन्न गुणों के संदर्भ में मशीनरी के परीक्षण के लिए सीजी क्षेत्र

की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से संबंधित है। प्रमाणन और विकास परीक्षण वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्राप्त करने तथा गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का समाधान करने के लिए मशीनों की आवश्यकता है। इन केंद्रों के माध्यम से इस आवश्यकता को पूरा किया जाएगा। ये केंद्र प्रौद्योगिकी और नवाचार प्लेटफार्मों के माध्यम से विकसित नई प्रौद्योगिकियों के लिए समान परीक्षण और प्रमाणन सुविधाएं भी प्रदान करेंगे।

- च. प्रौद्योगिकी विकास के लिए दस उद्योग प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) की स्थापना- उद्योग प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) का उद्देश्य लक्षित स्वदेशी प्रौद्योगिकियों का विकास और विस्तार करना है, जिससे उन चयनित उद्योग खंड की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके, जो अब तक आयात पर निर्भर हैं। चयनित शैक्षिक संस्थान/उद्योग निकाय ऐसी प्रौद्योगिकियों के विकास को बढ़ावा देने के लिए एक प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) के रूप में कार्य करेगा। प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) (पूंजीगत वस्तु और ऑटो क्षेत्र) के कार्यक्षेत्र की पहचान करेगा और घरेलू पूंजीगत वस्तु उद्योगों की वर्तमान ताकत के आधार पर कंपनियों का चयन करेगा और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य स्वदेशी प्रौद्योगिकियों/उत्पादों/प्रौद्योगिकीय पुनर्रचना के विकास को सुसाध्य बनाएगा और प्रोटोटाइप के विकास, परीक्षण और परीक्षण के माध्यम से उसके व्यावसायीकरण तक अवधारणा चरण से विकास को सुसाध्य बनाने के लिए उनके साथ सहयोग करेगा।
- 4. "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संवर्धन" स्कीम के तहत घटक विशिष्ट दिशानिर्देश

इस स्कीम के निम्नलिखित घटक हैं जिनके दिशा-निर्देश निम्नलिखित पैरा में दर्शाए गए हैं:

- **4.1. प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टलों के माध्यम से प्रौद्योगिकियों की पहचान** पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संवर्धन स्कीम, चरण-I के तहत भेल, एचएमटी, सीएमटीआई, एआरएआई, आईसीएटी और आईआईटी मद्रास द्वारा स्थापित।
- 4.1.1 उद्देश्य- चरण-I के तहत छह प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म सृजित किए गए हैं। इन छह प्लेटफार्मों का उद्देश्य एक ऐसा पारितंत्र प्रदान करना है जिसमें पूंजीगत वस्तु और ऑटो क्षेत्रों से संबंधित स्टार्टअप्स और नवाचार की एंजेल फंडिंग की सुविधा हो और स्वदेशी रूप से मूल विनिर्माण प्रौद्योगिकियों के अनुसंधान और विकास के लिए एक खुले और सहयोगी फ्रेमवर्क में क्राउड सोर्सिंग द्वारा सभी संबंधित हितधारकों के परस्पर विचार-विमर्श को प्रोत्साहित किया जा सके।

स्कीम के चरण-II के तहत, छह टीआईपी को प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी। स्कीम के चरण-II के तहत कोई नया टीआईपी सृजित नहीं किया जाएगा।

- 4.1.2 वित्तपोषण पद्धित- टीआईपी घटक के तहत वित्तपोषण पद्धित चरण-I के तहत छह टीआईपी के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों के अनुसार होगी।
- 4.1.3 क्रियातंत्र: स्कीम के चरण-II के अंतर्गत, चरण-I में विकसित छह टीआईपी को प्रोत्साहन और सहायता दी जाएगी। स्कीम के चरण-II के तहत कोई नया टीआईपी सृजित नहीं किया जाएगा।
- 4.2 उत्कृष्टता के चार नए उन्नत केंद्रों की स्थापना और मौजूदा उत्कृष्टता केंद्रों का संवर्धन
- 4.2.1 उद्देश्य- उत्कृष्टता केंद्र का उद्देश्य उच्च जोखिम वाली भविष्योन्मुखी प्रौद्योगिकीय परियोजनाओं के विकास की आवश्यकता को पूरा करना है, जैसे- उच्च प्रौद्योगिकी वाले मशीन टूल एग्रीगेट्स, नियंत्रत, गाइड्स, मोटर्स, सीएनसी, हाई प्रीसिजन घटकों, हाइड्रोलिक्स, उच्च प्रौद्योगिकी वाली वस्त्र मशीनें, इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे और अन्य रणनीतिक मूल प्रौद्योगिकियां। इनमें प्रौद्योगिकी और नवाचार प्लेटफार्मों के माध्यम से पहचान की गई प्रौद्योगिकियां भी शामिल हैं जिनकी स्वदेशी पूंजीगत वस्तु क्षेत्र को आवश्यकता है।

4.2.2 वित्तपोषण के लिए पात्र इकाइयां-

- (i) अनुसंधान एवं विकास/शिक्षा/वैज्ञानिक संस्थान,
- (ii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उद्यम,
- (iii) निजी उद्योग,
- (iv) मौजूदा उत्कृष्टता केंद्र (सीओई),
- (v) स्वायत्त निकाय,
- (vi) उद्योग संघ

- सभी आवेदकों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की सीजी स्कीम चरण-I के तहत स्थापित भारी उद्योग मंत्रालय के प्रौद्योगिकी नवाचार मंचों पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।
- 4.2.3 वित्तपोषण के लिए पात्र प्रौद्योगिकियां उच्च तकनीक वाली मशीनें जो वर्तमान में देश में विनिर्मित नहीं की जाती हैं। इनमें निम्नलिखित उप-क्षेत्र शामिल हैं लेकिन केवल निम्नलिखित तक सीमित नहीं हैं:
- (i) मशीन उपकरण,
- (ii) काटने के उपकरण
- (iii) वस्त्र मशीनें,
- (iv) धातुकर्म मशीनरी,
- (v) इस्पात संयंत्र उपकरण,
- (vi) खाद्य प्रसंस्करण मशीनरी,
- (vii) प्रिंटिंग मशीनरी,
- (viii) प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी,
- (ix) प्रक्रिया संयंत्र उपकरण,
- (x) अर्थमूविंग और खनन मशीनरी विद्युत उपकरण और उनके एग्रीगेटस,
- (xi) प्रेस उपकरण और डाई,
- (xii) नियंत्रक, गाइड, मोटर्स, सीएनसी सिस्टम, उच्च परिशुद्धता घटक, हाइड्रोलिक्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स,
- (xiii) ऑटो घटक और अन्य रणनीतिक प्रौद्योगिकियां जो उद्योग आदि द्वारा स्वदेशी रूप से आवश्यक हैं। *उपर्युक्त सूची सांकेतिक मात्र है।
- 4.2.4 वित्तपोषण पद्धित- चरण-। में विकिसत मौजूदा सीओई के प्रौद्योगिकी विकास और संवर्धन के लिए नए उत्कृष्टता केंद्रों के विकास हेतु उपकरण, मशीनरी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुविधाओं के सृजन की लागत का 80% तक भारत सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्रदान किया जाएगा। शेष राशि का योगदान अगले तीन वर्षों यानी 2022-23 से 2024-25 में आवेदक (आवेदकों) को करना होगा। भूमि और भवन की लागत की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा। वित्तपोषण इस स्कीम के तहत गठित शीर्ष समिति के अनुमोदन पर निर्भर करेगा। इस संबंध में शीर्ष समिति का निर्णय अंतिम होगा। मौजूदा सीओई के मामले में, केवल नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए वित्तपोषण किया जाएगा। प्रानी मशीनों के उन्नयन के लिए कोई वित्तपोषण नहीं किया जाएगा।
- 4.2.5 भुगतान समय-सारणीः परियोजनाओं के लिए अनुदान का वितरण परियोजना के लिए परियोजना कार्यान्वयन संगठन (पीआईओ) और भारी उद्योग मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन में निर्धारित महत्वपूर्ण पड़ावों के अनुसार होगा। परियोजना कार्यान्वयन संगठन को आवेदक अपने प्रस्ताव में दर्शाएंगे।
- 4.2.6 क्रियातंत्र: आवेदक निर्धारित प्रारूप (अनुबंध-V में प्रस्तुत) में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें लक्षित प्रौद्योगिकी, आयात का वर्तमान मूल्य, लक्षित प्रौद्योगिकी के संभावित खरीदारों, संभावित बौद्धिक सम्पदा अधिकार (आईपीआर), संभावित आदेशों से संबंधित विवरण शामिल होंगे। स्कीम के तहत गठित जांच समिति भारी उद्योग मंत्रालय को प्राप्त पात्र प्रस्तावों की जांच करेगी (जांच समिति के विचारार्थ विषय और उसका गठन अनुलग्नक-III में हैं)। जांच समिति की सिफारिश पर, प्रस्ताव को शीर्ष समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा (विचारार्थ विषय और शीर्ष समिति का गठन अनुलग्नक-III में हैं)। शीर्ष समिति से मंजूरी मिलने पर परिशिष्ट 'क' के अनुसार पीआईओ, उद्योग भागीदार और भारी उद्योग मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। भारी उद्योग मंत्रालय के अनुदान के नियम और शर्ते समझौता ज्ञापन में निर्दिष्ट होंगी। प्रत्येक अनुमोदित परियोजना के लिए निश्चित अंतराल पर परियोजनाओं की प्रगित की समीक्षा हेतु एक परियोजना समीक्षा और अनुवीक्षण समिति (पीआरएमसी) का गठन किया जाएगा (पीआरएमसी के विचारार्थ विषय अनुलग्नक-IV में हैं)।

- 4.3 पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में कौशल संवर्धन- कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के लिए अर्हता पैकेज का निर्माण- मंत्रालय कौशल स्तर 6 और उससे ऊपर के लिए अर्हता पैकेज (क्यूपी) बनाकर पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में कौशल को बढ़ावा देगा। क्यूपी के सृजन तथा कार्यवार विनिर्देशकों, यथा- प्रयोगशाला और प्रशिक्षक अर्हता, उपकरण विनिर्देशों के रोज़गार-वार भूमिका के अनुसार अतिरिक्त आवश्यकताओं (जैसे- खुली जगह आदि) को परिभाषित करने का उत्तरदायित्व इन क्षेत्रक कौशल परिषदों का होगा।
- 4.3.1 वित्तपोषण के लिए पात्र संस्थाएं- इस घटक के तहत भारी उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत क्षेत्रक कौशल परिषदों को वित्तपोषित किया जाएगा। सभी आवेदकों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय सीजी स्कीम चरण-। के तहत स्थापित भारी उद्योग मंत्रालय के प्रौद्योगिकी नवाचार मंच पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।
- **4.3.2 वित्तपोषण के लिए पात्र अर्हता पैक** भविष्योन्मुखी रोज़गार भूमिकाओं के लिए अर्हता पैक और अपेक्षित कौशल मांगों की सांकेतिक सूची निम्नानुसार है:

प्रस्तावित अर्हता पैक और संबंधित कार्य भूमिकाओं की सांकेतिक सूची

स्तर 6 और उससे ऊपर के लिए क्यूपी:

- (i) फैक्ट्री ऑटोमेशन एवं रोबोटिक्स इंजीनियर
- (ii) प्रेडिक्टिव अनुरक्षण इंजीनियर

कार्य भूमिका:

- (i) प्रोसेस ऑटोमेशन और रिमोट डायग्नोस्टिक इंजीनियर्स
- (ii) उन्नत मैकेट्रॉनिक्स और सीएनसी/पीएलसी इंजीनियर्स
- (iii) डिजिटल डिजाइन और विकास इंजीनियर
- (iv) साइबर डेटा सुरक्षा विशेषज्ञ
- (v) मोबाइल संचार प्रौद्योगिकीविद्
- (vi) नियंत्रण और प्रणाली प्रौद्योगिकीविद्
- (vii) एडिटिव विनिर्माण प्रौद्योगिकीविद्
- (viii) आभासी और संवर्धित वास्तविकता प्रौद्योगिकीविद्
- (ix) मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकीविद्
- (x) कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रौद्योगिकीविद्
- (xi) विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला आंकड़ा विश्लेषक
- (xii) डिजिटल गुणवत्ता इंजीनियर
- (xiii) आंकड़ा विश्लेषणविद् और डैशबोर्ड अभिकल्प सॉफ्टवेयर इंजीनियर
- (xiv) मशीन कनेक्टिविटी सिस्टम डिजाइनर
- (xv) डिजिटल प्लेटफॉर्म नेटवर्क इंजीनियर
- (xvi) संवेदी प्रौद्योगिकीविद्
- (xvii) डेटा कैप्चरिंग प्रौद्योगिकीविद्
- (xviii) सिस्टम इंटीग्रेटर प्रौद्योगिकीविद्

स्तर 6 और उससे ऊपर के लिए क्यूपी:

(i) स्तर 7 क्यूपी के 'पर्यवेक्षक (संयंत्र और मशीनरी)'

- (ii) उपकरण रखरखाव के लिए स्तर 6 का 'मास्टर मैकेनिक'
- (iii) निर्माण उपकरण के लिए स्तर 6 के 'मास्टर ऑपरेटर्स'

स्तर 6 और उससे ऊपर के लिए क्यूपी:

- 1. स्तर 6 के लिए वरिष्ठ इंजीनियर ऑटोमेशन
- 2. स्तर 7 के लिए प्रबंधक प्रणाली एकीकरण
- 3. स्तर 6 के लिए वरिष्ठ इंजीनियर सिस्टम इंटीग्रेशन
- 4. स्तर 7 के लिए उत्पाद प्रबंधक
- 5. स्तर 6 के लिए वरिष्ठ इंजीनियर हार्डवेयर इंटीग्रेशन (कम्युनिकेशन)
- 6. स्तर 7 के लिए स्वायत्त रोबोटिक्स विशेषज्ञ

कार्य भूमिका:

- (i) स्वचालन तकनीशियन (मैकेट्रॉनिक्स/रोबोटिक्स)
- (ii) इंस्ट्रमेंटेशन तकनीशियन (मैकेट्रॉनिक्स/रोबोटिक्स)
- (iii) इंस्ट्रमेंटेशन तकनीशियन (बहु कौशल: न्यूमैटिक/हाइड्रोलिक/वैक्यूम)
- (iv) स्थापना और कमीशनिंग तकनीशियन (मैकेट्रॉनिक्स/रोबोटिक्स)
- (v) रखरखाव तकनीशियन (मैकेट्रॉनिक्स/रोबोटिक्स)
- (vi) ऑपरेटर (मैकेट्रॉनिक्स/रोबोटिक्स)
- (vii) समस्या निवारक (मैकेट्रॉनिक्स/रोबोटिक्स)
- (viii) प्रोग्रामर (मैकेट्रॉनिक्स/रोबोटिक्स)
- (ix) स्वचालन पर्यवेक्षक
- 4.3.3 वित्तपोषण पद्धित- चिह्नित कौशल प्रशिक्षण आवश्यकताओं के लिए अर्हता पैक के विकास हेतु भारत सरकार अनुदान 100% तक प्रदान किया जाएगा। भूमि और भवन की लागत को पूरा करने के लिए भारत सरकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा। स्कीम के तहत गठित शीर्ष समिति के अनुमोदन पर ही वित्तपोषण होगा। इस संबंध में शीर्ष समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- **4.3.4 भुगतान समय-सारणी-** परियोजनाओं के लिए अनुदान का वितरण भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा क्षेत्रक कौशल परिषदों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्धारित पड़ावों की प्राप्ति के अनुसार होगा।
- 4.3.5 क्रियातंत्र- पात्र क्षेत्रक कौशल परिषद निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-IX में उपलब्ध) में आवेदन-पत्र प्रस्तुत करेगी जिसमें लक्षित क्यूपी, उनके कार्यक्षेत्र और आवश्यकता, संभावित उपयोगकर्ताओं/प्रशिक्षुओं, क्यूपी आदि द्वारा लक्षित रोजगार की भावी भूमिकाओं से संबंधित विवरण होंगे। स्कीम के तहत गठित जांच समिति भारी उद्योग मंत्रालय को प्राप्त पात्र प्रस्तावों की जांच करेगी (जांच समिति के विचारार्थ विषय अनुलग्नक-II में हैं)। जांच समिति की सिफारिश पर, प्रस्ताव को शीर्ष समिति (शीर्ष समिति के विचारार्थ विषय अनुलग्नक-I पर हैं) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। शीर्ष समिति द्वारा मंजूरी मिलने पर, परिशिष्ट "क" के अनुसार भारी उद्योग मंत्रालय और क्षेत्रक कौशल परिषद के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
- 4.4 चार साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों (सीईएफसी) की स्थापना और मौजूदा सीईएफसी का विस्तार- साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र प्रदर्शन-सह-अनुभव केंद्रों का सृजन कर उत्पादन संवर्धन की इच्छुक औद्योगिक इकाइयों को प्रदर्शन, जागरूकता, प्रशिक्षण, परामर्श, हैंड होल्डिंग और अनुसंधान और विकास के लिए जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से देश में पूंजीगत वस्तुओं के वर्तमान प्रौद्योगिकी स्तर को बढ़ावा देंगे।

4.4.1 वित्तपोषण के लिए पात्र इकाईयां- उद्योग और उद्योग संघों के सहयोग से साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र-

- (i) शैक्षिक संस्थान (निजी और सरकारी)
- (ii) अनुसंधान एवं विकास संस्थान,
- (iii) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रक उपक्रम,
- (iv) निजी उद्योग,
- (v) स्वायत्त निकाय
- (vi) चरण-I में सृजित मौजूदा सीईएफसी

सभी आवेदकों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय सीजी स्कीम के तहत स्थापित भारी उद्योग मंत्रालय प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफार्मों पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।

- 4.4.2 वित्तपोषण के लिए सुविधाएं- सीईएफसी की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की जाएगी:
- (i) कॉमन फाउंड्री और हीट-ट्रीटमेंट,
- (ii) परीक्षण प्रयोगशालाएं,
- (iii) डिजाइनिंग सुविधा,
- (iv) सामान्य प्रोटोटाइप,
- (v) सामान्य और विशिष्ट मशीनिंग,
- (vi) उद्योग 4.0 प्लेटफॉर्म आदि।
- *उपर्युक्त सूची सांकेतिक मात्र है।
- 4.4.3 वित्तपोषण पद्धित- साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए उपकरण, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सुविधाओं के निर्माण की लागत का 80% तक भारत सरकार द्वारा अनुदान-स्वरूप प्रदान किया जाएगा। शेष राशि का अंशदान अगले तीन वर्षों में अर्थात 2022-23 से 2024-25 तक आवेदक (आवेदकों) द्वारा किया जाएगा। यदि आवेदक एक संस्था है, तो उसका वित्तीय योगदान केवल संस्थान द्वारा सृजित किए गए राजस्व तक सीमित होगा। किसी भी स्कीम/कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा दिए गए अनुदान का इस उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। भूमि और भवन की लागत को पूरा करने के लिए भारत सरकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा। वित्तपोषण इस स्कीम के तहत गठित शीर्ष समिति के अनुमोदन पर आधारित होगा। इस संबंध में शीर्ष समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- **4.4.4 भुगतान समय-सारणी** परियोजनाओं के लिए अनुदान का वितरण परियोजना कार्यान्वयन संगठन के साथ भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा परियोजना के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्धारित पड़ावों की प्राप्ति के अनुसार होगा। परियोजना कार्यान्वयन संगठन को आवेदक प्रस्ताव में दर्शाएंगे।
- 4.4.5 क्रियातंत्र: आवेदक निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-VI पर प्रस्तुत) में विस्तृत परियोजनाओं रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें उद्देश्य, लक्षित सुविधा की भूमिका, संभावित लाभार्थियों, राजस्व सृजन मॉडल, स्थिरता मॉडल आदि से संबंधित विवरण शामिल होंगे। भारी उद्योग मंत्रालय को प्राप्त पात्र प्रस्ताव की जांच स्कीम के तहत गठित जांच समिति द्वारा की जाएगी (जांच समिति के विचारार्थ विषय अनुलग्नक-II में हैं)। जांच समिति की सिफारिश पर, प्रस्ताव को शीर्ष समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा (शीर्ष समिति के विचारार्थ विषय अनुलग्नक-III में हैं)। शीर्ष समिति की मंजूरी मिलने पर, अनुबंध-"क" के अनुसार पीआईओ, उद्योग भागीदार और भारी उद्योग मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अनुमोदित प्रत्येक परियोजनाओं के लिए निश्चित अंतराल पर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा हेतु परियोजना समीक्षा और अनुवीक्षण समिति (पीआरएमसी) का गठन किया जाएगा (पीआरएमसी के विचारार्थ विषय अनुलग्नक- IV में हैं)।
- 4.5 मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों का विस्तार- भारत सरकार/निजी उद्योग ने विभिन्न पूंजीगत वस्तु उप-क्षेत्रों के लिए विभिन्न परीक्षण और प्रमाणन केंद्र सृजित किए हैं और उद्योगों ने कुछ बहुत अच्छी परीक्षण सुविधाएं भी सृजित की हैं। इस

घटक के तहत, मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्र को बढ़ाए जाने का लक्ष्य है ताकि मशीनरी के परीक्षण के लिए पूंजीगत वस्तु क्षेत्र और ऑटो क्षेत्र की जरूरतों को पूरा किया जा सके। ये केंद्र प्रौद्योगिकी और नवाचार प्लेटफार्मों के माध्यम से विकसित की गई नई प्रौद्योगिकियों के लिए सदृश परीक्षण और प्रमाणन सुविधाएं भी प्रदान करेंगे।

4.5.1 वित्तपोषण के लिए पात्र इकाईयां-

(i) मौजूदा सरकारी/निजी परीक्षण और प्रमाणन केंद्र

सभी आवेदकों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय सीजी स्कीम के तहत स्थापित भारी उद्योग मंत्रालय प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।

- 4.5.2 फोकस क्षेत्र- इस घटक के तहत परीक्षण केंद्र पूंजीगत वस्तुओं से संबंधित यांत्रिक, विद्युत, रसायन, संरचनात्मक, धातुकर्म, इलेक्ट्रॉनिक्स पहलुओं आदि से संबंधित विभिन्न गुणों के संदर्भ में मशीनरी के परीक्षण और सत्यापन पर ध्यान केंद्रित करेगा।
- 4.5.3 वित्तपोषण पद्धित- 2022-23 से 2024-25 अर्थात् तीन वर्ष की अविध के दौरान परीक्षण उपकरण, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के लिए मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्र के संवर्धन की लागत का 80% तक भारत सरकार द्वारा अनुदानस्वरूप प्रदान किया जाएगा। शेष राशि का अंशदान आवेदक (आवेदकों) द्वारा किया जाएगा। आवेदक यदि एक संस्था हो, तो उसका वित्तीय अंशदान केवल उसके राजस्व तक सीमित होगा। भूमि और भवन लागत को पूरा करने के लिए भारत सरकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा। वित्तपोषण इस स्कीम के तहत गठित शीर्ष समिति के अनुमोदन पर ही होगा। इस संबंध में शीर्ष समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- 4.5.4 भुगतान समय-सारणी- परियोजनाओं के लिए अनुदान का वितरण भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा परीक्षण और प्रमाणन केंद्र के साथ परियोजना के लिए हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन में निर्धारित पड़ावों की प्राप्ति के अनुसार होगा जो परियोजना के लिए परियोजना कार्यान्वयन संगठन होगा। परियोजना कार्यान्वयन संगठन को आवेदक (आवेदकों) द्वारा प्रस्ताव में दर्शाया जाएगा।

4.5.5 क्रियातंत्र:

आवेदक को आवेदन प्रपत्र (अनुलग्नक-VIII पर प्रस्तुत) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करेगा जिसमें मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों और इसके द्वारा सुविधा प्राप्त उद्योगों, परीक्षण और प्रमाणन के संवर्धन के उद्देश्य, संभावित लाभार्थी, प्रस्तावित राजस्व सृजन और स्थिरता मॉडल आदि से संबंधित विवरण शामिल होंगे। भारी उद्योग मंत्रालय को प्राप्त पात्र प्रस्ताव की स्कीम के तहत गठित जांच समिति (जांच समिति के विचारार्थ विषय अनुलग्नक-II पर हैं) द्वारा जांच की जाएगी। जांच समिति की सिफारिश पर, प्रस्ताव को शीर्ष समिति (शीर्ष समिति के विचारार्थ विषय अनुबंध-I पर हैं) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। शीर्ष समिति से मंजूरी मिलने पर परिशिष्ट-क के अनुसार पीआईओ, उद्योग भागीदार और भारी उद्योग मंत्रालय के बीच समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। अनुमोदित प्रत्येक परियोजना के लिए, निश्चित अंतराल पर परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा के लिए एक परियोजना समीक्षा और अनुवीक्षण समिति (पीआरएमसी) का गठन किया जाएगा (पीआरएमसी के विचारार्थ विषय अनुलग्नक-III पर प्रस्तुत हैं)।

4.6 प्रौद्योगिकी विकास के लिए दस उद्योग प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) की स्थापना-

इस पहल का उद्देश्य औद्योगिक नवाचारों में अग्रणी अनुसंधान/शैक्षिक संस्थानों (प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर)) के साथ साझेदारी में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उत्पाद विकास की प्रक्रिया में स्थानीय उद्योगों को सक्रिय रूप से शामिल करना है। ये प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) कार्यक्षेत्र की पहचान करेंगे और कंपनियों का चयन समूहों में करेंगे (आयात की वर्तमान सूची के अनुसार मूल्य/मात्रा/महत्वपूर्णता के आधार पर) और उनकी आवश्यकता के अनुसार उत्पादों और प्रक्रियाओं के विकास की सुविधा प्रदान करेंगे।

प्रत्येक प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) स्थापित सीओई, सीईएफसी, प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टल के साथ काम करेगा और कंपनियों को संबंधित व्यावसायिक रणनीतियों और मार्केटिंग स्कीमों के साथ नए उत्पादों को विकसित करने में सक्षम बनाने के लिए सलाहकारों और अन्य सहयोगियों के माध्यम से कार्य करेगा। सीओई और सीईएफसी प्रोटोटाइप, परीक्षण और सत्यापन के लिए आवश्यकता के आधार पर उपयोग किए जाने वाले प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) के लिए पूंजी

अवसंरचना प्रदान करेंगे। विकसित किए जा रहे उत्पाद के लिए आपूर्ति-श्रृंखला हेतु संभावित संसाधन/विक्रेता आधार से जुड़ने के लिए प्रौद्योगिकी पोर्टलों का उपयोग किया जाएगा। प्रत्येक प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) स्कीम की 2.5 वर्ष की अविध के लिए प्रत्येक 1 समूह(कोहार्ट) चलाएगा। प्रत्येक समूह में 8 से 10 कंपनियां शामिल होंगी और यह 2.5 वर्षों के चक्र तक चलेगी। अनुमान है कि स्कीम अविध के अंत तक कम से कम 100 नए स्वदेशी उत्पादों/प्रौद्योगिकियों का व्यावसायीकरण किया जाएगा।

4.6.1 वित्तपोषण के लिए पात्र संस्थाएं-

- (i) प्रतिष्ठित अनुसंधान और विकास/अकादमिक/वैज्ञानिक संस्थान;
- (ii) उद्योग संघ

सभी आवेदकों के लिए भारी उद्योग मंत्रालय सीजी स्कीम के तहत स्थापित भारी उद्योग मंत्रालय प्रौद्योगिकी नवाचार प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना अनिवार्य है।

- **4.6.2 योग्य प्रौद्योगिकियां -** प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) पूंजीगत वस्तु और ऑटो क्षेत्र में कार्यकलाप के लिए उप-क्षेत्रों की पहचान करेगा और घरेलू पूंजीगत वस्तु उद्योगों के वर्तमान सामर्थ्य के आधार पर कंपनियों का चयन करेगा और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य स्वदेशी प्रौद्योगिकियों/उत्पादों के विकास की सुविधा प्रदान करेगा।
- 4.6.3 वित्तपोषण पद्धित- भारत सरकार एक प्रगितकारक (एक्सीलरेटर) द्वारा अनुमानित समूह के लिए विकास की लागत का 80% तक अनुदानस्वरूप प्रदान करेगी। प्रतिभागी उद्योगों द्वारा 20% लागत का योगदान दिया जाएगा। हालांकि, समूह के भीतर, निजी उद्योगों द्वारा अंशदान प्रौद्योगिकी/उत्पाद की महत्वपूर्णता, विकास चक्र की जिटलता, लागत गहनता, व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य आयात प्रतिस्थापन/निर्यात क्षमता और वित्तीय सामर्थ्य तथा उद्योगों से 20% के वित्तपोषण के दायरे में, प्रतिभागी कंपनी के पिछले प्रदर्शन के आधार पर उद्योग के अनुसार तय की जा सकती है। समूह के लिए की गई गतिविधियों के समन्वय, निगरानी और मूल्यांकन के लिए प्रशासनिक खर्चों को पूरा करने के लिए प्रगितकारक (एक्सीलरेटर) को उचित वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। भारी उद्योग मंत्रालय प्रत्येक प्रगितकारक (एक्सीलरेटर) को प्रौद्योगिकी के विकास की लागत के 80% तक निधि देगा। समूह के बीच निधियों का वितरण प्रगितकारक (एक्सीलरेटर) द्वारा किया जाएगा। भूमि और भवन की लागत को पूरा करने के लिए भारत सरकार का अनुदान नहीं दिया जाएगा। वित्तपोषण इस स्कीम के तहत गठित शीर्ष समिति के अनुमोदन पर निर्भर करेगा। इस संबंध में शीर्ष समिति का निर्णय अंतिम होगा।
- **4.6.4 भुगतान समय-सारणी-** परियोजनाओं के लिए अनुदानों का वितरण भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) के साथ परियोजना के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन में निर्धारित पड़ावों की प्राप्ति के अनुसार होगा, जो परियोजना कार्यान्वयन संगठन (पीआईओ) होगा।
- 4.6.5 क्रियातंत्र: आवेदक निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-VII पर प्रस्तुत) में विस्तृत परियोजनाओं रिपोर्ट (डीपीआर) के साथ आवेदन प्रपत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें केंद्रित कार्य-क्षेत्र, विकास के लिए चिह्नित उत्पादों, विकास के लिए लक्षित उत्पादों के आयात प्रतिस्थापन/निर्यात क्षमता से संबंधित विवरण शामिल होंगे। स्कीम के तहत गठित जांच समिति (जांच समिति के विचारार्थ विषय अनुलग्नक-II में हैं) भारी उद्योग मंत्रालय को प्राप्त प्रस्तावों की जांच करेगी। जांच समिति की सिफारिश पर, प्रस्ताव को शीर्ष समिति (शीर्ष समिति के विचारार्थ विषय अनुलग्नक-I में हैं) के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। शीर्ष समिति से मंजूरी मिलने पर, परिशिष्ट-क के अनुसार भारी उद्योग मंत्रालय और पीआईओ द्वारा समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) उद्योगों का चयन करेगा और उन्हें समूहों (कोहार्ट) में समूहबद्ध करेगा। प्रत्येक समूह में 8 से 10 कंपनियां होंगी और यह 2.5 वर्ष की अवधि तक चलेगी। प्रत्येक प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) द्वारा प्रौद्योगिकीय समिति का गठन किया जाएगा जो उद्योगों का चयन करने, उन्हें समूहबद्ध करने, उनकी आनुपातिक वित्तीय सहभागिता और विकास के लिए प्रौद्योगिकियों का चयन करने के प्रति उत्तरदायी होगा। प्रौद्योगिकीय समिति के विचारार्थ विषय और गठन का ब्यौरा अनुलग्नक-Iv पर है।

5. स्कीम के कार्यान्वयन के लिए सामान्य शर्तै:

क. पीआईओ द्वारा स्कीम के तहत सभी व्यय जीएफआर 2017 और भारी उद्योग मंत्रालय के साथ हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन के नियमों और शर्तों के अनुरूप किए जाएंगे।

- ख. पीआईओ भारी उद्योग मंत्रालय की लिखित अनुमित के बिना, इस स्कीम के तहत प्रदान की गई सहायता का उपयोग कर सृजित परिसंपत्तियों का निपटान नहीं करेगा या पट्टे पर नहीं देगा या कोई शुल्क नहीं लेगा।
- ग. पीआईओ भारी उद्योग मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना, अनुमोदित प्रस्ताव के फॉर्म या मूल उद्देश्यों/निष्कर्षों/परिणामों को नहीं बदलेगा। पीआरएमसी की सिफारिश और भारी उद्योग मंत्रालय की लिखित अनुमित के बिना सहायता प्राप्त परियोजना के उद्देश्यों निष्कर्षों/परिणामों में इसके उद्देश्यों को इंगित करते हुए संशोधन नहीं किया जाएगा। इस स्कीम के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता अनावर्ती और पूंजीगत प्रकृति की होगी। संस्थान के संकाय, कर्मचारियों या प्रशासकों के वेतन और भत्ते आदि का भुगतान करने के लिए निधियों का सीधे उपयोग नहीं किया जा सकेगा। हालांकि, केंद्रों से सेवाओं का शुल्क लिया जा सकता है।
- घ. सभी पीआईओ को भारी उद्योग मंत्रालय से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्रक बैंक में एक नया बचत बैंक खाता खोलना होगा।
- ड. पीआईओ के खातों की प्रति वर्ष लेखापरीक्षा की जाएगी और पीआईओ को प्रत्येक वित्त वर्ष के अंत में भारी उद्योग मंत्रालय को वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- च. पीआईओ को किसी भी समय भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा सत्यापन के लिए अनुदान राशि का उपयोग करके खरीदे गए उपकरण/संपत्तियों का एक अचल परिसंपत्ति रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक होगा। स्वीकृत राशि का समय पर उपयोग करने में विफलता या इसके दुरुपयोग, दुर्विनियोजन या पथांतरण या ऊपर वर्णित किसी एक या अधिक शर्तों के उल्लंघन के मामले में, सरकार जीएफआर/सरकारी आदेशों के अनुसार यथा आवश्यक अन्य कानूनी कार्रवाई करने के अलावा, जो भी आवश्यक हो, ब्याज सहित पूरी सहायता राशि वसुल करने की हकदार होगी।
- छ. केंद्र सरकार सहायता की मंजूरी/जारी करने से पहले, आवश्यकतानुसार ऐसी अन्य शर्तें भी निर्धारित कर सकती है।

6. आवेदन और अनुमोदन प्रक्रिया

- क. भारी उद्योग मंत्रालय स्कीम के तहत प्रस्तावों की प्रक्रिया, अनुमोदन और निगरानी के लिए एक ऑनलाइन प्रणाली की योजना बनाने, डिजाइन तैयार करने और इसके कार्यान्वयन का प्रयास करेगा।
- ख. स्कीम के तहत लक्षित प्रौद्योगिकी/ प्रस्तावित सुविधा के लिए विस्तृत परियोजनाओं रिपोर्ट के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन भारी उद्योग मंत्रालय में अवर सचिव (एचईएंडएमटी) को प्रस्तुत किए जाएंगे।
- ग. भारी उद्योग मंत्रालय (एचईएंडएमटी) आवेदनों को उनकी पूर्णता के लिए 30 दिनों के भीतर संसाधित करेगा और उन्हें उपर्युक्त पैरा 13 के तहत गठित जांच समिति को विचार के लिए प्रस्तुत करेगा।
- घ. जांच समिति स्कीम के तहत प्राप्त सभी प्रस्तावों की जांच करेगी और एक महीने के भीतर अपनी सिफारिशें कार्यसूची प्रपत्र में शीर्ष समिति को प्रस्तुत करेगी।
- ड. समिति निर्णय लेने से पहले आवेदकों के साथ परामर्श करने, पीआईओ की सुविधा का दौरा करने का विकल्प चुन सकती है। आवेदक को अपनी सुविधा के अनुसार शीर्ष समिति के समक्ष अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा सकता है।
- च. शीर्ष समिति द्वारा प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद, पीआईओ को एक अनुमोदन पत्र जारी किया जाएगा। अनुमोदन पत्र प्राप्त होने के एक महीने के भीतर पीआईओ और भारी उद्योग मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।
- छ. इसमें निर्धारित शर्तों के अनुसार समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद निधियों को जारी करने का काम शुरू होगा।
- ज. मंत्रालय का यह प्रयास होगा कि भरे हुए आवेदन की प्राप्ति से तीन माह के भीतर अंतिम निर्णय की सूचना दी जाए।
- झ. स्कीम के उद्योग प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) घटक के तहत, अनुमोदन-पत्र जारी होने के बाद, प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) समूह के चयन के लिए तकनीकी समिति की बैठक बुलाएगा और इस प्रकार चयनित उद्योगों का विवरण अनुमोदन पत्र प्राप्त होने के एक महीने के भीतर भारी उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत करेगा।

7. बौद्धिक संपदा अधिकार

7.1 भारी उद्योग मंत्रालय पूंजीगत वस्तु स्कीम के तहत प्रौद्योगिकी के विकास के दौरान सृजित किए गए आईपीआर का स्वामित्व पीआईओ, उद्योग भागीदार और भारी उद्योग मंत्रालय में संयुक्त रूप से निहित होगा।

7.2 परिबंधन (लॉक-इन) अवधि- विकसित की गई आईपी/प्रौद्योगिकी को प्रौद्योगिकी विकास के पूरा होने की तारीख से किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, जो स्वीकृत परियोजना के लिए समझौता-ज्ञापन में उल्लिखित तीन से पांच साल तक हो सकती है। प्रौद्योगिकी का विशेष रूप से व्यावसायीकरण और आगे तकनीकी उन्नयन के लिए उपयोग उद्योग भागीदार द्वारा किया जाएगा। विकसित प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण की जिम्मेदारी औद्योगिक भागीदार की होगी। हालांकि, भारी उद्योग मंत्रालय विकसित प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण के लिए उद्योग भागीदार को वित्तीय सहायता को छोड़कर हरसंभव सहायता प्रदान करेगा।

7.3 पीआईओ, उद्योग भागीदार और भारी उद्योग मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन में उल्लिखित परिबंधन (लॉक-इन) अविध के बाद भी संपूर्ण परियोजना में पीआईओ, उद्योग भागीदार और भारी उद्योग मंत्रालय विधि के अनुसार आईपी के स्थायी अधिकार और रॉयल्टी-मुक्त, गैर-अनन्य लाइसेंस का उपयोग बनाए रखेंगे। पीआईओ अनुसंधान उद्देश्यों के लिए प्रौद्योगिकीय जानकारी का उपयोग कर सकता है, हालांकि वह पीआईओ परिबंधन अविध के भीतर किसी तीसरे पक्ष के साथ इस प्रकार विकसित प्रौद्योगिकी की प्रौद्योगिकीय जानकारी, विवरण और डिजाइन को साझा नहीं करेगा।

7.4 उद्योग के लिए स्कीम के तहत नई विकसित प्रौद्योगिकियों के प्रसार के उद्देश्य को साकार करने के लिए, पीआईओ भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से आईपी अधिकारों के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा और भारी उद्योग मंत्रालय की सहमति से परिबंधन अविध के बाद उन्हें किसी तीसरे पक्ष को स्थानांतरित करने में सक्षम होगा।

7.5 रॉयल्टी साझेदारी मॉडल- तीसरे पक्ष को आईपी अधिकारों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व को पीआईओ और भारी उद्योग मंत्रालय के बीच साझा किया जाएगा। प्रौद्योगिकी/जानकारी/आईपी के लाइसेंस के मामले में रॉयल्टी साझाकरण मॉडल निम्नानुसार होगा::

| पीआईओ | सेवा खाता (भारी उद्योग मंत्रालय) |
|-------|----------------------------------|
| 80% | 20% |

सेवा खाते में धनराशि (पीआईओ और भारी उद्योग मंत्रालय का संयुक्त खाता) का उपयोग आविष्कार के प्रचार और उन्नयन, आईपीआर के रखरखाव के लिए किया जा सकता है। सेवा खाते से अप्रयुक्त धनराशि का उपयोग व्यावसायीकरण, आईपी सुरक्षा और किसी भी अन्य संबंधित क्रियाकलापों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इस संबंध में सभी निर्णय भारी उद्योग मंत्रालय और पीआईओ द्वारा पारस्परिक रूप से लिए जाएंगे।

* आईपी प्रबंधन निधि- आईपी के प्रबंधन के लिए पीआईओ जिम्मेदार होगा। पीआईओ निधियों का उपयोग अर्जित राजस्व (रॉयल्टी में 80% हिस्सा), आईपीआर के व्यावसायीकरण और रखरखाव से संबंधित किसी भी क्रियाकलाप के लिए या किसी अन्य देश में आईपीआर प्राप्त करने, या आईपी संरक्षण, वार्षिक रखरखाव आदि के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए करेगा।

7.6 राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम या भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा चयनित कोई अन्य संगठन विकसित प्रौद्योगिकी के स्तर और वास्तविक औद्योगिक आवश्यकता के बीच के अंतराल को पाटने में मदद करेगा। इस प्रकार चयनित संगठन अपनी व्यावसायिक क्षमता के लिए प्रौद्योगिकी का आकलन करेगा और उपयुक्त आईपी सुरक्षा लेने के लिए उपाय सुझाएगा।

7.7 आईपीआर आवेदन दाखिल करना: बौद्धिक सम्पदा (आईपी) संबंधी सभी आवेदन पीआईओ द्वारा दाखिल किए जाएंगे। हालांकि, िकसी भी अनुचित देरी के मामले में, पीआईओ की ओर से विफलता, एनआरडीसी को पीआईओ की ओर से आईपी आवेदन दाखिल करने की जिम्मेदारी दी जाएगी। एनआरडीसी इस संबंध में प्रदान की गई किसी भी सहायता के लिए पीआईओ से शुल्क लेगा। यदि एनआरडीसी के माध्यम से आईपी/पेटेंट दाखिल किया जा रहा है, तो पेटेंट/आईपी दाखिल करने के लिए अनिवार्य सभी फॉर्म संयुक्त आईपी धारकों द्वारा विधिवत निष्पादित किए जाने के बाद एनआरडीसी को प्रस्तुत किए जाएंगे।

7.8 यदि उद्योग भागीदार एक निर्धारित अविध के भीतर प्रौद्योगिकी/उत्पाद का व्यावसायीकरण करने में विफल रहता है, तो प्रौद्योगिकी को व्यावसायीकरण की व्यवस्था के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को सौंपा जाएगा। एनआरडीसी लक्षित उद्योगों के साथ प्रकाशन और संचार के लिए गैर-महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली प्रत्येक प्रौद्योगिकी पर प्रौद्योगिकी प्रोफाइल तैयार करेगा। एनआरडीसी व्यावसायीकरण क्रियाकलापों को शुरू करने के लिए विस्तृत प्रस्ताव पत्र तैयार करेगा और एनआरडीसी, उद्योग भागीदार और पीआईओ के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। ऐसे मामले में राजस्व बंटवारे के मॉडल का निर्णय मामला दर मामला आधार पर, जब और जैसे भी आवश्यक हो, तय किया जा सकता है। देश में तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में स्टार्टअप्स की महत्वपूर्ण भूमिका को दृस्टिगत रखये हुए, उनके लिए आईपीआर मॉडल संशोधित किया जा सकेगा, यदि वे योजना के सीओई या त्वरक घटकों में भाग लेते हैं और इस तरह के बौद्धिक संपदा के निर्माण में योगदान करते हैं।। स्टार्टअप्स को डीपीआईआईटी दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

8. जांच समिति का संघटन

जांच समिति का गठन तथा विचारार्थ विषय अनुलग्नक-॥ पर हैं।

9. शीर्ष समिति का संघटन

शीर्ष समिति का गठन और विचारार्थ विषय अनुलग्नक-। पर हैं।

10. स्कीम/परियोजना निगरानी और मूल्यांकन

- 10.1 परियोजना समीक्षा और अनुवीक्षण समिति (पीआर एंड एमसी) का गठन और विचारार्थ विषय अनुबंध-III पर हैं।
- 10.2 परियोजना समीक्षा और अनुवीक्षण समिति (पीआर एंड एमसी) नियमित रूप से आवंटित परियोजना की प्रगति की ऑनलाइन टूल सहित नियमित रूप से निगरानी करेगी। पीआईओ द्वारा परियोजना अविध के दौरान हर तीन महीने में कम से कम एक बार पीआरएमसी की आविधक बैठकें आयोजित की जाएंगी। पीआईओ परियोजना की तिमाही प्रगति रिपोर्ट पीआरएमसी को प्रस्तुत करेगा। पीआरएमसी परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा और निगरानी करेगा और परियोजना कार्यान्वयन संगठन (पीआईओ) और भारी उद्योग मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करेगा। पीआरएमसी, जीएफआर, 2017 के तंत्र के भीतर, एमएचआई द्वारा पीआईओ को धन जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली विशिष्ट तौर-तरीकों/प्रक्रियाओं की भी सिफारिश कर सकता है, यदि किसी परियोजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक हो।
- 10.3 भारी उद्योग मंत्रालय स्वीकृत परियोजनाओं के पूरा होने पर स्कीम/उसके घटक का तृतीय पक्ष मूल्यांकन कराएगा।

11. परियोजनाओं को बंद करने की प्रक्रिया

- 11.1 किसी परियोजना को तब पूरा माना जाएगा जब सभी निष्कर्ष और परिणाम प्राप्त हो जाएं।
- 11.2 परियोजनाओं के पूर्ण होने की सूचना भारी उद्योग मंत्रालय को देने से पहले पीआईओ अनिवार्य रूप से अंतिम पीआरएमसी बैठक आयोजित करेगा। अंतिम पीआरएमसी बैठक के दौरान पीआरएमसी द्वारा परियोजनाओं का स्थल पर वास्तविक सत्यापन किया जाना अनिवार्य है।
- 11.3 पीआईओ अंतिम पीआरएमसी के कार्यवृत्त के साथ परियोजना पूर्णता रिपोर्ट (प्रौद्योगिकीय, वास्तविक और वित्तीय) (हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी-- दोनों में) अवर सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को इसे बंद करने की सिफारिश करते हुए प्रस्तुत करेगा। परियोजना पूर्णता रिपोर्ट में, विकसित तकनीक की प्रौद्योगिकीय जानकारी से संबंधित विस्तृत डिजाइन, चित्र, विनिर्देश और दस्तावेज भी शामिल होंगे।
- 11.4 भारी उद्योग मंत्रालय परियोजना पूर्णता रिपोर्ट के संतोषजनक मूल्यांकन के बाद पीआईओ को "परियोजना पूर्णता का प्रमाण पत्र" प्रदान करेगा। संयुक्त सचिव/अपर सचिव, एचईएंडएमटी "परियोजना पूर्णता का प्रमाण पत्र" को मंजूरी देने के लिए अंतिम प्राधिकरी के रूप में कार्य करेंगे।

निधि छिब्बर, अपर सचिव

अनुबंध-।

शीर्ष समिति का गठन और विचारार्थ विषय

शीर्ष समिति का गठन निम्नानुसार होगा:

| क्र.सं. | सदस्य/अध्यक्ष | पदनाम |
|---------|---|---|
| I. | सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय | अध्यक्ष |
| II. | अपर सचिव और वित्त सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय | सदस्य |
| III. | पूंजीगत वस्तु क्षेत्र के प्रमुख उद्योगपति (दो बड़े उद्योग से और दो एसएमई क्षेत्र से) | सदस्य |
| IV. | सलाहकार (उद्योग), नीति आयोग | सदस्य |
| V. | डीपीआईआईटी का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से कमतर स्तर का न हो | सदस्य |
| VI. | डीपीआईआईटी का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से कमतर स्तर का न हो | सदस्य-सचिव |
| VII. | शिक्षा मंत्रालय का प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव के पद से कमतर स्तर का न हो | सदस्य |
| VIII. | एनआरडीसी के प्रतिनिधि | सदस्य |
| IX. | महानिदेशक, भारतीय मानक ब्यूरो | सदस्य |
| X. | महानिदेशक (खान एवं सुरक्षा) | सदस्य |
| XI. | महानिदेशक (सीआईआई) | सदस्य |
| XII. | महानिदेशक (फिक्की) | सदस्य |
| XIII. | अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक | सदस्य |
| XIV. | 2 तकनीकी विशेषज्ञ | आवश्यकता के अनुसार आमंत्रित किया जाएगा |
| XV. | 2 वित्तीय विशेषज्ञ | आवश्यकता के अनुसार आमंत्रित किया जाएगा |
| XVI. | अपर सचिव/संयुक्त सचिव (एचई एंड एमटी), भारी उद्योग मंत्रालय | सदस्य-सचिव |

शीर्ष समिति के विचारार्थ विषय

- क. शीर्ष समिति परियोजनाओं के अंतिम अनुमोदन, परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा या स्कीम से संबंधित उन अन्य मुद्दों के लिए जिम्मेदार होगी, जिनके लिए समिति के अनुमोदन की आवश्यकता हो।
- ख. शीर्ष समिति आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त विषय विशेषज्ञों को सहयोजित और/या आमंत्रित कर सकती है।
- ग. जांच समिति द्वारा अनुशंसित परियोजना प्रस्तावों पर विचार करने और स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए शीर्ष समिति की द्वि-वार्षिक या यथावश्यकतानुसार बैठक की जाएगी।

अनुबंध-॥

जांच समिति का गठन और विचारार्थ विषय

जांच समिति का गठन निम्नानुसार होगा:

| i. | अपर सचिव (एचई एंड एमटी)/संयुक्त सचिव,भारी उद्योग मंत्रालय | अध्यक्ष; |
|-------|--|------------|
| ii. | आर्थिक सलाहकार, भारी उद्योग मंत्रालय | सदस्य; |
| iii. | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के नामिती | सदस्य; |
| iv. | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के नामिती | सदस्य; |
| V. | निदेशक (आईएफडब्ल्यू-भारी उद्योग मंत्रालय) | सदस्य; |
| vi. | आवश्यकतानुसार अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के नामित व्यक्ति | सदस्य; |
| vii. | आवश्यकतानुसार प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ (तीन) | सदस्य |
| viii. | राष्ट्रीय अनुसंधान एवं विकास निगम के प्रतिनिधि | सदस्य |
| ix. | निदेशक/उप-सचिव (एचईएमटी-भारी उद्योग मंत्रालय) | सदस्य-सचिव |

जांच समिति के विचारार्थ विषय

- क) समिति प्रस्तावों की संवीक्षा और जांच करने तथा शीर्ष समिति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने और भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा सौंपे गए अन्य कार्य के प्रति उत्तरदायी होगी।
- ख) समिति सचिव (भारी उद्योग) को दिए गए अधिकार के तहत आवश्यकता के आधार पर विशेषज्ञों को सहयोजित/आमंत्रित/शामिल कर सकती है।
- ग) यह आवेदक को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए बुला सकती है या स्कीम के तहत प्रस्तुत प्रस्तावों की व्यवहार्यता का आकलन करने के लिए आवेदक के परिसर का दौरा कर सकती है।
- घ) जांच समिति प्रत्येक तिमाही की शुरुआत में या जब भी आवश्यक हो, प्राप्त परियोजना प्रस्तावों की समीक्षा करने और स्वीकृत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करने के लिए बैठक करेगी।

अनुबंध-॥

परियोजना समीक्षा और अनुवीक्षण समिति (पीआरएमसी) का गठन और विचारार्थ विषय

पीआरएमसी का गठन निम्नानुसार होगाः

| क्र.सं. | सदस्य/ अध्यक्ष | पदनाम |
|---------|--|---------|
| 1. | वरिष्ठ तकनीकी उद्योग विशेषज्ञ (भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नामित) | अध्यक्ष |
| 2. | तकनीकी विशेषज्ञ (भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नामित) | सदस्य |
| 3. | तकनीकी विशेषज्ञ (उद्योग विशेषज्ञ) (उद्योग संघ द्वारा नामित) | सदस्य |
| 4. | वित्त विशेषज्ञ-1 | सदस्य |
| 5. | व्यावसायीकरण/आईपीआर में सहायता के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) या भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा चयनित किसी अन्य संगठन का प्रतिनिधि | |
| 6. | पीआईओ का प्रौद्योगिकीय विशेषज्ञ | सदस्य |
| 7. | भारी उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधि | सदस्य |

पीआरएमसी के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

- i) परियोजना समीक्षा और अनुवीक्षण समिति (पीआरएमसी) यह सुनिश्चित करेगी कि भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुदान जारी करने के लिए समझौता-ज्ञापन और मंजूरी के नियम और शर्तें पूरी की गई हैं।
- ii) पीआरएमसी समय-समय पर परियोजनाओं के कार्यान्वयन की वास्तविक और वित्तीय प्रगति की समीक्षा और निगरानी करेगी और अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें पीआईओ और भारी उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत करेगी। परियोजनाओं की पूरी अवधि के दौरान हर तीन महीने में कम से कम एक बार आवधिक बैठकें आयोजित की जाएंगी।
- iii) पीआरएमसी उचित जांच और विश्लेषण के बाद पत्रों के माध्यम से परियोजना कार्यान्वयन संगठन द्वारा भारी उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए परियोजनाओं प्रस्तावों से किसी भी पथांतरण को अनुशंसित, आशोधित या अस्वीकृत करेगी।
- iv) पीआरएमसी, जीएफआर, 2017 के तंत्र के भीतर, एमएचआई द्वारा पीआईओ को धन जारी करने के लिए अपनाई जाने वाली विशिष्ट तौर-तरीकों/प्रक्रियाओं की भी सिफारिश कर सकता है, यदि किसी परियोजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए यह आवश्यक हो।
- v) पीआरएमसी भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा समय-समय पर उसे सौंपे गए किसी अन्य कार्य को भी व्यवहार रुप देगा।
- vi) पीआरएमसी का कार्यकाल इसके गठन को अधिसूचित करने वाले कार्यालय-ज्ञापन के जारी होने की तारीख से परियोजनाओं के कार्यकाल के साथ-साथ समाप्त होगा।
- vii) पीआरएमसी के अध्यक्ष के पास आवश्यकता पड़ने पर सदस्यों को सहयोजित करने का अधिकार होगा और पीआरएमसी की आपातकालीन बैठकें बुलाने का भी अधिकार होगा, भले ही वे निर्धारित न हों।
- viii) अध्यक्ष, पीआरएमसी की पूर्व-सहमति से पीआरएमसी की बैठकों में भाग लेने के लिए विशेष आमंत्रितों को आमंत्रित किया जा सकता है।
- ix) पीआरएमसी के सदस्य बैठक में भाग लेने वाले प्रत्येक दिन प्रतीकात्मक (टोकन) मानदेय के पात्र होंगे।

2. पीआरएमसी का कार्यकाल:

पीआरएमसी का कार्यकाल परियोजनाओं की अवधि के साथ समाप्त होगा।

3. यात्रा व्यय और मानदेय का भुगतान:

- i) पीआरएमसी के अध्यक्ष और गैर-अधिकारी सदस्य को भारत सरकार के मौजूदा नियमों के अनुसार हवाई (इकोनॉमी क्लास), या ट्रेन या सड़क मार्ग से यात्रा का भुगतान किया जाएगा और पीआईओ की बैठकों के स्थल पर उनके ठहरने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाएगी।
- ii) पीआरएमसी के अध्यक्ष और गैर-सरकारी सदस्यों को पीआईओ द्वारा मानदेय का भुगतान किया जा सकता है।

4. गोपनीयताः

पीआरएमसी के अध्यक्ष और सदस्य सख्त गोपनीयता बनाए रखेंगे और भारी उद्योग मंत्रालय और पीआईओ की सहमति या प्राधिकरण के बिना भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजनाओं से संबंधित किसी भी जानकारी या डाटा के प्रकटीकरण से बचेंगे।

अनुबंध-IV

तकनीकी समिति (उद्योग प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) के अंतर्गत) का गठन और विचारार्थ विषय

तकनीकी समिति का गठन निम्नानुसार होगा:

| क्र.सं. | सदस्य/अध्यक्ष | पदनाम |
|---------|---|---------|
| 1. | वरिष्ठ तकनीकी उद्योग विशेषज्ञ (भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नामित) | अध्यक्ष |
| 2. | तकनीकी विशेषज्ञ (भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा नामित) | सदस्य |
| 3. | तकनीकी विशेषज्ञ (उद्योग विशेषज्ञ) (उद्योग संघ द्वारा नामित) | सदस्य |

| 4. | वित्तीय विशेषज्ञ | सदस्य |
|----|--|------------|
| 5. | व्यावसायीकरण/आईपीआर में सहायता के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम (एनआरडीसी) या भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा चयनित किसी अन्य संगठन का प्रतिनिधि | |
| 6. | भारी उद्योग मंत्रालय का प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7. | एक्सीलेरेटेर का प्रतिनिधि | सदस्य-सचिव |

विचारार्थ विषय

- क. तकनीकी समिति पात्र उद्योगों को कोहोर्ट में सम्मिलित करने,उनकी आनुपातिक वित्तीय सहभागिता एवं विकसित की जाने वाली विशिष्ट तकनीकों/उत्पादों का निर्णय करेगी।
- ख. स्कीम के तहत स्वीकृत प्रत्येक प्रगतिकारक (एक्सीलेरेटर) के लिए उपरोक्त तकनीकी सिमिति को उद्योगों का चयन पूर्ण होने के बाद पीआरएमसी के रूप में नामित किया जाएगा। अनुबंध-III में संलग्न विचारार्थ विषय पीआरएमसी के रूप में नामित होने के बाद तकनीकी सिमिति के लिए लागू होंगे। इसके अलावा, तकनीकी सिमिति कोहोर्ट के भीतर औद्योगिक भागीदारों के 20% हिस्से के वित्तीय योगदान के वितरण का भी फैसला करेगी।

अनुबंध- V

भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

भारतीय पूंजीगत वस्तु उद्योग में प्रतिस्पर्धा संवर्धन स्कीम, चरण-॥ के तहत प्रौद्योगिकी विकास हेतु उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना करने के लिए आवेदन-पत्र

[आवेदन और संलग्नक (डीपीआर सहित) निर्धारित प्रारूप में आवेदन और डीपीआर (एमएस वर्ड प्रारूप और पीडीएफ प्रारूप में से प्रत्येक में एक-एक) की सॉफ्ट प्रतियों के साथ हार्ड प्रतियों में प्रस्तुत किए जाने हैं।]

ऐसी प्रत्येक प्रौद्योगिकी विकास परियोजना के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जाए जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा को सुसाध्य बनाती हो (एक से अधिक प्रौद्योगिकी के मामले में, अलग शीट भरें)

कृपया किसी एक पर सही का निशान लगाएं: नया सीओई/मौजूदा सीओई

| 1. | परियोजना का नाम/शीर्षक | |
|----|--|--|
| 2. | परियोजना कार्यान्वयन संगठन (पीआईओ) | |
| 3. | पीआईओ के पदनामित अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण | |
| 4. | अनुसंधान और विकास परियोजना का क्षेत्र और पूंजीगत वस्तुओं की प्रासंगिकता (विशिष्ट मशीनरी/उपकरण का नाम इंगित करें) | |
| 5. | मौजूदा सीओई के मामले में, कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: चरण-I . में स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति कोई अन्य जानकारी | |
| 6. | इस परियोजना के आधार पर नया प्रौदयोगिकीय विकास करने के लिए पीआईओ की वर्तमान क्षमता | |

| 7. | क) उन उद्योग भागीदारों का विवरण जो अनुसंधान एवं विकास परियोजना की लागत में अंशदान करेंगे 7. इकाइयों का नाम और प्रचालन का क्षेत्र 8. इकाइयों का स्थान 9. प्रचालन शुरू करने की तिथि 10. पिछले 3 वर्षों का वार्षिक कारोबार आवेदक इकाई/कंपनी में कार्मिकों की संख्या | |
|-----|--|--|
| 8. | प्रमुख चिह्नित कमियों की प्रकृति संबंधी सूचना | |
| 9. | औचित्य, संक्षिप्त विनिर्देश और मदवार लागत सहित इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपकरण | |
| 10. | परियोजना की कुल लागत और अवधि (3 वर्ष से अधिक नहीं) | |
| 11. | वित्त के साधन | |
| 12. | उद्योग भागीदारों के वित्तीय योगदान का विवरण | |
| 13. | परियोजना हेतु भूमि एवं भवन उपलब्धता की स्थिति | |
| 14. | नई प्रौदयोगिकी/तकनीकी जानकारी के व्यावसायीकरण की संभावनाएं | |
| 15. | विकसित प्रौद्योगिकी/उत्पादों के संरक्षण के लिए प्रस्तावित आईपी अधिकार | |
| 16. | जानकारी के प्रसार के लिए आशयित लक्षित दर्शक | |
| 17. | संबंधित अनुसंधान एवं विकास, विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्य, यदि कोई हो, जो भारत में अन्य द्वारा किया जा रहा हो | |

नोट: विस्तृत डीपीआर के साथ नई प्रौदयोगिकी/उत्पादन, कार्यप्रणाली, विकास के लिए समय-सीमा, परीक्षण और सत्यापन तथा भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में इस नई प्रौद्योगिकी/उत्पाद के योगदान के उद्देश्य पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें।

अनुबंध-VI

भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

भारतीय पूंजीगत वस्तु उद्योग में प्रतिस्पर्धा संवर्धन स्कीम, चरण-II के अंतर्गत **साझा इंजीनियरिंग सुविधा केंद्र की स्थापना करने के लिए आवेदन-पत्र**

[आवेदन और संलग्नक (डीपीआर सहित) निर्धारित प्रारूप में आवेदन और डीपीआर (एमएस वर्ड प्रारूप और पीडीएफ प्रारूप में से प्रत्येक में एक-एक) की सॉफ्ट प्रतियों के साथ हार्ड प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएं]

कृपया किसी एक पर सही का निशान लगाएं: नया सीओई/मौजूदा सीओई

| 1. | परियोजना का नाम/शीर्षक | |
|----|--|--|
| 2. | परियोजना कार्यान्वयन संगठन (पीआईओ) | |
| 3. | पीआईओ के पदनामित अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण | |

| 4. | सेवा गतिविधि की प्रकृति, उत्पाद और प्रस्तावित स्थान | |
|-----|---|--|
| 5. | सीईएफसी परियोजना का क्षेत्र और पूंजीगत वस्तुओं की प्रासंगिकता | |
| 6. | मौजूदा सीईएफसी के मामले में, कृपया निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें: I. चरण-I में स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति II. वर्षवार आयोजित प्रशिक्षण की संख्या और कार्य क्षेत्र-वार विवरण प्रस्तुत किया जाए III. कोई अन्य जानकारी | |
| 7. | नया सीईएफसी परियोजना को शुरू करने के लिए पीआईओ की वर्तमान क्षमता | |
| 8. | क) उन उद्योग भागीदारों का विवरण, जो सीईएफसी परियोजना की लागत में अंशदान करेंगे 7. इकाइयों का नाम और प्रचालन का क्षेत्र 8. इकाइयों का स्थान 9. प्रचालन शुरू करने की तिथि 10. पिछले 3 वर्षों का वार्षिक कारोबार आवेदक इकाई/कंपनी में कार्मिकों की संख्या | |
| 9. | महत्वपूर्ण चिह्नित कमियों की प्रकृति संबंधी सूचना | |
| 10. | औचित्य, संक्षिप्त विनिर्देश और मदवार लागत सहित इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक उपकरण | |
| 11. | परियोजना की कुल लागत और अवधि (3 वर्ष से अधिक नहीं) | |
| 12. | वित्त के साधन | |
| 13. | उद्योग भागीदारों के वित्तीय अंशदान का विवरण | |
| 13. | परियोजना हेतु भूमि एवं भवन उपलब्धता की स्थिति | |
| 14. | नई प्रौदयोगिकी/तकनीकी जानकारी के व्यावसायीकरण की संभावनाएं | |
| 15. | परिसंपत्तियों के स्थायित्व के लिए राजस्व सृजन तंत्र (लिए जाने वाले सेवा/उपयोगकर्ता प्रभार या किसी अन्य प्रभार को विनिर्दिष्ट करें) | |
| 16. | जानकारी के प्रसार के लिए आशयित लक्षित दर्शक | |
| 17. | संबंधित सामान्य सुविधाएं जो भारत में अन्य द्वारा सृजित की जा रही हों,यदि हों | |

नोट: विस्तृत डीपीआर के साथ सीईएफसी की स्थापना के उद्देश्य, प्रदान की जाने वाली आधारभूत संरचना/सेवाओं, सीईएफसी के प्रचालन के लिए समय-सीमा, कवर किए जाने वाले लाभार्थी उद्योगों के विवरण और और भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में इसके योगदान पर एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें।

अनुबंध-VII

19

भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

भारतीय पूंजीगत वस्तु उद्योग में प्रतिस्पर्धा संवर्धन स्कीम, चरण-॥ के अंतर्गत उद्योग प्रगतिकारक (एक्सीलरेटर) की स्थापना करने के लिए आवेदन-पत्र

[आवेदन और संलग्नक (डीपीआर सहित) निर्धारित प्रारूप में आवेदन और डीपीआर (एमएस वर्ड प्रारूप और पीडीएफ प्रारूप में से प्रत्येक में एक-एक) की सॉफ्ट प्रतियों के साथ हार्ड प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएंगे]

| 1. | प्रगतिकारक (पीआईओ) का नाम | |
|-----|---|--|
| 2. | पीआईओ के नामित अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण | |
| 3. | परियोजना का क्षेत्र और पूंजीगत वस्तुओं की प्रासंगिकता | |
| 4. | उद्देश्य, दायरा और लक्षित आउटपुट | |
| 5. | महत्वपूर्ण चिह्नित कमियों की प्रकृति संबंधी सूचना | |
| 6. | परियोजना की कुल लागत और अवधि (2.5 वर्ष से अधिक नहीं) | |
| 7. | वित्त के साधन | |
| 8. | भौतिक लक्ष्य (वर्ष-वार) | |
| | नई प्रौद्योगिकी/तकनीकी जानकारी के व्यावसायीकरण की संभावनाएं | |
| 10. | विकसित प्रौद्योगिकी/उत्पादों की सुरक्षा के लिए प्रस्तावित आईपी अधिकार | |
| | क्या विकसित प्रौद्योगिकियों का उस विशेष खंड/उद्योग में गुणक प्रभाव होगा और आयातों पर संभावित प्रभाव क्या होगा? कृपया अगले 5 और 10 वर्षों के लिए आयात में कमी के अनुमान अलग से प्रस्तुत करें। | |

नोट: परियोजना में प्राप्त किए जाने वाले उद्देश्य, चुने जाने वाले प्रस्तावित उद्योग भागीदारों और तत्संबंधी औचित्य, कार्यप्रणाली, विकास के लिए समय सीमा, परीक्षण और सत्यापन, परियोजना के लिए गैर-तकनीकी सहायता और भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में इसके संभावित योगदान पर एक संक्षिप्त नोट विस्तृत डीपीआर के साथ प्रस्तुत करें।

अनुबंध-VIII

भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संवर्धन स्कीम,चरण-II के तहत

मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों को बढ़ाने के लिए आवेदन-पत्र

[आवेदन और संलग्नक (डीपीआर सहित) निर्धारित प्रारूप में आवेदन और डीपीआर (एमएस वर्ड प्रारूप और पीडीएफ प्रारूप में से प्रत्येक में एक-एक) की सॉफ्ट प्रतियों के साथ हार्ड प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएं]

| 1 | परियोजना का नाम | |
|----|---|--|
| 2 | परियोजना कार्यान्वयन संगठन (पीआईओ) | |
| 3 | नामित अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण | |
| 4 | परियोजना की कुल लागत | |
| 5 | परीक्षण और प्रमाणन का क्षेत्र और पूंजीगत वस्तु उद्योग के लिए प्रासंगिकता | |
| 6 | इस परियोजना को शुरू करने के लिए उपलब्ध सुविधा की वर्तमान क्षमता/पूर्वापेक्षा | |
| 9 | क्या मौजूदा परीक्षण और प्रमाणन केंद्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित है (साक्ष्य संलग्न करें) | |
| 10 | औचित्य, संक्षिप्त विवरण और मदवार लागत के साथ इस केंद्र का संवर्धन करने के लिए आवश्यक उपकरण | |
| 11 | 20% वित्तीय अंशदान के वित्तपोषण का विवरण | |
| 12 | भारतीय बाजार और अंतरराष्ट्रीय बाजार में मौजूदा मांग | |
| 13 | मौजूदा ग्राहकों/लाभार्थियों का विवरण; (घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों) | |
| 14 | वर्षवार इस संवर्धन से लाभान्वित होने वाले संभावित उद्योगों की संख्या और प्रकार तथा संवर्धन के पश्चात वर्षवार सृजित होने वाला राजस्व | |

नोट: परीक्षण और प्रमाणन केंद्र के संवर्धन के उद्देश्य, प्रदान की जाने वाली अवसंरचना/सेवाओं, संवर्धित केंद्र के प्रचालन के लिए समय सीमा, कवर किए जाने वाले लाभार्थी उद्योगों का विवरण और भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में इसके योगदान पर विस्तृत डीपीआर के साथ एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें।

अनुबंध-IX

भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संवर्धन स्कीम, चरण-॥ के तहत

अर्हता पैक (क्यूपी) विकास के लिए आवेदन-पत्र

[आवेदन और संलग्नक (डीपीआर सहित) निर्धारित प्रारूप में आवेदन और डीपीआर (एमएस वर्ड प्रारूप और पीडीएफ प्रारूप में से प्रत्येक में एक-एक) की सॉफ्ट प्रतियों के साथ हार्ड प्रतियों में प्रस्तुत किए जाएं]

| 1. | क्षेत्रक कौशल परिषद का नाम | |
|----|--|--|
| 2. | क्षेत्रक कौशल परिषद का नाम और संपर्क विवरण | |
| 3. | प्रस्तावित अर्हता पैक का नाम | |
| 4. | प्रस्तावित अर्हता पैक के विकास की आवश्यकता | |
| 5. | इस संबंध में किए गए उद्योग परामर्श और कमियों के विश्लेषण का विवरण | |
| 6. | लक्षित अर्हता पैक से सृजित होने वाली संभावित कार्य भूमिकाएँ | |

| 7. | लक्षित शिक्षार्थी | |
|----|--|--|
| 8. | पूंजीगत वस्तु क्षेत्र पर अपेक्षित परिणाम और समग्र प्रभाव | |
| 9. | अर्हता पैक के विकास के लिए आवश्यक कुल लागत और समय | |

नोट: क्यूपी तैयार करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तृत कार्य-योजना के साथ भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में कौशल निर्माण के लिए अर्हता पैक, कार्यप्रणाली, विकास के लिए समय-सीमा, इस नए अर्हता पैक के योगदान के उद्देश्य पर आवेदन के साथ एक संक्षिप्त नोट प्रस्तुत करें।

| परिशिष्ट-व |
|--|
| समझौता-ज्ञापन |
| "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संवर्धन" स्कीम, चरण-II (एतदुपरांत पूंजीगत वस्तु स्कीम-चरण-II के रूप मे संदर्भित) के '' घटक के अंतर्गत (परियोजना का नाम) नामतः "" वे विकास के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार और(पीआईओ का नाम) के बीच समझौता-ज्ञापन |
| (परियोजना का नाम) (एतदुपरांत "परियोजना" के रूप में संदर्भित) के विकास और निष्पादन के लिए आज वर्ष 2022 के (माह) की तारीख़ को इस समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले पक्ष हैं: |
| प्रथम पक्ष के रूप में भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार जिसका कार्यालय उद्योग भवन, नई दिल्ली में है (एतदुपरांत एमएचआई के रूप में संदर्भित जिसकी अभिव्यक्ति में संदर्भ की आवश्यकता होने पर अथवा स्वीकारोक्ति के लिए इसके उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती को शामिल माने जाएंगे)। |
| और |
| द्वितीय पक्ष के रूप में (पीआईओ का नाम) जिसका पंजीकृत कार्यालय |
| (एतदुपरांत संक्षेप में पीआईओ के रूप में संदर्भित जिसकी अभिव्यक्ति में संदर्भ की आवश्यकता होने पर अथवा स्वीकारोक्ति के लिए इसका उत्तराधिकारी और अनुमत समनुदेशिती शामिल माने जाएंगे)। |
| भारी उद्योग मंत्रालय (एमएचआई) और (पीआईओ का नाम) को अलग से "पक्ष" और सामूहिक रूप से "पक्षों" के रूप में संदर्भित किया गया है। |
| चूंकि, एमएचआई, भारत सरकार की "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र (पूंजीगत वस्तु स्कीम) में प्रतिस्पर्धा संवर्धन" स्कीम के घटक के अंतर्गत (परियोजना का नाम) के विकास हेतु भारत सरकार के अनुदान के लिए को आयोजित शीर्ष समिति की बैठक में एमएचआई ने |
| अनुपार कर्ना प्रमुख्या कर्मा का आवासिक साथ सामार का बठक में एमएवजाइ र मंजूरी दे दी है, |
| अतः, अब पक्षों द्वारा और उनके बीच यह सहमति बनी है कि परियोजना को (निम्नलिखित परिभाषाओं, उद्देश्यों, दायरे प्रदेय उत्पाद और प्रत्येक कार्यान्वयन एजेंसियों के दायित्वों के भीतर) कार्यान्वित किया जाएगा। |
| 1. परिभाषाएं |
| क. "पूंजीगत वस्तु स्कीम - चरण-॥" का अर्थ भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-॥, खंड 1, संमें प्रकाशित |
| एचई एंड एमटी की दिनांककी अधिसूचना संख्या में संकेतित भारी उद्योग मंत्रालय, भारत |
| सरकार की "भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र की वैश्विक प्रतिस्पर्धा संवर्धन स्कीम, चरण-II" से है। |
| ख. "परियोजना" का अर्थ पूंजीगत वस्तु स्कीम के '' घटक के अंतर्गत (पीआईओ का नाम) |
| द्वारा प्रस्तावित और पूंजीगत वस्तु स्कीम के अंतर्गत गठित शीर्ष समिति द्वारा दिनांक की बैठक में अनुमोदित परियोजना अर्थात् "" से है। |

| [মাণ I—खण्ड I] ———————————————————————————————————— | भारत का राजपत्र : अस ———————— | ।।धारण | |
|--|--------------------------------------|---|--------|
| किश्त | एमएचआई अनुदान (करोड़ रुपये) | उद्योग भागीदार () अंशदान (करोड़ रुपये) | |
| पहली | | | |
| दूसरी | | | |
| तीसरी | | | |
| चौथी | | | |
| | | | |
| | | | |
| कुल परियोजना लागत रुपये | | | |
| एमएचआई निधि जारी करेग | ा। निधि की निर्मुक्ति समझौता-ज्ञापन् | क खाते में पीआईओ द्वारा अंशदान की पुष्टि होने न, पूंजीगत वस्तु स्कीम, चरण-II, राजपत्र अधि ों/सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के अनुपा | ोसूचना |
| | | बजट अनुदान का उपयोग समझौता-ज्ञापन के | |
| और शर्तों के अनुपालन पर ि | नेर्भर करेगा। एमएचआई अनुदान की | प्रत्येक किश्त जारी करते समय पीआईओ चिह | नांकन- |

सूची (चेक लिस्ट) (अनुलग्नक-I) के अनुसार दस्तावेज जमा करेगा: 5.4 संग्रहण निधि और भारत सरकार के अनुदान की किश्तें एमएचआई और अनुदानग्राही संगठन के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर होने के बाद और सरकारी नियमों और अनुदेशों के अनुसार अनुदान सहायता जारी करने से जुड़ी औपचारिकताओं को पूरा करने पर जारी की जाएंगी। बाद की किश्तों को जारी करना परियोजना कार्यान्वयन संगठन (पीआईओ) द्वारा

अनुदान सहायता के संतोषजनक उपयोग, परिभाषित उपलब्धियों की पूर्ति और लक्ष्य के अनुसार परिणाम/आउटपुट और पीआरएमसी की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।

6. परियोजना के वित्तीय और वित्तपोषण मानदंड

| 6.1 पूंजीगत वस्तु स्कीम के अंतर्गत यह प | परियोजना एमएचआई द्वारा अनुदा | न सहायता के माध्यम से आंशिक रूप | से |
|---|------------------------------------|---|----|
| वित्तपोषित है और शेष का वित्तपोषण उद्यो | ग भागीदार द्वारा किया जाता है। अ | नुमोदित प्रस्ताव के अनुसार परियोजना व | ना |
| कुल स्वीकृत वित्तीय परिव्यय | ़ करोड़ रुपये है। यह | (परियोजना का नाम) व | नो |
| विकसित करने के लिए निवेश की कुल ला | ागत है। अनुदान सहायता परियोज | ना लागत का अधिकतम 80 प्रतिशत औ | र |
| रुपये तक सीमित है जिसे केवल | (घटक का नाम) | के प्रयोजनों के लिए उपयो | ग |
| किया जाना चाहिए। अनुदान सहायता के उ | उपयोग के परिणामस्वरूप उपर्युक्त पै | राग्राफ 4 में दर्शाए गए अनुसार लक्ष्यों व | नि |
| आउटपुट-वार प्राप्ति होगी। | | | |

| | लागत घटक | आउटपुट | राशि करोड़ रुपये में | | | |
|---|----------|--------|-------------------------|---------|-----------|-------------|
| | | | एमएचआई की हिस्सेदारी | उपलब्धि | उपलब्धि ॥ | उपलब्धि III |
| क | | | | | | |
| ख | | | | | | |
| ग | | | | | | |
| | कुल | | | | | |

| 6.2 जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया जाए, भारी उद्योग मंत्रालय से पीआईओ का वित्तपोषण भारतीय पूंजीगत वस्तु क्षेत्र |
|--|
| में प्रतिस्पर्धा संवर्धन स्कीम, चरण-II, के संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय की दिनांक की अधिसूचना (अ) संख्या |
| , एचई एंड एमटी (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित) तथा अन्य सरकारी आदेशों के साथ |
| पठित और समझौता-ज्ञापन के नियमों और शर्तों के अध्यधीन सामान्य वित्तीय नियमावली (जीएफआर) के संगत प्रावधानों |
| से शासित होगा। |

- 7. परियोजना कार्यान्वयन संगठन (पीआईओ) की भूमिका और उत्तरदायित्व जिसे अनुदानग्राही संगठन के रूप में भी जाना जाता है, जो वर्तमान मामले में है।
- 7.1 परियोजना कार्यान्वयन संगठन (पीआईओ) एमएचआई और अन्य-- दोनों से समय पर धन की प्राप्ति होने पर आउटपुट की समय पर अदायगी के प्रति उत्तरदायी होगा।
- 7.2 पीआईओ इस परियोजना के निष्पादन हेतु एमएचआई द्वारा जारी निधि के लिए परियोजना हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में एक अलग बचत बैंक खाता रखेगा।
- 7.3 अनुदान सहायता का उपयोग भूमि के निर्माण अथवा/और भवन के निर्माण के लिए नहीं किया जाएगा।
- 7.4 पीआईओ परियोजना के अंतर्गत प्राप्त उपकरणों/ज्ञान के उचित संचालन और रखरखाव की व्यवस्था करेगा। पीआईओ इस परियोजना के अंतर्गत एक "ट्रस्ट रिसीट" द्वारा उपकरणों की खरीद की स्वीकृति देगा जो इस दस्तावेज़ में परिशिष्ट-ङ के रूप में संलग्न है।
- 7.5 पीआईओ यह सुनिश्चित करेगा कि जारी की गई धनराशि का उपयोग केवल परियोजना के उद्देश्य के लिए हो। पीआईओ एक त्रैमासिक उपयोग रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित व्यय विभाग के दिशानिर्देशों _____ के अनुसार लेखाओं का लेखापरीक्षित विवरण प्रस्तुत करेगा।
- 7.6 पीआईओ एमएचआई अधिकारियों (या नामितों/प्रतिनिधियों) और शीर्ष समिति-पूंजीगत वस्तु स्कीम (एसी-पूंजीगत वस्तु) के सदस्यों और उनके प्रतिनिधियों को परियोजना से संबंधित सभी सुविधाओं/परिसंपत्तियों और उनके रिकॉर्ड तक सहज पहुंच प्रदान करेगा।
- 7.7 पीआईओ समझौता-ज्ञापन में निर्धारित पड़ावों के अनुसार परियोजना की प्रगति को हासिल करने और पीआरएमसी को नियमित रूप से रिपोर्ट करने के प्रति भी उत्तरदायी होगा।
- 7.8 पीआईओ वेब डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर टूल्स, क्लाउड स्पेस हायरिंग, सर्वर, कंपाइलर, नेटवर्क हार्डवेयर और एक्सेसरीज, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग टूल्स/अनुदान सहायता/उनके स्वयं के अंशदान से हासिल किए गए ऐप्स सहित स्थायी और अर्ध-स्थायी परिसंपत्तियों का एक अचल परिसंपत्ति रजिस्टर रखने के साथ-साथ उनके उपयोग का रिकॉर्ड (लॉग) भी अनुरक्षित रखेगा। पीआईओ को विशेष रूप से खरीदी गई मशीन के बीजकों, भुगतान रसीद और बाजार मूल्य सहित विक्रेता से असली नए सॉफ्टवेयर खरीद का प्रमाण रखना चाहिए। भारी उद्योग मंत्रालय रजिस्टर/लॉग का किसी भी समय निरीक्षण कर सकेगा।
- 7.9 इस प्रकार सृजित परिसंपत्तियों का उपयोग जनहित में होगा और इसकी जिम्मेदारी सीपीएसई/स्वायत्त निकायों/जीएफआर 2017 के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार पीआईओ की होगी।
- 7.10 पीआईओ यह सुनिश्चित करेगा कि भारी उद्योग मंत्रालय के पूर्वानुमोदन के बिना परिसंपत्तियों का निपटान/ विक्रय/हस्तांतरण/पट्टाकरण/किराए पर/हस्तांतरण नहीं किया जाएगा।
- 7.11 प्रयोक्ता प्रभारों/शुल्कों का निर्धारण करते समय पीआईओ राजस्व फार्मूले में एमएचआई अनुदान नहीं जोड़ेगा।
- 7.12 पीआईओ यह सुनिश्चित करेगा कि सृजित बुनियादी ढांचा पूंजीगत वस्तु और ऑटो सेक्टर की इकाइयों -- विशेष रूप से जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र से संबंधित हों, के लिए उपलब्ध रहें ताकि वे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें।
- 7.13 पीआईओ अपने प्रचालन में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों के नियमों सहित वहाँ के कानून का पालन करने के प्रति भी उत्तरदायी होगा।
- 7.14 पीआईओ से संबंधित अथवा उसके द्वारा उपयोग किए जाने और/या भारत सरकार को प्रस्तुत किसी भी तकनीकी जानकारी, डेटा या प्रक्रिया या डिजाइन के उपयोग के परिणामस्वरूप किसी पेटेंट, पंजीकृत डिजाइन या बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में भारत सरकार के विरुद्ध तीसरे पक्ष द्वारा लाए गए किसी भी दावे, कार्रवाई या मुकदमे से उत्पन्न होने वाली सभी लागतों, क्षतियों और खर्चों से पीआईओ भारत सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा और संरक्षित रखेगा।

- 7.15 पीआईओ इस संविदा को निष्पादित करते समय श्रम अधिनियमों और नियमों का अनुसरण और अनुपालन करेगा तथा और श्रम अधिनियमों और नियमावली के किसी भी उल्लंघन से उत्पन्न होने वाले सभी दावों, लागतों, क्षतियों और खर्चों से भारत सरकार को सुरक्षित और संरक्षित रखेगा।
- 7.16 यदि पीआईओ भारत में परियोजना के प्रयोजन के लिए कोई उपकरण/पार्ट, सॉफ्टवेयर आदि आयात करने का प्रस्ताव करता है, तो ऐसे आयात संबंधी सभी शुल्कों का भुगतान पीआईओ द्वारा सीधे संबंधित प्राधिकरणों को किया जाएगा। इस मद में एमएचआई की कोई देनदारी वहन नहीं करेगा। यह पीआईओ का दायित्व होगा कि वह सीमा शुल्क अधिकारियों और अन्य सरकारी प्राधिकारियों को आवश्यक विवरण और दस्तावेज उपलब्ध कराए और मामले का समय पर निपटाए तथा सामग्री को गंतव्य पर पहुंचाए। इस संबंध में किसी भी प्रकार की देरी, विलंब शुल्क, शास्ति, प्रभार और नुकसान (यदि कोई हो) का पूरा उत्तरदायित्व पीआईओ का होगा।
- 7.17 पीआईओ परियोजना लागत के अंतर्गत अनुदान सहायता का उपयोग करके परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्राप्त सभी मशीनरी और उपकरणों आदि का न्यूनतम 5 वर्ष की अविध के लिए बीमा करेगा और बीमा को जारी रखा जाना सुनिश्चित करेगा। ऐसी मशीनरी और उपकरण आदि के नुकसान या क्षित के मामले में बीमा लाभ भारत सरकार को देय होगा।
- 7.18 पीआईओ सभी महत्वपूर्ण कार्यों के गुणवत्ता दस्तावेज/फोटोग्राफ और वीडियो रिकॉर्डिंग सुनिश्चित करेगा और पीआरएमसी द्वारा निगरानी के दौरान इसे प्रस्तुत करेगा।

8. अनिवार्य दायित्व

- 8.1 पीआईओ के लिए यह अनिवार्य है, अर्थात, शीर्ष समिति के सदस्यों, समीक्षा समिति के सदस्यों/भारी उद्योग मंत्रालय के अधिकारियों/इसके प्रतिनिधियों को उनके कार्यस्थल पर स्थित परियोजना से संबंधित सभी सुविधाओं/परिसंपत्तियों और रिकार्डों तक निःशुल्क पहुंच सुनिश्चित करना है।
- 8.2 पीआईओ अपने पोर्टल/वेबसाइट और अन्य जगहों सहित सभी प्रकाशनों, रिपोर्टों, प्रचार, प्रस्तुतीकरण सामग्री, सृजित परिसंपत्तियों/सुविधाओं, कार्यक्रमों आदि में इस परियोजना के वित्तपोषण के लिए भारी उद्योग मंत्रालय को विधिवत रूप से प्राप्ति सूचना देगा।
- 8.3 पीआईओ परियोजना के सभी प्रदेय उत्पाद भारी उद्योग मंत्रालय को उपलब्ध कराएगा, जैसे-_____(परियोजना का नाम)......... से संबंधित पूर्ण दस्तावेज (मशीनरी और उपकरण सहित), डिजाइन आदि। बंदी का अनुरोध करते समय पीआईओ भारी उद्योग मंत्रालय को लक्षित प्रौद्योगिकी के सभी चित्र, विवरण और तकनीकी जानकारी प्रस्तुत करेगा।
- 8.4 पीआईओ अनुबंध-ग में इस समझौता ज्ञापन में संलग्न आईपीआर करार के नियमों और शर्तों का पालन करेगा, जो इस समझौता ज्ञापन का एक हिस्सा होगा।
- 8.5 सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, अनुदान स्वीकृत करने वाले प्राधिकारी की पूर्वानुमित प्राप्त किए बिना, अप्रचलित और अनुपयोगी या निषिद्ध घोषित के सिवाय, सरकारी अनुदान से पूर्णतः या पर्याप्त रूप से पीआईओ द्वारा अर्जित परिसंपत्तियों/मशीनरी/सुविधाओं का निपटान भारग्रस्त या किसी अन्य प्रयोजन/परियोजना के लिए उपयोग नहीं किया जाएगा। कंपनी अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुसार संगठन के समापन या विघटन के मामले में, मंत्रालय द्वारा अनुदान सहायता से अर्जित सभी परिसंपत्तियों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित नीति और समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार भारत सरकार के पास उस संबंध में भारत सरकार की नीति, समय-समय पर किए गए संशोधन के अनुसार परिसंपत्ति के निपटान के सभी अधिकार होंगे।
- 8.6 यदि समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 238 के अनुसार एकमुश्त सहायता के रूप में अनावर्ती अनुदान 50 लाख रूपये और उससे अधिक हो, तो अनुदानग्राही द्वारा मंत्रालय को अनुदानग्राही के आगामी वित्तीय वर्ष की समाप्ति की निर्धारित अविध के भीतर पीआईओ के वार्षिक रूप से लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करना होगा।

- 8.7 भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक और भारी उद्योग मंत्रालय के प्रधान लेखा कार्यालय के आंतरिक लेखा-परीक्षा दल, दोनों के द्वारा अनुदान सहायता को अनुमोदित करने वाले प्राधिकारी के निरीक्षण के लिए अनुदान खातों को खुला रखा जाएगा जब कभी अनुदानग्राही संस्था पीआईओ को ऐसा करने के लिए कहे।
- 8.8 पीआईओ को प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद एक महीने की अवधि के भीतर समय-समय पर संशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 238 के अनुसार परियोजना के लेखापरीक्षित विवरण के साथ एक निष्पादन-सह-उपलब्धि रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- 8.9 अनुदान सहायता लाभ का स्रोत नहीं होनी चाहिए। यदि लेखापरीक्षित लेखों की जांच के बाद मंत्रालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि अनुदान सहायता लाभ का स्रोत रही है, तो पीआईओ भारत सरकार को अर्जित लाभ की राशि को तत्काल वापस करेगा।
- * लाभ का स्रोतः उन उद्देश्यों के लिए जो परियोजना के कार्यक्षेत्र का हिस्सा नहीं बनते हैं, सरकारी अनुदान से खरीदे गए संसाधनों (मशीनरी और अन्य संपत्ति) का उपयोग करके पीआईओ द्वारा सृजित लाभ/आय।
- 8.10 अनुदानग्राही संगठन किसी भी उद्देश्य के लिए प्राप्त आवर्ती/अनावर्ती अनुदान सहायता पर अर्जित ब्याज का उपयोग नहीं करेगा। अर्जित ब्याज को उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) में दर्शाया जाएगा और उसे समय-समय पर यथासंशोधित सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 230(8) के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद भारी उद्योग मंत्रालय को वापस किया जाएगा।
- 8.11 पीआईओ उन वस्तुओं पर कोई व्यय नहीं करेगा, जिनकी खरीद पर भारत सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया हो।
- 8.12 स्वैच्छिक संगठनों के मामले में, अनुदान जारी किए जाने से पूर्व, अनुदानग्राही की कार्यकारी समिति के सदस्यों को निम्नलिखित के लिए एक निर्धारित प्रारूप में स्वयं को संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी बनाते हुए करते बंध-पत्र निष्पादित करने की आवश्यकता होती है (बंध-पत्र का निष्पादन अर्ध-शासकीय संस्थानों, केंद्रीय स्वायत्त संगठनों और संस्थानों पर लागू नहीं होगा, जिनका बजट सरकार द्वारा अनुमोदित होता है): -
- क) निर्दिष्ट लक्ष्य तिथियों (यदि कोई हों) के अनुसार अनुदान सहायता की शर्तों का पालन करना; तथा
- ख) अनुदान का विपथन नहीं करना या स्कीम या संबंधित कार्य को किसी अन्य संस्थान या संगठन को न सौंपना; तथा
- ग) अनुदान सहायता को नियंत्रित करने वाले करार में निर्दिष्ट किन्हीं अन्य शर्तों का पालन करना।
- घ) अनुदानग्राही द्वारा शर्तों का पालन करने में विफल रहने या बंध-पत्र की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में, बंध-पत्र के हस्ताक्षरकर्ता संयुक्त रूप से और अलग-अलग उस पर दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित अनुदान या बांड के तहत निर्दिष्ट राशिपूर्ण या आंशिक राशि भारत के राष्ट्रपति को वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे।
- 8.13 पीआईओ के खिलाफ किसी भी परिसमापन या दिवालियापन की कार्यवाही की स्थिति में, पीआईओ द्वारा या अनुदान सहायता की सहायता से परियोजना के प्रयोजन के लिए खरीदी गई परिसंपत्तियों; मशीनरी और उपकरण, सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर को ऐसी कार्यवाही से बाहर रखा जाएगा और भारत सरकार पीआईओ के नियंत्रण और प्रबंधन को ग्रहण कर सकेगीत तथा परियोजना को चलाने के लिए अपने किसी अधिकारी या अधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति कर सकेगी।
- 8.14 पीआईओ के लिए परियोजना कार्यान्वयन के अंतिम स्तर तक उन्हें स्वीकृत सरकारी अनुदान प्राप्त करने और निधि प्रवाह, अप्रयुक्त शेष आदि पर नज़र रखने के लिए सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस अर्थात www.pfms.nic.in) पर परियोजना में स्वयं और सभी प्रतिभागी संगठनों को पंजीकृत करना अनिवार्य है। परियोजना के संबंध में पीआईओ को उस महीने के प्रत्येक अंतिम दिन अप्रयुक्त शेष राशि पर डेटा प्रस्तुत करना आवश्यक है जिसके लिए सरकारी अनुदान निर्मुक्त किया गया हो।
- 8.15 पीआईओ के लिए सीएमटीआई, आईआईटी मद्रास, आईसीएटी, एआरएआई, एचएमटी-आईआईएससी बेंगलूरु और बीएचईएल द्वारा विकसित छह प्रौद्योगिकी नवाचार पोर्टलों में से किसी पर पंजीकरण कराना अनिवार्य है।
- 8.16 पीआईओ भारी उद्योग मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के बिना परियोजना के रूप या मूल उद्देश्यों/परिणामों/आउटपुट को नहीं बदलेगा। संबंधित अपर सचिव/संयुक्त सचिव, एचई एंड एमटी अनुभाग की लिखित अनुमित के बिना सहायता प्राप्त परियोजना के उद्देश्यों में संशोधन नहीं किया जाएगा।

9. परियोजना समन्वय संगठन — भारी उद्योग मंत्रालय की भूमिका और उत्तरदायित्व

- 9.1 भारी उद्योग मंत्रालय अनुदान अनुमोदित और उपलब्ध कराएगा और परियोजना की प्रगति की समीक्षा करेगा।
- 9.2 भारी उद्योग मंत्रालय परियोजना की वित्तीय, तकनीकी और वास्तविक प्रगति और पीआरएमसी की सिफाऱिशों के आधार पर परियोजना के निष्पादन के लिए नामित बचत खाते में पीआईओ अर्थात _____ को निधियां निर्मुक्त करेगा।
- 9.3 भारी उद्योग मंत्रालय पीआईओ द्वारा अनुदान के उपयोग की निगरानी करेगा ताकि जारी की गई निधियों का उपयोग पीआईओ द्वारा केवल उस परियोजना घटक के लिए किया जा सके जिसके लिए इसे जारी किया गया है।
- 9.4 भारी उद्योग मंत्रालय स्वयं से किसी भी वैज्ञानिक कार्य या प्रौद्योगिकी विकास/निष्पादन के लिए उपकरण/सुविधाओं का उपयोग करने; सॉफ्टवेयर प्राप्त/विकसित करने के लिए स्वतंत्र होगा या पीआईओ से सार्वजनिक उद्देश्य के लिए वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी विकास/निष्पादन हेतु किसी अन्य संगठन/एजेंसी या विनिर्माता द्वारा इस अवसंरचना/सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर के उपयोग के लिए अनुरोध कर सकेगा।
- 9.5 भारी उद्योग मंत्रालय वैज्ञानिक अनुसंधान पर किए गए खर्च के लिए आईटी अधिनियम की धारा-35 के तहत केंद्र सरकार से अनुमोदन सुसाध्य बनाने के लिए आवश्यक प्रमाण पत्र/दस्तावेज (जहां कहीं लागू हो) प्रदान करेगा।
- 9.6 सभी पत्राचार अपर/संयुक्त सचिव (एचई एंड एमटी), भारी उद्योग मंत्रालय को संबोधित किए जाएंगे जो परियोजना से संबंधित सभी मामलों के लिए संपर्क अधिकारी होंगे।

10. अनुवीक्षण प्रगति

- 10.1 पीआईओ स्कीम दिशानिर्देशों के पैरा ____ के अनुपालन में तिमाही के पूरा होने के बाद एक महीने के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए उपलब्धियों के संदर्भ में परियोजना की प्रगति (वास्तविक/तकनीकी और वित्तीय) प्रस्तुत करेगा। तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के उद्देश्य से, पहली तिमाही प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अप्रैल में शुरू होती है। तकनीकी और वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत की जानी है।
- 10.2 भारी उद्योग मंत्रालय एक परियोजना समीक्षा और अनुवीक्षण समिति (पीआरएमसी) का गठन करेगा जिसमें परियोजना दल की नियमित समीक्षा और मार्गदर्शन करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय, पीआईओ, उद्योग संघ, उपयोगकर्ता उद्योग और बाहर से कार्यक्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होंगे।
- 10.3 प्रत्येक परियोजना के लिए गठित पीआरएमसी परियोजना अनुसूची में निर्दिष्ट पड़ावों और पीआईओ द्वारा प्रस्तुत तिमाही प्रगति रिपोर्ट के संदर्भ में परियोजना की प्रगति की निगरानी करेगी।
- 10.4. रिपोर्ट की गई प्रगति पर पीआरएमसी की सिफारिश और अनुदान जारी करने के अनुरोध के बाद पड़ावों(माइलस्टोन) से जुड़े अनुदान जारी किए जाएंगे।
- 10.5 वित्त वर्ष के अंत में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के साथ परियोजना की वार्षिक रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।

11. पूंजीगत वस्तु स्कीम-II संबंधी शीर्ष समिति द्वारा परियोजना समीक्षा

- 11.1 शीर्ष समिति अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति की दो बार समीक्षा करेगी।
- 11.2 एसी-पूंजीगत वस्तु में प्रगति समीक्षा के दौरान पीआईओ और लाभार्थी इकाइयों को आमंत्रित किया जा सकता है।
- 11.3 निगरानी के उद्देश्य से, भारी उद्योग मंत्रालय वास्तविक सत्यापन के लिए अपना दल भेज सकता है।
- 11.4 निगरानी से परियोजना के अनुमोदन में परिवर्तन की आवश्यकता स्पष्ट हो सकती है जिस पर शीर्ष समिति द्वारा परियोजना के उद्देश्य को बदले बिना उनकी योग्यता के आधार पर विचार किया जा सकता है।

12. निधि उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) और परियोजना लेखे

12.1 बाद के अनुदान जारी करने से पहले, पीआईओ प्रगति रिपोर्ट और परियोजना लेखा विवरण की विधिवत टिप्पणी की गई/समायोजित प्रमाणित प्रति के साथ निर्दिष्ट प्रारूप (फॉर्म सामान्य वित्तीय नियमावली 12-क) (सामान्य वित्तीय नियमावली 2017 के नियम 238 (1)) में निधि उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) जमा करेगा।

- 12.2 पीआईओ के "लेखा अधिकारी" या अधिकृत "लेखा परीक्षकों" या "लेखा प्रमुख" द्वारा वित्तीय विवरणों को दर्शाने वाले सभी उपयोगिता प्रमाणपत्रों की लेखापरीक्षा और प्रमाणीकरण किया जाएगा।
- 12.3 वित्तीय वर्ष के समापन की निर्धारित अवधि के भीतर, जिसमें अनुदान सहायता निर्मुक्त की गई है या निधि निर्मुक्त करने के लिए अनुरोध करते समय खातों के लेखापरीक्षित विवरण के साथ पीआईओ को अनुदानों के उपयोग के संबंध में उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना चाहिए, जिस उद्देश्य/उद्देश्य के लिए उन्हें वह स्वीकृत किया गया था।
- 12.4 परियोजना खातों का रखरखाव सरकारी आदेश/सामान्य वित्तीय नियम (सामान्य वित्तीय नियमावली) 2017 और सर्वोत्तम पद्धित के अनुसार किया जाएगा। अधिकृत हस्ताक्षरकर्ताओं के नाम भारी उद्योग मंत्रालय को सूचित किए जाएंगे।
- 12.5 बाहरी लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत लेखापरीक्षित खातों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में भारी उद्योग मंत्रालय को भेजा जाएगा।
- 12.6 परियोजना में अप्रयुक्त शेष/बैंक ब्याज/अन्य आय को ध्यान में रखा जाएगा। भारी उद्योग मंत्रालय के कोष में सभी निवेश प्राप्तियों के संबंध में पीआईओ को भारी उद्योग मंत्रालय को सूचित करना अनिवार्य होगा। इसे समग्र मंजूरी के दायरे में भारी उद्योग मंत्रालय के अनुदान के रूप में गिना जाएगा। ऐसी आय का विवरण उपयोगिता प्रमाण-पत्र में निहित होगा।
- 12.7 मंजूरी के अलावा, अन्य उद्देश्यों पर खर्च किए गए अनुदान/बैंक ब्याज पर देश के कानून के उपबंधों के अनुसार मामला-दर-मामला आधार पर शास्ति और अन्य दंड लागू होंगे।

13 परियोजना का समापन और तकनीकी रिपोर्ट

- 13.1 कोई भी परियोजना तभी समाप्त मानी जाएगी जब सभी परिणाम/निष्कर्ष और उपलब्धियां पीआरएमसी द्वारा प्राप्त और प्रमाणित की गई हों।
- 13.2 परियोजना समाप्त होने की रिपोर्ट पीआईओ द्वारा पीआरएमसी के माध्यम से अपर/संयुक्त सचिव (एचई एंड एमटी), भारी उद्योग मंत्रालय को दी जाएगी।
- 13.3 अपर सचिव/संयुक्त सचिव, एचई एंड एमटी प्रभाग अंततः पीआरएमसी की सिफारिशों पर परियोजना के समाप्त होने के अनुरोध को मंजूरी देगा।
- 13.4 पीआईओ परियोजना के समाप्त होने के एक माह के भीतर भारी उद्योग मंत्रालय को एक सॉफ्ट कॉपी के साथ एक परियोजना समापन रिपोर्ट (तकनीकी-सह- वित्तीय) प्रस्तुत करेगा। पीआईओ परियोजना समापन रिपोर्ट के साथ सृजित आईपीआर की प्रतिक्रिया, सुझाव, रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेगा। इस तरह की समापन रिपोर्टों का उपयोग पूंजीगत वस्तु-स्कीम के मूल्यांकन और पूंजीगत वस्तु-स्कीम के शुरूआती चरण का मसौदा तैयार करने के लिए किया जाएगा।
- 13.5 पीआईओ का यह प्रयास हो कि परियोजना निर्धारित समय-सीमा में पूरी हो। किन्तु, यदि अपरिहार्य परिस्थितिवश परियोजना में निर्धारित समय से अधिक समय लग रहा हो, तो पीएमआरसी पीआईओ को इसका औचित्य बताएगी और पीआरएमसी इस संबंध में भारी उद्योग मंत्रालय को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगी। समय और लागत में वृद्धि पर पीआईओ द्वारा मामला-दर-मामला आधार पर निर्दिष्ट विशेष परिस्थितियों में ही विचार किया जाएगा। निर्धारित समय से अधिक समय लगने पर अपर सचिव/संयुक्त सचिव, एचई एंड एमटी, भारी उद्योग मंत्रालय और लागत में वृद्धि के लिए शीर्ष समिति अंतिम प्राधिकारी होगी और उनके निर्णय पीआईओ के लिए बाध्यकारी होंगे।
- 13.6 एसी-पुंजीगत वस्तु के सभी निर्णय पीआईओ और उद्योग भागीदार पर बाध्यकारी होंगे।

14. गोपनीयता

- 14.1 पीआईओ, भारी उद्योग मंत्रालय की पूर्व सहमित को छोड़कर, परियोजना के समापन/संचालन तक इस समझौता-ज्ञापन के तहत सौंपे गए कार्य से संबंधित सभी सूचना और आदान-प्रदान/सृजित किए गए डाटा के प्रति सख्त गोपनीयता बनाए रखेगा और इसके प्रकटीकरण को रोकेगा।
- 14.2 उपर्युक्त शर्त सूचना का अधिकार और देश के अन्य कानूनों के अधीन है।

15. सांविधिक अपेक्षाएं

15.1 परियोजना का कार्यान्वयन पीआईओ द्वारा सांविधिक उपबंधों, जैसे- कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम या संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित अन्य किसी संबंधित अधिनियम और केंद्र या संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उसके तहत बनाए गए किसी भी नियम/कानून के अनुसार किया जाएगा।

15.2 चूंकि परियोजना पीआईओ के लिए स्वीकृत है, अतः इसे किसी अन्य संस्थान को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में संस्थान के भीतर या उसी प्रबंधन के तहत अन्य संस्थानों के साथ परियोजना धनराशि के अंतरण की अनुमित नहीं है।

16. अप्रत्याशित घटना

16.1 प्रतिभागी किसी भी पक्ष को इस समझौता-ज्ञापन के तहत एक या एक से अधिक अप्रत्याशित घटनाओं, जैसे- दैविक कृत्य, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएँ, यथा- बाढ़, भूकंप आदि और हड़ताल, तालाबंदी, महामारी, दंगे, असैन्य क्षोभ आदि (जो केवल इन्हीं कारणों तक सीमित नहीं है) के लिए अपने संबंधित दायित्वों को पूरा न करने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, बशर्ते ऐसी किसी भी घटना के समाप्त होने की स्थिति में, ऐसी घटना होने या समाप्ति के एक महीने के भीतर एक पक्ष दूसरे पक्ष को लिखित रूप में नोटिस दे।

16.2 यदि अप्रत्याशित घटना की स्थिति छह महीने के बाद भी जारी रहती है, तो भारी उद्योग मंत्रालय और पीआईओ पारस्परिक रूप से भावी कार्रवाई का फैसला करेंगे।

17. समझौता-ज्ञापन की वैधता

समझौता-ज्ञापन जारी होने की तारीख से लागू होगा और जारी होने की तारीख से 31 मार्च 2025 तक या भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा परियोजना समापन प्रमाण-पत्र जारी करने की तारीख तक (जो भी बाद में हो) वैध रहेगा।

18. समझौता-ज्ञापन के नियमों और शर्तों में संशोधन

नियम और शर्तों में कोई संशोधन या आशोधन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक वह भारी उद्योग मंत्रालय और पीआईओ या उनके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा लिखित रूप में न किया जाए और विशेष रूप से जब तक इसे इस समझौता ज्ञापन का संशोधन बताया जाए। इस समझौता-ज्ञापन में कोई भी संशोधन करने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय की ओर से शीर्ष समिति के अनुमोदन की पूर्वापेक्षा होगी। आशोधन/परिवर्तन उसे लिखित में लाए जाने/कार्यान्वित किए जाने की तिथि से प्रभावी होंगे, जब तक अन्यथा सहमति न हो।

19. विवादों का समाधान

- 19.1 भारी उद्योग मंत्रालय और पीआईओ के बीच किसी भी विवाद की स्थिति में, पहली बार में, इसे परस्पर विचार-विमर्श से सुलझाया जाएगा।
- 19.2 यदि विवाद का आपसी समाधान नहीं होता है, तो सचिव, भारी उद्योग को विवाद का निर्णय करने के लिए एक मध्यस्थ को नामित करने का अधिकार होगा। मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय, सचिव, भारी उद्योग को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

20. क्षेत्राधिकार

भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा तत्काल जारी समझौता-ज्ञापन और पीआईओ द्वारा इसकी स्वीकृति से एक करार तैयार किया जाएगा। दिल्ली के न्यायालयों के पास इस समझौते से संबंधित ऐसे सभी मामलों का क्षेत्राधिकार होगा जिसमें मध्यस्थता की कार्यवाही या उसमें दिए गए किसी भी निर्णय से उत्पन्न कोई भी मामला शामिल हो।

21. शासी कानून

| इस समझौता-ज्ञापन में समाविष्ट होने के बावजूद, इस समझौता-ज्ञापन के किसी भी उपबंध के बीच किसी भी विरोध | ाभास |
|---|-------|
| की स्थिति में, पूंजीगत वस्तु स्कीम चरण-II पर भारी उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना के उपबंधों के साथ सा | मान्य |
| वित्तीय नियमवली 2017/और अन्य प्रासंगिक सरकारी निर्देशों/आदेशों (समय-समय पर यथासंशोधित) में उत्तरवर्ती | मान्य |
| होगा। इस उद्देश्य के लिए पूंजीगत वस्तु स्कीम पर भारी उद्योग मंत्रालय की दिनांक की अधिग | पूचना |
| /सामान्य वित्तीय नियमावली 2017/सरकारी निर्देशों/आदेशों की व्याख्या करने का अधिकार सचिव, | भारी |
| उद्योग मंत्रालय के पास होगा। | |

22. परियोजना का समापन

- 22.1 भारी उद्योग मंत्रालय इस व्यवस्था को 30 कैलेंडर दिनों की लिखित नोटिस पर या नीचे दिए गए पैराग्राफ में निर्दिष्ट किसी भी घटना के घटित होने के बाद समाप्त कर सकेगा:
- (क) यदि पीआईओ करार के अनुसार अपने दायित्वों के निष्पादन में विफलता का समाधान इस तरह की विफलता के अधिसुचित होने के 60 दिनों के भीतर या ऐसी आगे की अवधि (जिसे भारी उद्योग मंत्रालय ने बाद में लिखित रूप में अनुमोदित किया हो) न करे:
- (ख) यदि पीआईओ दिवालिया या ऋणशोधन में अक्षम हो जाए: या
- (ग) यदि अप्रत्याशित घटना के परिणामस्वरूप पीआईओ अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ हो।

इस व्यवस्था की समाप्ति इस समझौता-ज्ञापन के पक्षों को दिए गए अधिकारों और लाभों या देनदारियों और कर्तव्यों को किसी भी तरह से प्रभावित न करे।

इस बात का साक्षी कि इसके पक्षों ने यहां पर्वोल्लिखित वर्ष और महीने के दिन इस समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

| के लिए/की ओर से | भारी उद्योग मंत्रालय के लिए/ की ओर से |
|-----------------|---------------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

न्यास प्राप्ति (ट्रस्ट रिसीट)

| 1. भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022 के | माह की | तारीख़ को | (उद्देश्य)वे | ħ |
|---|---------------|------------|-----------------|----|
| लिए(परियोजना का नाम) हेतु लिए(परि | योजना का नाम) | को संबोधित | समझौता-ज्ञापन व | के |
| मामले में। | | | | |

- 2. मूर्त और अमूर्त परिसंपत्ति, सुजित ज्ञान और तकनीकी जानकारी, डेटा, डेटा भंडार, वेब विकास सॉफ्टवेयर उपकरण, क्लाउड स्पेस हायरिंग, सर्वर, कंपाइलर, नेटवर्क हार्डवेयर और सहायक उपकरण के संसाधन और प्रौद्योगिकियां, सॉफ्टवेयर परीक्षण उपकरण/विषय परियोजना के लिए भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई धनराशि के साथ के नाम से खरीदे गए अनुप्रयोग, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान और उसके बाद तब तक के लिए, जब तक वे समझौता-ज्ञापन में उल्लिखित उद्देश्य के लिए उपयोगी हैं, के साथ ट्रस्ट में रखे जाएंगे।
- 3. पैरा 2 में वर्णित उपर्युक्त को भारी उद्योग मंत्रालय के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना हमारे द्वारा पीआईओ में स्थानांतरण या निपटान नहीं किया जाएगा और के पास रहेगा।
- 4. इसे साक्षी के तौर पर 1., 2......, 3....... की उपस्थिति में(दिन)(महीना)...., (वर्ष).... को निष्पादित किया गया है।

हस्ताक्षरकर्ता

| क्र.सं. | नाम | व्यवसाय और पता | हस्ताक्षर |
|---------|-----|----------------|-----------|
| | | | |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |

साक्षी की उपस्थिति में के लिए और की तरफ से:

| क्र.सं. | नाम | व्यवसाय और पता | हस्ताक्षर |
|---------|-----|----------------|-----------|
| 1. | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2. | | | |
| | | | |
| | | | |

नोट- यह एक प्रतिदर्श समझौता-ज्ञापन/मसौदा समझौता-ज्ञापन है और वास्तविक समझौता-ज्ञापन भारी उद्योग मंत्रालय के पीआईओ के साथ परियोजना परामर्श की आवश्यकता के अनुसार भिन्न हो सकता है।

अनुलग्नक-ख

भारी उद्योग मंत्रालय से अनुदान जारी करने के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची

- (i) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 231(2) और 231(3) के अनुपालन में निजी संगठनों द्वारा प्रस्तुत विधिवत निष्पादित बंध-पत्र (बांड);
- (ii) पूर्व रसीद;
- (iii) बैंक अधिदेश फॉर्म;
- (iv) पीआईओ का स्वीकृति पत्र;
- (v) सामान्य वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 86(6) के अनुसार उपयोग प्रमाण-पत्र (पहली किस्त और अग्रिम संग्रहण के मामले में आवश्यक नहीं है);
- (vi) समझौता ज्ञापन में परिभाषित उपलब्धियों के अनुसार प्रगति रिपोर्ट (पहली किस्त और अग्रिम संग्रहण के लिए आवश्यक नहीं);
- (vii) भारी उद्योग मंत्रालय अनुदान की अगली किश्त जारी करने की सिफारिश करने वाली पीआरएमसी बैठक का कार्यवृत्त।
- (viii) स्वैच्छिक संगठनों के मामले में, अनुदान जारी होने से पूर्व, अनुदानग्राही की कार्यकारी समिति के सदस्यों को निम्नलिखित के लिए एक निर्धारित प्रारूप में स्वयं को संयुक्त रूप से और पृथकतः उत्तरदायी बनाते हुए करते बांड निष्पादित करने की आवश्यकता होती है (बांड का निष्पादन ऐसे अर्ध-शासकीय संस्थानों, केंद्रीय स्वायत्त संगठनों और संस्थानों पर लागू नहीं होगा जिनका बजट सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाता है): -

- क) लक्ष्य तिथियों (यदि हों) के मामले में अनुदान सहायता की विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करना; तथा
- ख) अनुदान का विपथन न करना या स्कीम या संबंधित कार्य को किसी अन्य संस्थान या संगठन को नहीं सौंपना; तथा
- ग) अनुदान सहायता को शासित करने वाले करार में विनिर्दिष्ट अन्य शर्तों का पालन करना।
- घ) अनुदानग्राही द्वारा शर्तों का पालन करने में विफल रहने या बॉन्ड की शर्तों का उल्लंघन करने की स्थिति में, बॉन्ड के हस्ताक्षरकर्ता संयुक्त रूप से और पृथकतः उस पर दस प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित अनुदान या बांड के तहत निर्दिष्ट राशिपूर्ण या आंशिक राशि भारत के राष्ट्रपति को वापस करने के प्रति उत्तरदायी होंगे।

| अनुबंध-ग |
|---|
| <u>आईपी स्वामित्व और मौद्रीकरण करार का मसौदा</u> |
| यह आईपी स्वामित्व और मौद्रीकरण करार ("करार") निम्नलिखित के मध्य किया गया है और इस 2022 ("प्रभावी तिथि") को किया गया हैः |
| भारत सरकार का भारी उद्योग मंत्रालय जिसका कार्यालय उद्योग भवन, नई दिल्ली में (एतदुपरांत एमएचआई के रूप में निर्दिष्ट) है, जिसकी अभिव्यक्ति को ,जब तक उसके संदर्भ या अर्थ प्रतिकूल न हों, इसका अर्थ और इसके उत्तराधिकारियों को ब्याज, नामित और अनुमेय समनुदेशिती को पहले पक्ष के रूप में शामिल करने से समझा जाएगा और किया जाएगा। |
| और: |
| एबीसीडी लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय में है जिसका प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया है (एतदुपरांत 'एबीसीडी' के रुप में संदर्भित), जिसकी अभिव्यक्ति जब तक कि उसके |
| संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, इसका अर्थ और उसके उत्तराधिकारियों को रुचि में, नामित और अनुमेय समनुदेशिती को दूसरी पक्ष के रूप में समझा जाएगा और शामिल किया जाएगा। |
| और: |
| पीक्यूआर लिमिटेड जिसका पंजीकृत कार्यालय में है और जिसका प्रतिनिधित्व द्वारा किया गया है (एतदुपरांत 'पीक्यूआर' के रुप में संदर्भित), जिसकी अभिव्यक्ति, जब तक कि उसके संदर्भ या अर्थ के प्रतिकूल न हो, का अर्थ और इसके सक्सेसर इन इंटेरेस्ट में, निर्दिष्ट और अनुमेय समनुदेशिती को तीसरे पक्ष के रूप में शामिल माना जाएगा और किया जाएगा। |
| भारी उद्योग मंत्रालय, एबीसीडी, पीक्यूआर को इसके बाद सामूहिक रूप से "पक्षों" के रूप में और व्यक्तिगत रूप से "पक्ष" के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। |
| विवरण: |
| क. भारी उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संवर्धन स्कीम के तहत प्रौद्योगिकी विकास के लिए परियोजनाओं को वित्तपोषित किया है; |

ग. पीक्यूआर एक उद्योग है जो (उद्योग भागीदार के व्यवसाय का विवरण) ------ से जुड़ा हुआ है और परियोजना (उद्योग भागीदार) के कार्यान्वयन के लिए उद्योग भागीदार के रूप में कार्य कर रहा है।

ख. एबीसीडी एक अकादमिक संस्थान/अनुसंधान संस्थान है, जो प्रौद्योगिकियों के विभिन्न क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान में

कार्यरत है और परियोजना कार्यान्वयन संगठन (पीआईओ) के रूप में कार्य कर रहा है;

अतः अब, पूर्वगामी और पारस्परिक वचनों और नियमों का पालन करते हुए पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संवर्धन के लिए अपनी योजना के तहत ये पक्ष भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत परियोजना (परियोजनाओं) के निष्पादन के दौरान सृजित आईपी के स्वामित्व और प्रबंधन के लिए इस समझौते की शर्तों को निश्चित करते हैं और इनसे सहमत होते हैं।

1. उद्देश्य और अनुबंध का कार्य-क्षेत्र:

पूंजीगत वस्तु क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा संवर्धन संबंधी भारी उद्योग मंत्रालय की स्कीम के तहत भारी उद्योग मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के अंतर्गत विकसित प्रौद्योगिकियों के संबंध में विकसित प्रौद्योगिकी और बौद्धिक संपदा अधिकार वर्तमान समझौते द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार नियंत्रित किए जाएंगे। परियोजना प्रतिभागियों (1) भारी उद्योग मंत्रालय और पीक्यूआर संयुक्त रूप से 80:20 के अनुपात में परियोजना के लिए निधि उपलब्ध कराएंगे। (2) एबीसीडी अनुसंधान के लिए अपनी विभिन्न सुविधाओं के उपयोग की अनुमित देगा, लक्षित प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अपने संकाय सदस्यों और बैकग्राउंड आईपी (यदि कोई हो) की विशेषज्ञता प्रदान करेगा; (3) पीक्यूआर वित्तपोषण, अनुसंधान दल और बैकग्राउंड आईपी (यदि कोई हो) में योगदान देगा।

2. बौद्धिक संपदा का स्वामित्व:

- क. बैकग्राउंड आईपी: पक्ष यह मान्य और स्वीकार करते हैं कि परियोजना के शुरू होने से पहले, प्रत्येक पक्ष से संबंधित पृष्ठभूमि आईपी का स्वामित्व संबंधित पक्ष का ही होगा।
- ख. फॉरग्राउंड आईपी: किसी भी परियोजना के तहत सृजित कोई भी जानकारी, प्रौद्योगिकी, खोज, परिणाम, या पेटेंट योग्य आविष्कार में योगदान करने वाले पक्षों (भारी उद्योग मंत्रालय, पीआईओ और उद्योग भागीदार) की संयुक्त संपत्ति होगी। यदि ऐसी खोज पेटेंट योग्य है, तो पेटेंट संयुक्त नाम से दर्ज किए जाएंगे। पीआईओ आईपी फाइल करने का बीड़ा उठाएगा। भारत में आईपी फाइल करने का खर्च पीआईओ द्वारा वहन किया जाएगा। ऐसे सभी आईपी भारी उद्योग मंत्रालय, पीआईओ और उद्योग भागीदार के संयुक्त नाम से दर्ज किए जाएंगे। विदेशी फाइलिंग, अभियोजन और रखरखाव का पूरा खर्च पीआईओ द्वारा वहन किया जाएगा।
- ग. सामान्यतः पीआईओ, भारी उद्योग मंत्रालय और उद्योग भागीदार आईपी की अवधि के दौरान आईपी के स्थायी, रॉयल्टी मुक्त लाइसेंस को बनाए रखेंगे। पीआईओ अनुसंधान और शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आईपी का उपयोग कर सकता है और उद्योग भागीदार इसका उपयोग केवल अपने उपयोग के लिए व्यावसायीकरण उद्देश्यों के लिए कर सकता है।
- घ. परिबंधन अविध: विकसित आईपी/प्रौद्योगिकी को प्रौद्योगिकी विकास के पूरा होने की तारीख से तीन साल की अविध के लिए या परियोजना के लिए गठित पीआरएमसी से अनुमोदन प्राप्त करने के छह महीने के भीतर किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा, जैसा कि स्कीम की शीर्ष समिति द्वारा अनुमोदित किया गया है। तीन वर्षों की इस अविध के दौरान, उद्योग भागीदार द्वारा प्रौद्योगिकी का विशेष रूप से व्यावसायीकरण और आगे तकनीकी उन्नयन के लिए उपयोग किया जाएगा। शैक्षणिक संस्थान तकनीकी जानकारी का उपयोग अनुसंधान उद्देश्यों के लिए कर सकता है, हालांकि शैक्षणिक संस्थान किसी तीसरे पक्ष के साथ इस प्रकार विकसित प्रौद्योगिकी के तकनीकी ज्ञान, विवरण और डिजाइन को साझा नहीं करेगा। परिबंधन अविध की समाप्ति के बाद भारी उद्योग मंत्रालय, पीआईओ के परस्पर समझौते के साथ प्रौद्योगिकी/आईपी को किसी तीसरे पक्ष को स्थानांतरित किया जा सकेगा। आईपी के अधिकारों/स्वामित्व के हस्तांतरण से संबंधित सभी लागतें पीआईओ द्वारा ही वहन की जाएंगी।
- **ड. आईपी को अनुदान से पहले प्रौद्योगिकी का लाइसेंस** परिबंधन अविध की समाप्ति के बाद और पेटेंट दिए जाने तक, अनुलग्नक-क के अनुसार प्रौद्योगिकी करार के हस्तांतरण के माध्यम से प्रौद्योगिकी को किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित किया जा सकता है। प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण भारी उद्योग मंत्रालय, पीआईओ के परस्पर समझौते से होगा।
- च. आईपी का लाइसेंस: तीन साल की परिबंधन अविध की समाप्ति के बाद, किसी भी तीसरे पक्ष को एक गैर-अनन्य लाइसेंस दिया जा सकता है। आईपीआर की लाइसेंसिंग भारी उद्योग मंत्रालय, पीआईओ की पारस्परिक सहमित से की जाएगी। किन्तु, पेटेंट प्रदान करने के 10 वर्ष की समाप्ति के बाद, पेटेंट के लाइसेंस से संबंधित सभी निर्णय पीआईओ द्वारा लिए जाएंगे।
- **छ. रॉयल्टी का बंटवारा:** आईपीआर के लाइसेंस के मामले में/प्रौद्योगिकी हस्तांतरण समझौते के माध्यम से अर्जित रॉयल्टी को पीआईओ और सेवा खाते के बीच 80:20 के अनुपात में वितरित किया जाएगा। सेवा खाते में रॉयल्टी शेयर विकसित प्रौद्योगिकी के प्रचार और उन्नयन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सेवा खाते की अप्रयुक्त निधियों का उपयोग व्यावसायीकरण, आईपी सुरक्षा और किसी भी अन्य संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। इस संबंध में सभी निर्णय भारी उद्योग मंत्रालय और पीआईओ द्वारा पारस्परिक रूप से लिए जाएंगे।

- ज. आईपी प्रबंधन निधि: आईपी के प्रबंधन के लिए पीआईओ जिम्मेदार होगा। पीआईओ अर्जित राजस्व (रॉयल्टी में 80% हिस्सा), आईपीआर के व्यावसायीकरण और रखरखाव से संबंधित किसी भी क्रियाकलाप के लिए या किसी अन्य देश में आईपीआर प्राप्त करने, या आईपी संरक्षण, वार्षिक रखरखाव आदि के क्षेत्र में क्षमता निर्माण के लिए निधियों का उपयोग करेगा।
- झ. प्रौद्योगिकी का व्यावसायीकरण: व्यावसायीकरण की पूरी जिम्मेदारी उद्योग भागीदार की होगी। पीआईओ और भारी उद्योग मंत्रालय व्यावसायीकरण के उद्देश्यों के लिए उद्योग भागीदार को हरसंभव सहायता प्रदान करेंगे। यदि उद्योग भागीदार व्यावसायीकरण करने में विफल रहता है, तो प्रौद्योगिकी को व्यावसायीकरण की व्यवस्था के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम को सौंपा जाएगा। एनआरडीसी विकसित प्रौद्योगिकी के स्तर और वास्तविक औद्योगिक आवश्यकता के बीच के अंतराल को कम करने में मदद करेगा। आईपी के विकास और व्यावसायीकरण से उत्पन्न होने वाली सभी देयताओं से एमएचआई को संरक्षा और क्षतिपूर्ति की जाएगी।
- ज. स्टार्टअप की सुविधा के लिए, आईपीआर मॉडल को मामले के आधार पर संशोधित किया जा सकता है ताकि स्टार्टअप के विकास के लिए एक ईको सिस्टम को बढ़ावा दिया जा सके। स्टार्टअप्स को डीपीआईआईटी के दिशानिर्देशों के अनुसार परिभाषित किया जाएगा।

3. दायित्व:

- क. **पीआईओ** संभावित लाइसेंसधारियों, ग्राहक और/या संयुक्त विकास भागीदार की पहचान करने; पक्षों को बिक्री या लाइसेंस में प्रवेश करने में सक्षम बनाने के प्रति सहमित व्यक्त करता है और सर्वोत्तम संभव शर्तों पर बातचीत करता है और समन्वय करता है।
- ख. **भारी उद्योग मंत्रालय** अन्य सरकारी विभागों के माध्यम से संवर्धित पहुंच के लिए पीआईओ को सर्वोत्तम सहायता प्रदान करने के प्रति सहमति प्रदान करता है।
- ग. **उद्योग भागीदार** लक्षित प्रौद्योगिकी के विकास के लिए पीआईओ को सर्वोत्तम सहायता प्रदान करने के प्रति सहमति प्रदान करता है और लक्षित प्रौद्योगिकी के व्यावसायीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

4. अवधि और समापन:

करार प्रभावी तिथि से शुरू होगा और अंतिम पेटेंट की वैधता तक जारी रहेगा। कोई भी पक्ष अन्य पक्षों को तीस (30) दिनों की अग्रिम लिखित सूचना पर इस अनुबंध को समाप्त कर सकेगा। हालांकि, इस तरह से समाप्ति की स्थिति में, सभी संयुक्त आईपी के स्वामित्व अधिकार और राजस्व बंटवारे की व्यवस्था अप्रभावित रहेगी। इसके अलावा, प्रत्येक पक्ष अन्य पक्ष के स्वामित्व वाली सभी जानकारी लौटाएगा।

5. क्षतिपूर्ति:

पीआईओ उल्लंघन के दावों के प्रति भारी उद्योग मंत्रालय को क्षतिपूर्ति करेगा। इसके अलावा, किसी तीसरे पक्ष के साथ कोई करार करने पर, ये पक्ष प्रौद्योगिकी के उपयोग या लाइसेंस के लिए ऐसे तीसरे पक्ष से क्षतिपूर्ति प्राप्त करेंगे।

6. दायित्व:

किसी भी स्थिति में कोई भी पक्ष यहां सहमत किसी भी दायित्व को छोड़कर, इस करार के लिए या इसके तहत किसी भी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, आकस्मिक, विशेष, परिणामी, निर्भरता या क्षित की प्रतिपूर्ति के लिए किसी भी अन्य कानूनी कार्रवाई के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा जिसमें इस करार के अंतर्गत अन्य पक्ष द्वारा किया गया लाभ, राजस्व, डाटा या उपयोग हानि शामिल नहीं है (हालांकि यह इतने तक सीमित नहीं है), भले ही इसकी संभावना की सलाह दी गई हो और इसके करार के तहत अपने दायित्वों के निष्पादन या गैर-निष्पादन से उत्पन्न हुआ हो।

7. शासी कानून और विवाद समाधान:

यह करार भारत के कानूनों के अनुरूप अन्वित और शासित होगा। इस करार के उपबंधों की व्याख्या के संबंध में पक्षों के बीच किसी भी असहमित/मतभेद/विवाद या अन्यथा इस करार से उत्पन्न क्रियाकलापों और इस समझौते के तहत किए गए क्रियाकलापों को पक्षों द्वारा पारस्परिक परामर्श से हल किया जाएगा। यदि विवाद का आपसी समाधान न हो पाए तो सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को विवाद के निर्णय के लिए एक मध्यस्थ को नामित करने का अधिकार होगा। मध्यस्थ द्वारा दिया गया निर्णय, सचिव, भारी उद्योग मंत्रालय को प्रस्तुत किया जाएगा जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य में, पक्षों ने इस करार को अपने विधिवत अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा निष्पादित किया है।

| भारी उद्योग मंत्रालय | एबीसीडी लि. |
|----------------------|-------------|
| हस्ताक्षर: | हस्ताक्षर: |
| नाम: | नाम: |
| शीर्षक: | शीर्षक: |
| पीक्यूआर लिमिटेड | साक्षी |
| हस्ताक्षर: | हस्ताक्षर: |
| नाम: | नाम: |
| शीर्षक: | शीर्षक: |

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES NOTIFICATION

New Delhi, the 25th January, 2022

No. 16/1/2017-HE & MT.—GUIDELINES OF THE SCHEME ON "ENHANCEMENT OF COMPETITIVENESS IN THE INDIAN CAPITAL GOODS SECTOR- Phase-II" FOR ASSISTANCE TO COMMON TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND SERVICES INFRASTRUCTURE

1. OBJECTIVE

The objective of Phase II of the "Scheme for Enhancement of Competitiveness of the Capital Goods Sector" is to expand and enlarge the impact created by Phase I pilot scheme, thereby providing greater impetus through creation of a strong and globally competitive capital goods sector that contributes at least 25% to the manufacturing sector.

2. SCOPE OF THE SCHEME ON ENHANCEMENT OF COMPETITIVENESS IN THE INDIAN CAPITAL GOODS SECTOR- Phase-II" FOR ASSISTANCE TO TECHNOLOGY DEVELOPMENT AND SERVICES INFRASTRUCTURE

The scheme for enhancement of competitiveness in the Capital Goods sector - Phase II is aimed at:

- (i) Creating a **strong and globally competitive capital goods sector** that contributes at least 25% to the manufacturing sector and to increase the ability of the capital goods sector to meet the domestic demand and to make India a net exporter of capital goods.
- (ii) Creating a **self-sustaining eco system for research and innovation** for manufacturing technologies through the use of Technology Innovation Portals.
- (iii) Enhancing the skills of the existing manpower and to expand the availability of highly skilled manpower for the sector particularly in niche skills like robotic welding, precision machining, metallurgy, metrology, computer aided designing of machine parts, thermal analysis, sound and since vibration engineering, designing of high precision tools and their manufacturing etc.
- (iv) Providing **infrastructure for testing quality** of processes / products developed and manufactured to ensure that they comply with international mandatory standards. Regular testing and certification shall facilitate improvement in quality of capital goods and make them globally competitive.
- (v) Creation of common engineering infrastructure for designing and manufacturing for the benefit of MSMEs and other industries of the Capital Goods Sector which are unable to access the latest high technology machines required for manufacturing and which will also encourage development of supply chains to develop quality products of international standards besides boosting industrial production.
- (vi) Promotion of smart manufacturing and to facilitate adoption of relevant, robust and affordable technologies for Industry 4.0 in the Capital Goods sector in order to improve efficiency and productivity.

(vii) Promotion of progressive indigenization of technologies for capital goods, by engaging local industry, as an active partner in innovation and development of new products, in partnership with premier institutions, in the forefront of industrial innovations, through creation of Industry Accelerators.

3. Components under the Scheme for Enhancement of Capital Goods Sector Phase II

- a. **Identification of Technologies through Technology Innovation Portals-** Six Web-based open manufacturing technology innovation platforms have been developed by CPSEs namely BHEL, HMT, autonomous bodies namely CMTI and ARAI; centre under autonomous body- iCAT and educational and research institution namely IIT Madras **under** the CEFC component of phase I of the scheme, to bring the country's technical resources and the Industries on to one network to kick start and facilitate identification of technology problems faced by the Industry and crowd source solutions for the same in a systematic manner so as to facilitate start-ups and angel funding of Indian innovations. These platforms will identify technological solutions to the problems and challenges posed by the Industry.
- **b.** Setting up of four New Advanced Centres of Excellence and augmentation of Existing Centres of Excellence The advanced CoEs shall fulfill the needs of development of high risk futuristic technological products like high tech machine tool aggregates, controls, guides, motors, CNCs, high precision components, hydraulics, high tech textiles machines, electronic parts and other strategic mother technologies including those identified through technology and Innovation platforms that are indigenously required by the Capital Goods Sector.
- c. Promotion of skilling in Capital Goods Sector-creation of Qualification packages for skill levels 6 and above –Qualification packages (QPs) shall be created for skill levels 6 and above in association with skill councils. These Qualification packages shall be used for imparting of skill training in the Samarth Udyog and Skill Centres developed under Phase-I of the Capital Goods Scheme and other identified institutions.
- d. Setting up of four Common Engineering Facility Centres (CEFCs) and augmentation of existing CEFCs-The CEFCs is aimed at creating demonstration, awareness, training, consultancy, hand holding and providing R & D services for the Industry. Essential common services like a national Industry 4.0 platform, test beds, data bases, resource centres, experts, standards, M2M protocol, Industrial IOT, Artificial Intelligence, robotics, data analyses, virtual and augmented reality will also be provided. These Centres will also provide logistical support for the development of new technologies developed through Technology and Innovation platforms.
- **e.** Augmentation of Existing Testing and Certification Centres Augmentation of Test and certification centres are aimed at meeting the needs of CG Sector for testing of machinery in terms of various properties relating to mechanical, electrical, chemical, structural, metallurgical, electronics, etc. Certification and development testing of machines is essential to attain global competitiveness and address quality related issues. This need shall be addressed through these centers. These Centres will also extend similar testing and certification facilities for the new Technologies developed through Technology and Innovation platforms.
- **f. Setting up of ten Industry Accelerators for Technology Development-** The industry accelerators are aimed at development of targeted indigenous technologies, scaled to meet the requirements of selected industry segment, which till now has been dependent on imports. Selected Academic Institute/ Industry Body will act as an **Accelerator** for fostering the development of such technologies. The accelerator will identify domains of (Capital Goods and auto sector) and Select companies into cohorts based on the present strength of domestic Capital Goods industries and facilitate the development of commercially viable indigenous technologies/ products/ technological reengineering and collaborate with them to facilitate the development from the concept stage, through development, trial and testing of prototypes up to commercialization of the same.

4. COMPONENT SPECIFIC GUIDELINES UNDER THE SCHEME ON "ENHANCEMENT OF COMPETITIVENESS IN THE INDIAN CAPITAL GOODS SECTOR"

The scheme has following components, whose guidelines are indicated in the following paras:

4.1. Identification of Technologies through Technology Innovation Portals- set up by BHEL, HMT, CMTI, ARAI, iCAT and IIT Madras under Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Capital Goods Sector, Phase I.

- **4.1.1 Objective-** Six technology Innovation Platforms have been created under Phase I. The objective of six platforms is to provide an eco-system that encourages interactions of all the relevant stakeholders by crowd sourcing in an open and collaborative framework for facilitating Startups and angel funding of innovation, research and development of mother manufacturing technologies' indigenously relating to the capital goods and auto sectors.
- **4.1.2 Funding pattern** The funding pattern under the TIPs component shall be as per MoUs signed for the six TIPs under Phase I.
- **4.1.3 Mechanism**: Under Phase II of the scheme, the six TIPs developed under Phase I shall be promoted and supported. No new TIPs shall be created under Phase II of the scheme.

4.2 Setting up of four New Advanced Centres of Excellence and augmentation of Existing Centres of Excellence

4.2.1 Objective-The objective of Centre of Excellence is to fulfill the needs of development of high risk futuristic technological projects like, high tech machine tool aggregates, controls, guides, motors, CNCs, high precision components, hydraulics, high tech textiles machines, electronic parts and other strategic mother technologies including those identified through technology and Innovation platforms that are indigenously required by the Capital Goods Sector.

4.2.2 Eligible entities for funding-

- (i) R&D/ Academic/ Scientific institutes,
- (ii) CPSEs,
- (iii) Private industries,
- (iv) Existing Centres of Excellence (COEs),
- (v) Autonomous Bodies,
- (vi) Industry associations
 - It is mandatory for all applicants to register on the MHI Technology Innovation Platforms, set up under MHI CG Scheme Phase I.
- **4.2.3 Eligible Technologies for funding-** High tech machines not manufactured in the country at present in the sub sectors including but not restricted to:
- (i) Machine tools,
- (ii) Cutting Tools
- (iii) Textile machines,
- (iv) Metallurgical machinery,
- (v) Steel plant equipment,
- (vi) Food processing machinery,
- (vii) Printing machinery,
- (viii) Plastic processing machinery,
- (ix) Process plant equipment,
- (x) Earthmoving & mining machinery electrical equipment and their aggregates,
- (xi) Press tools & dies,
- (xii) Controls, guides, motors, CNCs systems, high precision components, hydraulics, electronic parts,
- (xiii) Auto components and other strategic technologies that are indigenously required by the Industry etc.
- * The above list is an indicative list only.
- **4.2.4 Funding pattern-** GoI grant will be provided up to 80% of cost of creation of equipment, machinery hardware and software facilities for the development of new Centres of Excellence for Technology developmentand augmentation of existing CoEs developed under Phase I. The balance amount shall be contributed by the applicant(s) in the next three years i.e. 2022-23 to 2024-25. GoI grant will not be given

for meeting the cost of land and building. The funding shall be subject to approval of the Apex Committee constituted under the scheme. The Apex Committee shall be the final authority in this regard. In case of existing CoEs, funding shall only be provided for development of new technologies. No funding shall be provided for upgradation of old machines.

- **4.2.5 Payment Schedule-** Disbursement of grants for the projects shall be in accordance with the milestones laid down in the MoU signed for the project by MHI with Project Implementation Organization (PIO). The Project Implementation Organization shall be indicated in the proposal by the applicant(s).
- **4.2.6 Mechanism**: The applicant(s) shall submit the application form along with the Detailed Project Report (DPR)in the prescribed format (Placed at Annexure –V) containing the details relating to the targeted technology, present value of imports, prospective buyers of the targeted technology, prospective IPRs, potential orders. The eligible proposals received by MHI shall be screened by the Screening Committee constituted under the scheme (ToR and constitution of the Screening Committee may be seen at Annexure-II). Upon recommendation of the Screening Committee, the proposal shall be submitted for the approval of the Apex Committee (ToR and constitution of the Apex Committee may be seen at Annexure-I). Upon approval granted by the Apex Committee, the MoU shall be signed amongst the PIO, Industry partner and MHI as per Appendix A. The MoU shall specify terms and conditions of the MHI grants. For each project approved, a Project Review and Monitoring Committee (PRMC) shall be constituted for reviewing the progress of the project at fixed intervals. (ToRs of the PRMC have been placed at Annexure-III).
- **4.3** Promotion of skilling in Capital Goods Sector creation of Qualification packages for skill levels 6 and above- The Ministry shall promote skilling in the Capital Goods sector by creation of Qualification packages (QPs) for skill levels 6 and above. The sector skill councils shall be responsible for creation of QPs and defining job wise specifications like lab and trainer qualifications, equipment specifications along with the job role wise additional requirements like open space, etc.
- **4.3.1 Eligible entities for funding-** Funding shall be given under this component to sector skill councils under MHI. It is mandatory for all applicants to register on the MHI Technology Innovation Platforms, set up under MHI CG Scheme Phase I.
- **4.3.2 Eligible Qualification Packs for funding-**The indicative list of qualification packs and expected skill demands for futuristic job roles are as under:

Indicative List of Proposed Qualification Packs and Related Job Roles

OPs for level 6 & above:

- i. Factory Automation & Robotics Engineer
- ii. Predictive Maintenance Engineer

Job Roles:

- i. Process Automation and Remote Diagnostic Engineers
- ii. Advanced Mechatronics and CNC/PLC Engineers
- iii. Digital Design & Development Engineer
- iv. Cyber Data Security Specialist
- v. Mobile Communication Technologist
- vi. Controls & Systems Technologist
- vii. Additive Manufacturing Technologist
- viii. Virtual & Augmented Reality Technologist
- ix. Machine Learning Technologist
- x. Artificial Intelligence Technologist
- xi. Manufacturing & Supply Chain Data Analyst
- xii. Digital Quality Engineer

- xiii. Data Analytics and Dashboard Design Software Engineer
- xiv. Machine Connectivity System Designer
- xv. Digital Platform Network Engineer
- xvi. Sensor Technologist
- xvii. Data Capturing Technologist
- wiii. System Integrator Technologist

OPs for level 6 & above:

- i. 'Supervisor (Plant & Machinery)' of level 7 QP.
- ii. 'Master Mechanic' of level 6 for equipment maintenance
- iii. 'Master Operators' of level 6 for construction equipment

QPs for level 6 & above:

- 1. Sr. Engineer Automation for level 6
- 2. Manager System Integration for level 7
- 3. Sr. Engineer System Integration for level 6
- 4. Product Manager for level 7
- 5. Sr. Engineer Hardware Integration (Communication) for level 6
- 6. Autonomous Robotics Expert for level 7

Job Roles:

- i. Automation Technician (Mechatronics/Robotics)
- ii. Instrumentation Technician (Mechatronics/Robotics)
- iii. Instrumentation Technician (Multi skills: Pneumatic/Hydraulic/ Vacuum)
- iv. Installation & Commissioning Technician (Mechatronics/Robotics)
- v. Maintenance Technician (Mechatronics/ Robotics)
- vi. Operator (Mechatronics/Robotics)
- vii. Troubleshooter (Mechatronics/Robotics)
- viii. Programmer (Mechatronics/Robotics)
- ix. Automation Supervisor
- **4.3.3 Funding pattern-** GoI grant will be provided up to 100% for the development of Qualification Packs for identified Skill Training Needs. GoI grant will not be given for meeting the cost of land and building. The funding shall be subject to approval of the Apex Committee constituted under the scheme. The decision of the Apex Committee shall be final in this regard.
- **4.3.4 Payment Schedule** Disbursement of grants for the projects shall be in accordance with the milestones laid down in the MoU signed for the project by MHI with Sector Skill Councils.
- **4.3.5 Mechanism** The eligible sector skill council shall submit the application form in the prescribed format (Placed at Annexure –IX) containing the details relating to the targeted QPs, their scope and requirement, prospective users / trainees, future job roles targeted by the QP etc.The eligible proposals received by MHI shall be screened by the Screening Committee constituted under the scheme (ToR of the Screening Committee may be seen at Annexure-II). Upon recommendation of the Screening Committee, the proposal shall be submitted for the approval of the Apex Committee (ToR of the Apex Committee may be seen at Annexure-I). Upon approval granted by the Apex Committee, the MoU shall be signed between MHI and the Sector Skill Council as per Appendix A.

- **4.4** Setting up of four Common Engineering Facility Centres (CEFCs) and augmentation of existing CEFCs- Common Engineering Facility Centres shall boost the present technology levels of capital goods in the country through awareness programmes for creating demonstration, awareness, training, consultancy, hand holding and R & D services to industrial units desirous of upgrading the production by creating Demonstration cum Experiences Centres.
- **4.4.1 Eligible entities for funding-** Common Engineering Facility Centres in association with industry and industry associations-
- (i) Educational institutes (Private and Govt.)
- (ii) R&D institutions,
- (iii) CPSEs
- (iv) Private Industries,
- (v) Autonomous Bodies
- (vi) Existing CEFC created in Phase-I

It is mandatory for all applicants to register on the MHI Technology Innovation Platforms set up under the MHI CG Scheme.

- **4.4.2 Facilities for funding** CEFCs may be established for the following purposes:
- (i) Common foundry & heat-treatment,
- (ii) Testing laboratories,
- (iii) Designing facility,
- (iv) Common prototyping,
- (v) General and specific machining,
- (vi) Industry 4.0 platform etc.
- * The above list is an indicative list only.
- **4.4.3 Funding pattern-** GoI grant will be provided up to 80% of cost of creation of equipment, hardware and software facilities for Setting up of Common Engineering Facility Centres. The balance amount shall be contributed by the applicant(s) in the next three years i.e. 2022-23 to 2024-25. Where applicant is an institution, its financial contribution shall be restricted to only to the revenue generated by the institute. No grant given by Government of India under any Scheme/ Programme shall be used for this purpose. GoI grant will not be given for meeting the cost of land and building. The funding shall be subject to approval of the Apex Committee constituted under the scheme. The decision of the Apex Committee shall be final in this regard.
- **4.4.4 Payment Schedule-** Disbursement of grants for the projects shall be in accordance with the milestones laid down in the MoU signed for the project by MHI with Project Implementation Organization. The Project Implementation Organization shall be indicated in the proposal by the applicant(s).
- **4.4.5 Mechanism**: The applicant(s) shall submit the application form along with the Detailed Project Report (DPR) in the prescribed format (Placed at Annexure –VI) containing the details relating to the objective, role of the targeted facility, prospective beneficiaries, revenue generation model, sustainability model etc. The eligible proposals received by MHI shall be screened by the Screening Committee constituted under the scheme (ToR of the Screening Committee may be seen at Annexure-II). Upon recommendation of the Screening Committee, the proposal shall be submitted for the approval of the Apex Committee (ToR of the Apex Committee may be seen at Annexure-I). Upon approval granted by the Apex Committee, the MoU shall be signed amongst the PIO, Industry partner and MHI as per Appendix- A. For each project approved, a Project Review and Monitoring Committee (PRMC) shall be constituted for reviewing the progress of the project at fixed intervals. (ToRs of the PRMC have been placed at Annexure-III).
- <u>4.5 Augmentation of Existing Testing and Certification Centres</u> The Government of India/Private Industry has created some very good test and certification centres catering to various Capital Goods sub sectors and Industries. Under this component, it is aimed to augment the existing test and certification

centre in order to address the needs of the Capital Goods Sector & Auto sector for testing of machinery. These Centres will also extend similar testing and certification facilities to new Technologies developed through Technology and Innovation platforms.

4.5.1 Eligible entities for funding-

(i) Existing Government/ Private Test and Certification centres

It is mandatory for all applicants to register on the MHI Technology Innovation Platforms set up under the MHI Capital Goods Scheme.

- **4.5.2 Focus Areas** Test centre under this component shall focus on testing and validation of machinery in terms of various properties relating to mechanical, electrical, chemical, structural, metallurgical, electronics aspects etc. related to Capital Goods.
- **4.5.3 Funding pattern-** GoI grant will be provided up to 80% of cost of augmentation of the existing Testing and Certification Centre for testing equipment, hardware and software over a period of three years i.e. 2022-23 to 2024-25. The balance amount shall be contributed by the applicant(s). Where applicant is an institution, its financial contribution shall be restricted to only its revenue. No grant given by Government of India under any Scheme/ Programme shall be used for this purpose. GoI grant will not be given for meeting the cost of land and building. The funding shall be subject to approval of the Apex Committee constituted under the scheme. The decision of the Apex Committee shall be final in this regard.
- **4.5.4 Payment Schedule-** Disbursement of grants for the projects shall be in accordance with the milestones laid down in the MoU signed for the project by MHI with Testing and Certification centre which shall be the Project Implementation Organization for the project. The Project Implementation Organization shall be indicated in the proposal by the applicant(s).

4.5.5 Mechanism:

The applicant(s) shall submit the application form along with the Detailed Project Report (DPR) in the prescribed format (Placed at Annexure –VIII) containing the details relating to the existing test and certification centres and the industries being catered by it, objective behind augmentation of the test and certification, prospective beneficiaries, proposed revenue generating and sustainability models etc. The eligible proposals received by MHI shall be screened by the Screening Committee constituted under the scheme (ToR of the Screening Committee may be seen at Annexure-II). Upon recommendation of the Screening Committee, the proposal shall be submitted for the approval of the Apex Committee (ToR of the Apex Committee may be seen at Annexure-I). Upon approval granted by the Apex Committee, the MoU shall be signed amongst the PIO, Industry partner and MHI as per Appendix A. For each project approved, a Project Review and Monitoring Committee (PRMC) shall be constituted for reviewing the progress of the project at fixed intervals. (ToRs of the PRMC have been placed at Annexure-III).

4.6 Setting up of ten Industry Accelerators for Technology Development-

This initiative aims to actively involve local industries in the process of product development, using indigenous technology, in partnership with premium research/academic institutions (Accelerators) in the forefront of industrial innovations. These accelerators will identify domains and Select companies into cohorts (based on the present basket of imports – by value /volume / criticality) and facilitate the development of products and processes, as per their requirement.

Each Accelerator will work with the established CoEs, CEFCs, Technology Innovation Portals and will act through mentors and other collaborators to enable the companies to develop new products with associated business strategies and marketing plans. The CoEs and the CEFCs will provide the capital infrastructure for the accelerator to be used on a need basis for prototyping, testing and validation. The technology portals will be used to connect to potential resource/vendor base for the supply chain for the product being developed. Each accelerator will run 1 cohort each for the 2.5 years period of the scheme. Each Cohort will consist of 8 to 10 companies and will run for a cycle of 2.5 years. It is expected that at least 100 new indigenous products/technologies will be commercialized by the end of the scheme period.

4.6.1 Eligible entities for funding-

- (i) Reputed R & D/Academic/ Scientific Institution;
- (ii) Industry Associations

It is mandatory for all applicants to register on the MHI Technology Innovation Platforms set up under the MHI CG Scheme.

- **4.6.2 Eligible technologies-** The accelerator will identify sub sectors for intervention in the fields Capital Goods and auto sector and Select companies into cohorts based on the present strength of domestic Capital Goods industries and facilitate the development of commercially viable indigenous technologies/ products.
- **4.6.3 Funding pattern** GoI will provide grant for 80% of the cost of development, for a cohort as projected by an accelerator. 20% cost will be contributed by the participating industries. However, within the cohort, contribution by private industries may be decided industry wise based on the criticality of the technology/product, complexity of development cycle, cost intensiveness, commercially viable import substitution/ export potential and financial strength and past performance of the participating company within the 20% funding from the Industries. The accelerators will be provided with appropriate financial assistance to meet administrative expenses for the coordinating, monitoring and evaluating activities undertaken by them for the Cohort. MHI will fund each accelerator for upto 80% of the cost of development of the technology. The distribution of funds amongst the cohort shall be done by the accelerator. GoI grant will not be given for meeting the cost of land and building. The funding shall be subject to approval of the Apex Committee constituted under the scheme. The decision of the Apex Committee shall be final in this regard.
- **4.6.4 Payment Schedule-** Disbursement of grants for the projects shall be in accordance with the milestones laid down in the MoU signed for the project by MHI with the Accelerator, who shall be the Project Implementing Organization (PIO).
- **4.6.5 Mechanism**: The applicant(s) shall submit the application form along with the Detailed Project Report (DPR) in the prescribed format (Placed at Annexure –VII) containing the details relating to the focussed domain, products identified for development, import substitution/ export potential of the targeted products for development. The eligible proposals received by MHI shall be screened by the Screening Committee constituted under the scheme (ToR of the Screening Committee may be seen at Annexure-II). Upon recommendation of the Screening Committee, the proposal shall be submitted for the approval of the Apex Committee (ToR of the Apex Committee may be seen at Annexure-I). Upon approval granted by the Apex Committee, the MoU shall be signed between PIO & MHI as per Appendix-A. The accelerator shall select the industries and group them into cohorts. Each cohort shall consist of 8 to 10 companies and will run for a cycle of 2.5 years. A technical committee shall be constituted by each accelerator that shall be responsible for selecting the industries, grouping them into cohorts, approving proportional financial contribution by them and selecting technologies for development. The terms of reference and constitution of the technical committee is placed at Annexure. IV.

5. General Conditions for implementation of scheme:

- a. All expenditure under the Scheme shall be made by PIOs in accordance with GFR 2017 and the Terms and Conditions of the MoU signed with MHI.
- b. The PIO shall not dispose of or lease out or create any charge over the assets created by utilizing the assistance provided under this scheme, without written permission from the MHI.
- c. The PIO shall not change the form or the basic objectives/ outputs/ outcomes of the approved proposal, without prior approval of MHI. The objectives/ output/ outcomes of the assisted project indicating its objects shall not be amended without recommendation of PRMC and further written permission of MHI. The financial assistance provided under this scheme would be of non-recurring and capital nature. Funds may not be used directly to pay salaries and allowances etc. for the institute's faculty, staff or administrators. However, services may be charged to the Centres.
- d. All PIOs shall open a new saving bank account in a public sector bank for the receipt of financial assistance from MHI.
- e. The accounts of the PIO shall be audited every year and the PIO shall be required to submit annual financial statements to MHI, at the end of each financial year.
- f. The PIO shall be required to maintain a fixed assets register of equipment/assets procured by utilizing grant funds for verification by MHI at any time. In case of failure to utilize the sanctioned funds within time or its misuse, misappropriation or diversion or violation of any one or more of the conditions mentioned above, the Government will be entitled to recover the entire assistance amount with interest, in addition to taking such other legal action, as necessary as per GFR/Govt. orders.

g. Central Government may also prescribe such other conditions, as necessary, before sanction/release of assistance.

6. Application and Approval Procedure

- a. MHI will endeavour to plan, design and implement an online system to receive process, approve and monitor the proposals under the scheme.
- b. The applications in the prescribed format along with Detailed Project Report for the targeted technology/ facility proposed under the scheme shall be submitted to the Under Secretary (HE&MT) in MHI
- c. MHI (HE&MT) shall process the applications within 30 days for their completeness and submit them to the Screening Committee for consideration.
- d. The Screening Committee shall examine all the proposals received under the scheme and submit its recommendations within a month to the Apex Committee.
- e. The Committee may choose to hold consultations with the applicants, visit the facility of the PIO, before coming to a decision. The applicant may be given chance to make presentation of his proposal to the Apex Committee subject to its convenience.
- f. Subsequent to the approval of the proposal by the Apex Committee, an approval letter shall be issued to the PIO. MoU has to be signed between the PIO and MHI within one month of the receipt of the Approval Letter.
- g. The release of funds shall commence after signing of the MoU as per the laid down conditions therein.
- h. It will be the endeavour of the Ministry to communicate final decision within three months from receiving the completed application.
- i. Under the Industry Accelerator Component of the Scheme, after the approval letter is issued, Accelerator shall convene the meeting of the Technical Committee for selection of cohort and submit the details of the Industries so selected to MHI within a month of receipt of the approval letter.

7. INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

- 7.1 The ownership of IPR generated during the development of the technology under the MHI CG scheme shall vest jointly in the PIO, Industry Partner and MHI.
- 7.2 **Lock in period-** The IP/ technology developed shall not be transferred to any third party from date of completion of technology development for the period which may vary from three to five years as mentioned in the MoU for the sanctioned project, the technology shall be exclusively used by the Industry partner for commercialisation and further technological upgradation. Responsibility of commercialization of technology developed rests with industrial partner. However, MHI will facilitate and provide all possible assistance excluding financial support to the industry partner for commercialisation of developed technology.
- 7.3 PIO, Industry partner and MHI shall retain perpetual right and royalty free, non-exclusive license of the IP to use throughout the project after the lock in period as mentioned in the MoU or till the expiry of IP rights as per law. The PIO may use the technical know-how for research purposes, however, the PIO shall not share the technical know- how, details and design of the technology so developed with any third party within the lock in periodo
- 7.4 To realize the aim of dissemination of newly developed technologies under the Scheme to Industry, PIO shall act as the custodian of the IP rights on behalf of MHI and shall be able to transfer them to any third party after the lock in period, with the consent of MHI.
- 7.5 **Royalty sharing model** Revenues from licensing of IP rights to third parties shall be shared between PIO and MHI. The royalty sharing model in case of licensing of technology/ know-how/ IP shall be as follows:

| PIO | Service Account (MHI) |
|-----|-----------------------|
| 80% | 20% |

Money in the Service Account (joint account of PIO and MHI) may be used for the promotion and upgradation of the invention, maintenance of the IPRs. Unused funds from the service account will be used for promotion of commercialization, IP protection and any other related activities. All decisions in this regard may be taken by MHI and PIO mutually.

- * IP Management fund- PIO shall be responsible for the management of the IP. The PIO shall utilize funds out of the earned revenues (80% share in royalty), for any activity relating to commercialisation and maintenance of IPR or obtaining IPR in any other country, or for capacity building in the area of IP protection, annual maintenance etc.
- 7.6 National Research Development Corporation or any other organisation selected by MHI shall help in bridging the gap between the level of technology developed and the actual industrial requirement. Organisation so selected shall assess the technology for its commercial potential and may suggest measures for taking suitable IP protection.
- 7.7 **Filing of IPR applications**: All the IP applications shall be filed by the PIO. However, in case of any unreasonable delay, failure on the part of the PIO, NRDC or any other organization selected by MHI shall be given the responsibility of filing the IP application on behalf of the PIO. NRDC/any other organization selected by MHI shall charge the PIO for any support provided in this regard. In case the IP/ patent is being filed through NRDC/any other organization selected by MHI, all the forms that are mandatory for filing the Patent/ IP shall be submitted to NRDC/ any other organization selected by MHI after being duly executed by the joint IP holders.
- 7.8 In case, where the Industry partner fails to commercialize the technology/ product within a stipulated period, the technology shall be assigned to National Research Development Corporation/any other organization selected by MHI for arranging commercialization. Organisation so selected shall prepare technology profiles on each technology assigned giving non-critical information for publication and communicating with target industries. That organization shall prepare detailed offer letter for taking up the commercialization activities and a MoU may be signed between the selected organization, Industry Partner and PIO. The revenue sharing model in such a case may be decided on a case to case basis, as and when required. As the Start ups are an important part of technological innovation ecosystem in the country, IPR model of the scheme will be suitably modified, to include their contribution, if they participate in the CoE or Accelerator components of the scheme and contribute towards the creation of such intellectual property. Startups will be defined as per DPIIT guidelines.

8. COMPOSITION OF THE SCREENING COMMITTEE

The constitution and terms and reference of the Screening Committee are at Annexure -II

9. COMPOSITION OF THE APEX COMMITTEE

The constitution and terms and reference of the Apex Committee are at Annexure –I.

10.SCHEME/PROJECTMONITORING AND EVALUATION

- 10.1 The constitution and terms and reference of the Project Review and Monitoring Committee (PR&MC) are at Annexure –III.
- 10.2 The Project Review and Monitoring Committee (PR&MC) shall regularly monitor the progress of the project assigned to it including through online tools. Periodic meetings of PRMC at least once every three months during the project tenure shall be organized by the PIO. The PIO shall submit the quarterly progress report of the project to the PRMC and PRMC shall review and monitor the physical and financial progress of the implementation of the projects and submit their report and recommendations to the Project Implementing Organisation (PIO) and MHI. PRMC can also recommend specific modalties / procedure to be followed for release of funds to PIO by MHI within the framework of GFR, 2017, if so required for the proper implementation of any project.
- 10.3 MHI shall undertake a third party evaluation of the scheme/ component thereof on completion of the sanctioned projects.

11. Procedure for Closure of projects

11.1 A project shall be considered to have been completed when all the outcomes and outputs have been achieved.

- 11.2 The PIO shall mandatorily organise the final PRMC meeting before reporting project completion to MHI. On site physical verification of the project is mandatory to be conducted by the PRMC during the final PRMC meeting.
- 11.3 The PIO shall submit a Project Completion Report (Technical, Physical and Financial) (both hard copy and soft copy) to Under Secretary MHI along with the minutes of the final PRMC meeting recommending closure. The project completion report shall also consist of detailed designs, drawings, specifications and documents relating to the Technical Know How of the technology developed.
- 11.4 MHI shall grant the "Certificate of Project Completion" to the PIO after satisfactory evaluation of the project completion report. JS/ AS, HE& MT shall act as the final authority for sanctioning the "Certificate of Project Completion".

NIDHI CHIBBER, Addl. Secy.

Annexure-I

The constitution and terms and reference of the Apex Committee

The constitution of the Apex Committee shall be as given below:

| Chairman |
|----------------------------------|
| Member |
| m Members |
| Member |
| nt Member |
| al Member |
| ce Member |
| Member |
| Member |
| Member |
| Member |
| Member |
| Member |
| To be invited as per requirement |
| To be invited as per requirement |
| Member Secretary |
| i |

Terms and reference of Apex Committee

- a. The Apex Committee shall be responsible for the final approval of the projects, reviewing the progress of the projects or any other issues pertaining to the Scheme which needs approval of the Committee.
- b. The Apex Committee may co-opt and /or invite additional subject experts on need basis.
- c. The Apex Committee shall meet bi- annually or as and when necessaryto consider the project proposals recommended by Screening Committee and also to review the progress of the sanctioned projects.

Annexure-II

The constitution and terms and reference of the Screening Committee

The constitution of the Screening Committee shall be as given below:

| i. | Additional Secretary (HE&MT)/ Joint Secretary/, MHI | Chairman |
|-------|---|------------------|
| ii. | Economic Adviser, MHI | Member |
| iii. | Nominee of M/o, MSME | Member |
| iv. | Nominee of D/o Science & Technology | Member |
| v. | Director (IFW-DHI) | Member |
| vi. | Nominee of other relevant Ministries/ Departments as required necessary | Member |
| vii. | Technology Experts (three) as required | Member |
| viii. | Representative of National Research & Development Corporation | Member |
| ix. | Director/ DS (HEMT - MHI) | Member Secretary |

Terms and reference of Screening Committee

- a. The Committee shall be responsible for scrutinizing and screening of the proposals and submitting its report to the Apex Committee and also for any other work entrusted by MHI.
- b. The Committee may co-opt/ invite/ involve subject expert/s on need basis under the empowerment accorded to the Secretary (HI).
- c. It may call the applicant for presenting the proposal and or visit the applicant's premises to assess the feasibility of proposals submitted under the scheme.
- d. The Screening Committee shall meet at the beginning of each quarter or as and when necessary to review the project proposals received.

Annexure-III

The constitution and terms and reference of the Project Review and Monitoring Committee (PRMC)

The constitution of the PRMC shall be as given below:

| S.No. | Member/ Chairperson | Designation |
|-------|--|-------------|
| 1. | Senior Technical Industry Expert (Nominated by MHI) | Chairperson |
| 2. | Technical Expert (Nominated by MHI) | Member |
| 3. | Technical Expert (Industry expert) (Nominated by Industry Association) | Member |
| 4. | Financial Expert | Member |
| 5. | Representative of National Research Development Corporation (NRDC) or any other organization selected by MHI for support in commercialisation/ IPR | |
| 6. | Technical experts of the PIO | Member |
| 7. | Representative of MHI | Member |

The terms of reference of PRMCs are detailed below:

- i) The Project Review and Monitoring Committee (PRMC) will ensure that the terms and conditions of MoU and sanctions for release of Grants by the Ministry of Heavy Industries, GoI are being met by PIO.
- ii) The PRMC will periodically review and monitor the physical and financial progress of the implementation of the projects and submit its report and recommendations to PIO and MHI. Periodic meetings at least once every three months during the projects' entire duration will be conducted.
- iii) The PRMC will recommend, modify, or reject any deviation from the project proposals- submitted to the MHI by the Project Implementation Organization vide their letters after due examination and analysis.
- (iv) PRMC can also recommend specific modalties / procedure to be followed for release of funds to PIO by MHI within the framework of GFR, 2017, if so required for the proper implementation of any project.
- v) The PRMC will also execute any other task that is assigned to it, from time-to-time by MHI.
- vi) The tenure of the PRMC will be co-terminus with that of the project, i.e. with effect from the date of issue of the Office Memorandum notifying its constitution.
- vii) The Chairman of the PRMC shall have the authority to co-opt members as and when required, and shall also have the authority to call for emergency meetings of the PRMC, even when they are not due.
- viii) Special invitees can be invited to attend the meetings of the PRMC, with the prior consent of the Chairman, PRMC.
- ix) The members of the PRMC shall be eligible for token honorarium as decided by each day of the meeting attended.

2. Tenure of PRMC:

The tenure of the PRMC will be co-terminus with the duration of the project.

3. Payment of Travel Expenses and Honorarium:

- i) The Chairman and non- officials member of PRMC shall be paid travel by air (economy class), or by train or by road and daily allowances, as per the existing rules of the Government of India and provided all necessary logistics for their stay at the venue of meetings, by the PIO.
- ii) The Chairman and non- officials members of the PRMC may be paid honorarium by the PIO.

4. Confidentiality:

Chairman and the members of the PRMC will maintain strict confidentiality and avoid disclosure of any information or data concerning the projects, sanctioned by MHI without the consent or authorization of MHI and PIO.

Annexure-IV

The constitution and terms and reference of the Technical Committee (Under Industry Accelerator)

The constitution of the technical committee shall be as given below:

| S.No. | Member/ Chairperson | Designation |
|-------|---|-----------------|
| 1. | Senior Technical Industry Expert (Nominated by MHI) | Chairperson |
| 2. | Technical Expert (Nominated by MHI) | Member |
| 3. | Technical Expert (Industry expert) (Nominated by Industry Association) | Member |
| 4. | Financial Expert | Member |
| 5. | Representative of National Research Development Corporation (NRDC) or any other organization selected by MHI for support in commercialisation/IPR | |
| 6. | Representative of MHI | Member |
| 7. | Representative from the Accelerator | MemberSecretary |

Terms of reference

- a. The Technical Committee shall decide on eligible industries to be formed into cohorts, specific technologies/products to be developed and proportional financial contribution by them.
- b. For each accelerator approved under the Scheme, the above Technical Committee shall be designated as PRMC after selection of the industries is complete. The Terms of Reference as enclosed at Annexure III shall be applicable for Technical Committee after being designated as PRMC.

Annexure-V

Scheme for enhancement of competitiveness in the Indian Capital Goods Industry Phase-II-Application for form for setting up of Centre of Excellence for technology development under the Scheme.

[Applications and enclosures (including DPR) to be submitted in hard copy along with soft copies of the application in prescribed format and DPR (one each in MS Word format and in pdf format)]

Application may be submitted for each technology development projects which facilitates global competitiveness (in the case of more than one technology, separate sheet be filled up)

Please tick off one: New CoE/ Existing CoE

| | Tease tick off one. New Colly Existing Coll | |
|-----|--|--|
| 1. | Title of the Project | |
| 2. | Project Implementing Organisation (PIO) | |
| 3. | Name and contact details of the designated officer of PIO | |
| 4. | Field of the R & D project and relevance to the Capital Goods (indicate the name of the specific machinery/ equipment) | |
| 5. | In case of existing CoE, please provide: | |
| | Status of Projects Sanctioned in Phase-I | |
| | Any other information | |
| | | |
| 6. | Present capacity of the PIO to take up new technological development based on this Project | |
| 7. | Details of industry partner(s), which would be contributing to the cost of the R & D project | |
| | a. Name of the units and field of operations | |
| | b. Location of the units | |
| | c. Date of Starting operation | |
| | d. Annual turnover for the last 3 years | |
| | Strength of Personnel in the Applicant Unit /company | |
| 8. | Information on nature of critical gaps identified | |
| 9. | Equipment required for implementation of this project with justification, brief specification and item-wise cost | |
| 10. | Total cost and duration of the Project (not more than 3 years) | |

| 11. | Means of finance | |
|-----|--|--|
| 12. | Details of the financial contribution of the Industry Partners | |
| 13. | Status of availability of land and building for the project | |
| 14. | Prospects of commercialization of the new technology/ Technical know-how | |
| 15. | Proposed IP rights to protect developed technology/products | |
| 16. | Intended target audience for knowledge dissemination | |
| 17. | Related R & D, Science & Technology work, if any being undertaken by other(s) in India | |

Note: A brief note on the objective for development of new technology / Production, methodology, time lines for development, trial & validation and contribution of this new technology/product to Indian Capital goods sector may be submitted, along with detailed DPR.

Annexure-VI

Scheme for enhancement of competitiveness in the Indian Capital Goods Industry Phase-II-Application form for setting up of Common Engineering Facility Center under the Scheme.

[Applications and enclosures (including DPR) to be submitted in hard copy along with soft copies of the application in prescribed format and DPR (one each in MS Word format and in pdf format)]

Please tick off one: New CEFC/Existing CEFC.

| 1. | Title of the Project | |
|----|--|--|
| 2. | Project Implementing Organization (PIO) | |
| 3. | Name and contact details of the designated officer of PIO | |
| 4. | Nature of service activity, products and proposed location | |
| 5. | Field of the CEFC project and relevance to the Capital Goods | |
| 6. | In case of existing CEFC, please provide: Status of Projects Sanctioned in Phase-I Number of training conducted of year wise and domain wise detail may be furnished. Any other information | |
| 7. | Present capacity of the PIO to take up new CEFC Project | |
| 8. | Details of industry partner(s), which would be contributing to the cost of the CEFC project a. Name of the units and field of operations b. Location of the units | |

| | c. Date of Starting operationd. Annual turnover for the last 3 years | |
|-----|---|--|
| | Strength of Personnel in the Applicant Unit /company | |
| 9. | Information on nature of critical gaps identified | |
| 10. | Equipment required for implementation of this project with justification, brief specification and item-wise cost | |
| 11. | Total Cost and duration of the Project (not more than 3 years) | |
| 12. | Means of finance | |
| 13. | Details of the financial contribution of the Industry Partners | |
| 14. | Status of availability of land and building for the project | |
| 15. | Revenue generation mechanism for sustainability of assets (service/ user charges to be levied, any other to be specified) | |
| 16. | Intended target audience for knowledge dissemination | |
| 17. | Related Common facilities, if any being created by other(s) in India | |

Note: A brief note on the objective for setting up of CEFC, infrastructure/ services to be provided by, time lines for operationalising the CEFC, details of beneficiary industries aimed to be covered and its contribution to Indian Capital goods sector may be submitted, along with detailed DPR.

ANNEXURE-VII

Scheme for enhancement of competitiveness in the Indian Capital Goods Sector phase II- Application form for setting up of Industry Accelerator under the Scheme

[Applications and enclosures (including DPR) to be submitted in hard copy along with soft copies of the application in prescribed format and DPR (one each in MS Word format and in pdf format)]

| 1. | Name of the accelerator (PIO) | |
|----|--|--|
| | Name and contact details of the designated officer of PIO | |
| 3. | Field of the project and relevance to the Capital Goods | |
| 4. | Objective, Scope and Output targeted | |
| 5. | Information on nature of critical gaps identified | |
| | Total cost and duration of the Project (not more than 2.5 years) | |
| 7. | Means of finance | |
| 8. | Physical Targets (year wise) | |

| 9. | Prospects of commercialization of the new technology/ Technical know-how | |
|-----|---|--|
| 10. | Proposed IP rights to protect developed technology/ products | |
| 11 | Whether the technologies developed shall be having a multiplier effect in that particular segment/Industry and what will be the likely impact on the imports. Kindly submit the projections on reduction of imports for the next 5 and 10 years separately. | |

Note: A brief note on the objective to be achieved by the project, proposed Industry partners to be chosen and justification thereof, methodology, timelines for development, trials & validation, non technical support for the project & it's likely contribution to Indian Capital goods sector may be submitted, along with detailed DPR.

Annexure-VIII

Scheme for enhancement of competitiveness in the Indian Capital Goods Sector phase II-Application form for augmenting the existing testing and certification centers under the Scheme.

[Applications and enclosures (including DPR) to be submitted in hard copy along with soft copies of the application in prescribed format and DPR (one each in MS Word format and in pdf format)]

| 1 | Name of the Project | |
|----|---|--|
| 2 | Project Implementing Organization (PIO) | |
| 3 | Name and contact details of the designated Officer | |
| 4 | Total Cost of the Project | |
| 5 | Field of testing & certification and relevance to the capital Goods Industry | |
| 6 | Present capacity / Pre-requisite of the facility available to take up this project | |
| 9 | Is the existing testing & certification centre is certified by Competent Authority (Attach Proof) | |
| 10 | Equipment required for augmenting of this centre with justification, brief specification and item-wise cost | |
| 11 | Details of the funding of 20 % financial contribution | |
| 12 | Current demand in Indian market and International Market | |
| 13 | Existing Clients / beneficiaries details; (both domestic & International) | |
| 14 | No and kind of industries likely to be benefitted by this augmentation year wise and year wise revenues likely to be generated after augmentation | |

Note: A brief note on the objective for augmentation of Testing & Certification centre, infrastructure/services to be provided by, time lines for operationalising the augmented Centre, details of beneficiary industries aimed to be covered and its contribution to Indian Capital goods sector may be submitted, along with detailed DPR.

Annexure-IX

Scheme for enhancement of competitiveness in the Indian Capital Goods Sector phase II-**Application form for** Development of Qualification Packs (QPs) under the Scheme.

[Applications and enclosures (including DPR) to be submitted in hard copy along with soft copies of the application in prescribed format and DPR (one each in MS Word format and in pdf format)]

| 1. | Name of the Sector Skill Council | |
|----|---|--|
| 2. | Name and contact details of the Sector Skill Council | |
| 3. | Name of the proposed Qualification Pack(s) | |
| 4. | Need for the development of the proposed Qualification Pack(s) | |
| 5. | Details of Industry consultation and gap analysis undertaken in this regard | |
| 6. | Prospective job roles arising out of the targeted QPs | |
| 7. | Targeted learners | |
| 8. | Expected outcome and overall impact on the Capital Goods Sector | |
| 9. | Total Cost and time required for development of Qualification Pack(s) | |

Note: A brief note on the objective for development of Qualification Pack(s), methodology, time lines for development, contribution of this new Qualification Pack(s) to skilling in the Indian Capital goods sector along with the detailed action plan as per guidelines of Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for formulation of QPs may be submitted, along with application.

Appendix-A

| MEMORANDUM OF UNDERSTANDING |
|---|
| MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MoU) BETWEEN THE MINISTRY OF HEAVY INDUSTRY (MHI), Ministry of Heavy Industries, GOVERNMENT OF INDIA and |
| This MoU for the development and execution of (Name of the project) (hereinafter referred to as the "Project") is signed on this |

The Ministry of Heavy Industries, Government of India, having its office at UdyogBhawan, New Delhi (hereinafter referred to as MHI which expression shall, where the context so requires or admits, be deemed to include its successors and permitted assignees) of the first part.

And

......(Name of the PIO) having its registered office at(herein after referred to as in short as PIO, which expression shall where the context so requires or admits, be deemed to include its successor and permitted assignees) of the second part.

| The Ministry of Heavy Industries (MHI) and \dots (Name of the PIO) are referred to individually as a "Party" and collectively as "Parties." |
|---|
| Whereas, MHI has approved in the |
| Now it is agreed by and between the parties that the project would be executed (within the following Definitions, Objectives, Scope, Deliverables and the Responsibilities of each of the implementing agencies. |
| 1. DEFINITIONS |
| a. "Capital Goods scheme-Phase-II" means Scheme for "Enhancement of global Competitiveness of Indian Capital Goods Sector- Phase- II" of Ministry of Heavy Industries, Government of India as indicated in Notification No HE&MT datedpublished in the Gazette of India (Extraordinary) Part I, Section 1, No |
| b. "Project" means project proposed by |
| c. " Project Implementing Organization " (PIO) shall mean that(Name of the PIO) is responsible for implementing the Project as indicated at (b) above. |
| d. "Funding Organizations" shall mean MHI and the Industry Partner supporting the project financially to the extent of maximum 80% and minimum 20% of the project cost respectively. |
| e. "Apex Committee" (AC) on Capital Goods scheme-Phase-II will be hereinafter called AC-CG Scheme. Secretary, MHI is the Chairman of Apex Committee and Additional/Joint Secretary (HE & MT), DHI is the Member Secretary. Apex Committee, constituted by the Government of India is the final approving authority under the Capital Goods scheme-Phase-II and will also review the progress of the project biannually. |
| f. 'Parties' refer to the organizations participating in the project namely MHI and |
| g. "Approval Letter" shall mean the letter No HE&MT dated communicating detailed terms and conditions of the approval of the competent authority in Ministry of Heavy Industries for the Project. |
| 2. OBJECTIVE |
| The objective of the development of the (Name of the project) is |
| |
| |
| 3. PLAN, METHODOLOGY AND WORKING PROCEDURE: |
| The proposed |
| 4. PROJECT SCHEDULE/MAJOR MILESTONES& OUTPUT: |
| 4.1 The project work on the development of |

5. MODE OF FINANCING:

The project cost will be jointly funded by the Ministry of Heavy Industries, Government of India (MHI) and the PIO (**Project Implementing Organization**). Overall ratio of MHI funding and PIO contribution will be at the ratio of 80 (maximum):20 (minimum). The total project cost is Rs. cr. out of which MHI contribution will be limited to a maximum of up to 80%, i.e. Rs. cr. and the rest will be contributed by the Industry Partner. 10 % of the sanctioned MHI grant shall be disbursed as Advance Mobilization fund to the PIO immediately after signing of the MoU which shall be subsequently adjusted against the amount of the 1st instalment that shall be released after the matching contribution has been made by the Industry Partner in the designated savings account. For subsequent installments, the PIO should first deposit and confirm pro rata Industry contribution in the designated Saving Bank Account (in a public sector bank) for the Project to MHI before the Grant in Aid is disbursed from MHI.

The financial details are as given below:

| Installments | MHI GRANT (Rs Cr.) | Industry Partner ()Contribution (Rs Cr.) |
|----------------------------|-----------------------|---|
| 1 st | | |
| $2^{\rm nd}$ | | |
| 3 rd | | |
| 4^{th} | | |
| | | |
| | | |
| TOTAL PROJECT COST: Rs. | | |

- 5.2 Fund will be released by MHI in the designated Saving Bank Account opened in a public sector bank for theProject after receiving confirmation of contributions by the **PIO**. Release of fund will be subject to the fulfillment of terms and conditions of the MoU, Capital Goods Scheme Phase-II Gazette Notification dated...... and the relevant Government Orders/ General Financial Rules 2017.
- 5.3 MHI Budgetary grant will be released in installments. The Utilization of budgetary grant will be subject to and in compliance of terms and conditions of the MoU. The PIO shall submit the documents as per the check list (Annexure –B) at the time of release of the each installment of MHI grant:
- 8.4 Release of the mobilization funds and installments of GOI Grant shall be released after signing of MoU by the Grantee Organization with MHI and subject to fulfillment of formalities associated with release of Grants- in- aid in accordance with Government Rules and instructions. Release of subsequent installments shall be subject to satisfactory utilization of the Grant-in-aid by the Project Implementing Organization (PIO), completion of defined milestones and outcomes/ outputs as per target, and recommendations of the PRMC.

6. FINANCIAL & FUNDING PARAMETERS OF THE PROJECT

6.1 The project is partly funded by MHI under the CG scheme through grant in aid and the remaining is funded by the Industry partner. The total approved financial outlay of the project as per approved proposal is Rs......cr. This is the total cost of the investment towards development of the(Name of the project). The grant in aid amounting to maximum of 80% of the Project cost and limited to Rs...... should be utilized for the purposes of(Name of the component) only. Utilization of the grant in aid would result in output wise achievement of the targets as indicated in paragraph 4 above.

| | Cost Component | Outputs | Milestone I | | Milestone II | | Milestone III | |
|----|----------------|---------|--------------|------------------------------|--------------|------------------------------|---------------|------------------------------|
| | | | MHI share | Industry Partner share | MHI share | Industry Partner share | MHI share | Industry Partner share |
| A | | | | | | | | |
| В. | | | | | | | | |
| C | | | | | | | | |
| | Total | | | | | | | |

- 7.1 The Project Implementing Organization (PIO) shall be responsible for timely delivery of the output subject to timely receipt of funds from both MHI and others.
- 7.2 The PIO shall maintain a separate saving bank account in a public sector bank for the project for the funds released by MHI for execution of this project.
- 7.3 Grant on Aid shall not be used for construction of land or/and construction of building.
- 7.4 The PIO shall make arrangements for proper operation and maintenance of equipment/ knowledge procured under the project. PIO shall acknowledge procurement of equipment under this project by a "TRUST RECEIPT" which is attached to this document as **Annexure-A.**
- 7.5 The PIO shall ensure that the funds released are utilized only for the purpose of the project. The PIO shall submit a quarterly utilization report and shall submit an Audited Statement of Accounts annually as per DoE guidelines, as amended from time to time by the Government of India.
- 7.6 The PIO shall provide free access to MHI Officers (or nominees / representatives) and the Apex Committee- Capital Goods Scheme Phase-II members and their representatives to all facilities/ assets and their records relating to the project.
- 7.7 The PIO shall also be responsible for achieving and regular reporting of the progress of the project to PRMC as per milestones laid down in the MoU.
- 7.8 The PIO shall maintain a fixed asset register of permanent and semi-permanent assets including the web development software tools, cloud space hiring, servers, compilers, network hardware's and accessories, software testing tools/Apps acquired out of the grant-in-aid/ their own contribution as well as log for use of them. The PIO should maintain proof of having procured genuine new software from the vendor along with invoices, payment receipt and market value of the specifically procured machine. The Register/ log shall be open to inspection by the Ministry of Heavy Industries.
- 7.9 The utilization of assets so created shall be in public interest and shall be the responsibility of the PIO as per the extant guidelines of the CPSE/ Autonomous Bodies/ GFR 2017.
- 7.10 The PIO will ensure that assets will not be disposed-of/ sold/ transferred/ leased/ rented/ transferred without prior approval of Ministry of Heavy Industries.
- 7.11 The PIO will not add MHI grants into the revenue formula, while determining the user charges/ fees.

- 7.12 The PIO will ensure that the infrastructure created is available to the Capital Goods and auto sector units particularly those belong to Micro, Small and Medium Enterprises sector to enable them to become globally competitive.
- 7.13 The PIO shall also be responsible for adhering to law of the land including rules of central, state and local Governments in its operation.
- 7.14 The PIO shall indemnify and protect the Government of India from all costs, damages and expenses arising out of any claim, action or suit brought against Government of India by third parties in respect of any infringement of any patent, registered designs or Intellectual Property Rights resulting from use of any technical information, data or process or design belonging to or used by the PIO and/ or furnished to Government of India.
- 7.15 The PIO will adhere to and follow the Labour Acts and Rules while executing this Contract and shall keep the Government of India indemnified and protected from all claims, costs, damages, and expenses arising out of any violation of Labour Acts and Rules.
- 7.16 In case the PIO proposes to import any equipment/part, software, etc. for the purpose of the project in India, all duties related to such imports shall be paid directly by the PIO to the concerned authorities. MHI will not bear any liability on this account. It will be the responsibility of the PIO to provide the required particulars and documents to the Customs authorities and other Government Authorities and get the materials cleared and transported in time. The PIO shall be fully responsible for the delays, demurrage, penalties, charges and losses, if any, in this regard.
- 7.17 The PIO, shall under the project cost, insure and keep insured all the machinery and equipment etc. acquired for implementation of the Project, for a minimum period of 5 years by utilizing the grant. In case of loss or damage of such machinery and equipment, etc. the insurance benefit will be payable to the Government of India.
- 7.18 PIO shall ensure quality documentation/ photographs and video recording of all milestone activities and present the same during monitoring by PRMC.

8. MANDATORY OBLIGATIONS

- 8.1 It is obligatory on the part of PIO i.e. ,to ensure free access to Apex Committee members, Screening Committee Members/ MHI officials / its representatives to all facilities/ assets and records relating to the project located at their works.
- 8.2 The PIO shall duly acknowledge MHI for funding this project in all publications, reports, publicity, presentations materials, assets/ facilities created, events, etc. including on their portal / website and elsewhere.
- 8.3 The PIO shall furnish all deliverables of the project such as full documentation pertaining to (Name of the project) (including machinery and equipment), design etc. to MHI. The PIO shall have to submit all drawings, details and technical know- how of the targeted technology to MHI while requesting for closure.
- 8.4 PIO shall follow the terms and conditions of IPR agreement appended to this MoU at Annexure -C, which shall be a part of this MoU.
- 8.5 The assets/ machinery acquired/ facilities created by the PIO wholly or substantially out of Government grants, except those declared as obsolete and unserviceable or condemned in accordance with the procedure laid down in the GFR 2017 shall not be disposed-of, encumbered or utilized for another purpose/ project, without obtaining the prior approval of the authority which sanctioned the grants. In case of winding up or dissolution of the organization as per provisions of Companies Act 2013, all the assets acquired to that effect out of the grants by the Ministry should be returned forthwith to the Government of India as per policy laid down by GoI and amended from time to time. The GoI shall have all rights to dispose of the returned assets as per GoI policy in that regard, as amended from time to time.
- 8.6 The yearly audited accounts of the PIO will have to be submitted to the Ministry by the grantee within stipulated period of the close of the succeeding financial year of the grantee if the non-recurring grant is Rs.50 lakhs and above as one-time assistance as per Rule 238 of GFR, 2017, as amended from time to time.

- 8.7 The accounts of the grants shall be open for inspection by the authority approving the grant- in- aid and audit, both by the Comptroller and Auditor General of India and Internal Audit party of the Principal Accounts office of the Ministry of Heavy Industries whenever the grantee institution PIO is called upon to do so/
- 8.8 The PIO is required to submit a performance-cum-achievement report within a period of one month after the end of each financial year along with an audited statement of accounts of the project as per Rule 238 of GFR, 2017, as amended from time to time.
- 8.9 The grants-in-aid should not be a source of profit. If after examination of the Audited Accounts, Ministry comes to the conclusion that the grants-in-aid have been a source of profit, then the PIO shall forthwith refund the amount of profit generated to the Government of India.
- * Source of profit- Profit/ income generated by the PIO by utilizing the resources (machinery and other assets) that have been purchased out of Govt grants, for purposes that do not form part of the project scope.
- 8.10 The grantee organization shall not utilize the interest earned on the recurring/non-recurring grants in aid, released to it for any purpose. The interest earned shall be indicated in the Utilization Certificate (UC) and to be refunded to the Ministry of Heavy Industries after the end of each financial year as per Rule 230(8) of GFR, 2017, as amended from time to time.
- 8.11 The PIO shall not incur any expenditure on those items, the purchase of which have been banned by the GoI.
- 8.12 In the case of Voluntary Organizations, before a Grant is released, the members of the Executive Committee of the Grantee need to Execute Bonds (Execution of Bond will not apply to Quasi-Government Institutions, Central Autonomous Organizations and Institutions whose budget is approved by the Government) in a prescribed format binding themselves jointly and severally to:-
- a) Abide by the conditions of the Grants in-aid by the target dates, if any, specified therein; and
- b) Not to divert the Grants or entrust execution of the scheme or work concerned to another Institution(s) or Organization(s); and
- c) Abide by any other conditions specified in the agreement governing the Grants-in-aid.
- d) In the event of the Grantee failing to comply with the conditions or committing breach of the conditions of the Bond, the signatories to the Bond shall be jointly and severally liable to refund to the President of India, the whole or a part amount of the Grant with interest at ten per cent per annum thereon or the sum specified under the Bond.
- 8.13 In the event of any liquidation or bankruptcy proceedings against the PIO, the assets; machineries and equipment, software / hardware procured for the purpose of the Project by the PIO or with the support of grant- in- aid, shall be outside such proceedings and the GOI may assume the control and management of the PIO and appoint any of its officer or authorized representative to run the Project.
- 8.14 It is mandatory on the part of the PIO to register self and all Participating Organisations in the project on Public Financial Management System (PFMS i.e. www.pfms.nic.in) for receiving Government grant sanctioned to them and also tracking fund flow, unspent balances, etc. till last level of implementation of the project. The PIO is also required to submit data on Unspent balance in respect of the project on every last day of the month for which Government grant released.
- 8.15 It is mandatory on the part of the PIO to register on any of the six Technology Innovation Portals developed by CMTI, IIT Madras, ICAT, ARAI, HMT-IISc Bangalore and BHEL.
- 8.16 The PIO shall not change the form or the basic objectives/ outcomes/ outputs of the project without prior approval of MHI. The objectives of the assisted project shall not be amended without written permission of the concerned JS/ AS , HE & MT Section.

9. ROLE AND RESPONSIBILITIES OF PROJECT COORDINATING ORGANIZATION — MHI

9.1 MHI will approve and provide the grants and review the progress of the project.

- 9.2 MHI would release the funds to the PIO i.e..... in the designated savings Account for execution of the project based upon the financial, technical and physical progress of the project and recommendations of the PRMC.
- 9.3 MHI will monitor utilization of Grants by PIO so that the funds released are utilized by PIO only for the purpose of the project component for which it is released.
- 9.4 MHI would be free to use the equipment/ facilities; software procured/ developed for any scientific work or technology development/ demonstration purpose on their own or can request the PIO for use of this infrastructure/software/hardware by any other organization/ agency or manufacturer for scientific technology development/ demonstration for public purpose.
- 9.5 MHI will provide necessary certificates/ documents for facilitating approvals from Central Government under Section 35 of IT Act towards expenditure incurred on scientific research, wherever applicable.
- 9.6 All correspondences for communication shall be addressed to Additional/ Joint Secretary (HE & MT), MHI who shall be the contact person for all matters concerning the project.

10. MONITORING PROGRESS

- 10.1 The PIO will furnish the progress (Physical/ Technical and Financial) of the project in reference to milestones for each quarter within a month after completion of the quarter in compliance with paragraphof the Scheme Guidelines. For the purpose of furnishing quarterly reports, the first quarter starts in April of every financial year. The Quarterly Progress Reports (QPR) are to be furnished in the prescribed formats for reporting technical and financial progress.
- 10.2 MHI will constitute a Project Review and Monitoring Committee (PRMC) involving representatives from MHI, PIO, Industry Association, user industry and domain experts from outside to regularly review and guide the project team.
- 10.3 PRMC constituted for each project will monitor the progress of the project with reference to the milestones specified in the project schedule and quarterly progress report submitted by PIO.
- 10.4 Grants linked to milestones will be released after recommendation of the PRMC of the reported progress and request of grant release.
- 10.5 Annual Reports of the Project will also be submitted along with financial year end Utilization Certificates.

11. PROJECT REVIEW BY APEX COMMITTEE OF THE CAPITAL GOODS SCHEME -II

- 11.1 The Apex Committee will review the progress of the approved projects biannually.
- 11.2 PIO and beneficiary units may be invited during progress review at Apex Committee.
- 11.3 For the purposes of monitoring, MHI may send its own teams for physical verification.
- 11.4 The monitoring may bring out need for changes in approval of the project, which may be considered by the Apex Committee on their merits without changing the objective of the project.

12. FUND UTILIZATION CERTIFICATE (UC) AND PROJECT ACCOUNTS

- 12.1 Before the release of subsequent grant, PIO shall submit the Fund Utilization Certificate (UC) in the specified format (Form GFR 12A) (Rule 238 (1) of General Financial Rules 2017) along with progress report and a certified copy of project account statement duly remarked / reconciled.
- 12.2 All Utilization Certificates indicating the financial statements shall be audited and certified by "Accounts Officer" of the PIO or by authorized "Auditors" or "Head of Accounts".
- 12.3 The UC in respect of utilization of grants for the purpose/ object for which it was sanctioned should be furnished by the PIO with an audited statement of accounts, within stipulated period of the closure of the financial year in which Grant-in-Aid is released or while making request for release of fund.
- 12.4 The project accounts will be maintained as per the Govt. Orders/ General Financial Rules (GFR 2017) and best practices. Name/s of authorized signatories will be informed to MHI.
- 12.5 The Accounts duly audited by external auditors shall be forwarded to MHI at the end of each financial year.

- 12.6 Unspent balances/ bank interest / other earning will be taken into account in the Project. All investment returns received on account of MHI funds shall be mandatory reported by the PIO to MHI will be counted as MHI grant within the overall sanction. The UC will contain statement of such income.
- 12.7 Grants / bank interest spent on purposes other than sanction will attract penalties on case to case basis and other punishments as per the provisions of law of the land.

13 PROJECT COMPLETION & TECHNICAL REPORT

- 13.1 A project will be considered to be completed when all outcomes/ outcomes and milestones have been achieved and certified by Project Review and Monitoring Committee (PRMC).
- 13.2 The PIO will report the project closure to the Additional/Joint Secretary (HE&MT), MHI through PRMC.
- 13.3 The AS/ JS, HE & MT division will finally approve the request of the project completion on PRMC recommendations.
- 13.4 The PIO shall submit a Project Completion Report (Technical cum Financial) along with a soft copy to MHI within one month of the completion of the project. The PIO shall also furnish the feedback, suggestions, report of IPRs generated along with the project completion report. Such completion reports will be used for Capital Goods Scheme Phase-II evaluation and drafting Roll-out of further Phase of the CG-Scheme.
- 13.5 It should be the endeavor of the PIO to complete the project in the prescribed timelines. However, in case of unavoidable circumstances leading to project time overruns, the same will have to be justified to PRMC by the PIO and PRMC may submit their recommendations to MHI, in this regard. The time and cost overruns shall be considered only under special circumstances specified by PIO on a case to case basis. For time overruns AS/JS, HE & MT, MHI and for cost overruns Apex Committee shall be the final authority and their decisions will be binding to PIO.
- 13.6 All decisions of Apex Committee will be binding on the PIO and Industry Partner.

14. CONFIDENTIALITY

- 14.1 The PIO will maintain strict confidentiality and prevent the disclosure of all information and data exchanged/ generated pertaining to work assigned under this MoU till the completion/ commissioning of the project except with prior consent of MHI.
- 14.2 The above condition is subject to RTI and other laws of the land.

15. STATUTORY REQUIREMENTS

- 15.1 Implementation of the Project will be carried out by the PIO in accordance with statutory provisions like Workmen's Compensation Act, Labour (Regulation and Abolition) Act, Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, employees Provident Act or any other related enactment passed by the Parliament or State Legislature and any rules/ laws made there under by the either Central or respective State Governments.
- 15.2 Since the project is sanctioned to the PIO, it shall not be transferred to any other Institution. The transfer of project money within the Institution or with other Institutions under the same Management is not permitted under any circumstances.

16. FORCE MAJEURE

- 16.1 None of the participating parties shall be held responsible for non-fulfillment of their respective obligations under this MoU due to the exigency of one or more of the force majeure events, such as but not limited to, acts of God, war, natural calamities such as flood, earthquakes, etc. and strike, lockout, epidemics, riots, civil commotion etc. provided on the occurrence of cessation of any such events, the party affected thereby shall give a notice in writing to the other party within one month of such occurrence or cessation.
- 16.2 If the force majeure conditions continue beyond six months, MHI and the PIO shall then mutually decide the future course of action.

17. VALIDITY OF MOU

The MoU comes into force on the date of issue and is valid till 31st March 2025 from the date of issue or till the date of issue of Project Closure Certificate by MHI whichever is later.

18. AMENDMENTS TO THE TERMS & CONDITIONS OF MOU

No amendment or modification of the terms and conditions shall be valid unless the same is made in writing by MHI and the PIO or their authorized representatives and specifically stating the same to be an amendment of this MoU. On part of MHI approval of the Apex Committee will be a pre-requisite for making any amendment to this MoU. The modifications/ changes shall be effective from the date on which they are made/ executed, unless otherwise agreed to.

19. RESOLUTION OF DISPUTES

- 19.1 In the event of any dispute between MHI and the PIO, in the first instance, the same shall be resolved by mutual discussion.
- 19.2 In case the dispute is not resolved mutually, Secretary, Heavy Industries will be empowered to nominate an arbitrator to decide the dispute. The award made by the arbitrator, shall be submitted to the Secretary, Heavy Industries, whose decision will be binding on both parties.

20. JURISDICTION

The instant MoU issued by MHI and acceptance of the same by the PIO will constitute an Agreement. The Courts at Delhi shall have jurisdiction in all matters concerning this Agreement including any matter arising out of the arbitration proceedings or any award made therein.

21. GOVERNING LAW

Notwithstanding anything contained in this MoU, in case of any conflict between any of the provisions of this MoU with provisions of MHI Notification on Capital Goods Scheme Phase-II dated General Financial Rules 2017/ and other relevant Government Instruction(s)/ Order(s), as amended from time and time, the latter will prevail. Right of interpretation of MHI Notification on Capital Goods Scheme Phase-II dated/ General Financial Rules 2017/ Government Instruction(s)/ Order(s) for this purpose shall rest with the Secretary, Ministry of Heavy Industries.

22. TERMINATION OF THE PROJECT

- 22.1 MHI may terminate this arrangement upon 30 calendar days' notice in writing or after occurrence of any of the events specified in paragraphs below:
- (a) If the PIO does not remedy a failure in the performance of its obligations under the Agreement, within 60 days of being notified of such a failure, or within such further period as MHI may have subsequently approved in writing;
- (b) If the PIO becomes insolvent or bankrupt; or
- (c) If, as the result of Force Majeure event, the PIO is unable to perform its obligations.

The termination of this arrangement shall not prejudice or affect in anyway, the rights and benefits accrued or liabilities and duties assigned to the Parties of this MoU.

WITENESS WHEREOF the parties hereto have signed this MOU on the day month and year mentioned hereinbefore.

| | For and behalf of | For and on behalf of MHI |
|-----------------------|-------------------|--------------------------|
| Signature | | |
| Name & Designation | | |
| Address | | |
| Witness 1 | | |
| Witness 2 | | |

| Annexure | e -A |
|----------|------|
| | |

| TR | UST | \mathbf{RE} | \mathbf{CE} | IРТ |
|----|-----|---------------|---------------|-----|
| | | | | |

| (MHI), a | the matter of the MoU datedof | | |
|--|---|---|---|
| repositor servers, of the name with | the tangible and intangible assets, the knowledge and y of data, resources and technologies the web development of accessories, sof of with the funds provided by MI during the implementation of the protected in the MoU. | elopment software tools, clo tware testing tools/Apps thou II, for the subject project, wil | ud space hiring, igh purchased in Il be held in trust |
| | he above as detailed at para 2 will not be transferred ten approval of MHI, and would remain with | | PIO without the |
| 4. I | N WITNESS THERE OF 1., 2, 3 has executed(year). | l these on(day) of | (month), |
| Signed by | y | | |
| Sl. No | . Name | Occupation & Address | Signature |
| 1. | | | |
| 2. | | | |
| 3. | | | |
| For and o | on behalf of the, in the presence | of Witnesses: | |
| Sl. No. | Name | Occupation & Address | Signature |
| 1. | | | |
| 2. | | | |

Note- This is a sample MoU/ draft MoU and actual MoU may differ as per requirement of project consultation with PIO of MHI.

Annexure -B

Check list of documents to be deposited for release of MHI Grant

- (i) Duly executed bond submitted by private organizations in furtherance of Rule 231(2) and 231(3) of General Financial Rules 2017;
- (ii) Pre- receipt;
- (iii) Bank Mandate form;
- (iv) Acceptance letter by the PIO;
- (v) Utilization certificate as per Rule 86(6) of General Financial Rules 2017 (not required in case of first installment and mobilization advance);
- (vi) Progress reports against milestones defined in the MoU (not required for first installment and mobilization advance);
- (vii) Minutes of the PRMC meeting recommending release of the subsequent installment of the MHI grant.
- (viii) In the case of Voluntary Organizations, before a Grant is released, the members of the Executive Committee of the Grantee need to Execute Bonds (Execution of Bond will not apply to Quasi-Government Institutions, Central Autonomous Organizations and Institutions whose budget is approved by the Government) in a prescribed format binding themselves jointly and severally to:-
- a) abide by the conditions of the Grants in-aid by the target dates, if any, specified therein; and
- b) not to divert the Grants or entrust execution of the scheme or work concerned to another Institution(s) or Organization(s); and
- c) abide by any other conditions specified in the agreement governing the Grants-in-aid.
- d) In the event of the Grantee failing to comply with the conditions or committing breach of the conditions of the Bond, the signatories to the Bond shall be jointly and severally liable to refund to the President of India, the whole or a part amount of the Grant with interest at ten per cent. per annum thereon or the sum specified under the Bond.

Annexure-C

DRAFT IP OWNERSHIP AND MONETISATION AGREEMENT

| THIS IP Ownership and Monetization Agreement (the "Agreement") is made and entered into on this 2021 ("Effective date") by and between: |
|---|
| Ministry of Heavy Industries , under the Government of India, having its office at Udyog Bhawan, New Delhi(hereinafter referred to as MHI), which expression shall unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include its successors in interest, designates and permitted assignees, as the First Party. |
| And: |
| ABCD Ltd. having its registered office atrepresented by, (hereinafter called 'ABCD'), which expression shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include its successors-in-interest, designates and permitted assignees, as the Second Party. |
| And |
| PQR Ltd. having its registered office at, (hereinafter called 'PQR'), which expression |
| shall, unless repugnant to the context or meaning thereof, be deemed to mean and include its successors-in-interest, designates and permitted assignees, as the Third Party |
| MHI, ABCD, PQR are hereinafter collectively referred to as the "Parties" and individually as a "Party". |

RECITALS:

- A. Ministry of Heavy Industries, Government of India has funded project(s) for technology development, under the Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Capital Goods Sector;
- B. ABCD is an academic institution/research institution, engaged in conducting advanced research in various fields of technologies and is acting as the Project Implementing Organisation (PIO);

NOW, THEREFORE, in consideration of the foregoing and the mutual promises and covenants that follow, the Parties identify and agree to the terms of this Agreement for the ownership and management of the IP generated during the execution of the project(s) sanctioned by MHI under its Scheme for Enhancement of Competitiveness in the Capital Goods Sector.

1. OBJECTIVE AND SCOPE OF AGREEMENT:

The technology developed and the Intellectual Property Rights granted in respect of the developed technologies under the projects funded by Ministry of Heavy Industries (MHI) under the MHI Scheme on Enhancement of Competitiveness in the Capital Goods Sector, shall be governed as per terms and conditions stipulated by the present agreement. Expectations from Project Participants (1) MHI and PQR shall jointly fund the project in the ratio 80:20. (2) ABCD shall allow use of its various facilities for research, providing expertise of its faculty members and background IPs (if any) for the development of the targeted technology (ies); (3) PQR shall contribute in funding, research team, and background IPs (if any).

2. OWNERSHIP OF INTELLECTUAL PROPERTY:

- a. **Background IP:** The Parties recognize and acknowledge that the ownership of the background IP belonging to each Party prior to start of respective project shall exclusively belong to that respective Party.
- b. **Foreground IP:** Any know-how, technology, discovery, results, or patentable invention generated under any project shall be a Joint Property of contributing Parties (MHI, PIO &Industry Partner). If such discovery is patentable, the patents will be filed in joint name. PIO will take the lead in filing the IP. The cost of filing IP in India will be borne by the PIO. All such IP shall be filed in joint name of MHI, PIO and Industry partner. Entire cost of foreign Filing, Prosecution and Maintenance will be borne by PIO.
- c. PIO, MHI and Industry Partner shall normally retain perpetual, royalty free license of the IP during the duration of the IP. The PIO can use the IP for research and educational purposes and the Industry partner can use it for commercialization purposes for their own use only.
- d. Lock in period: The IP/ technology developed shall not be transferred to any third party for a period of three years from the date of completion of technology development, as approved by the Apex Committee of the scheme or within six months of receiving approval from the PRMC constituted for the project. During this period of three years, the technology shall be exclusively used by the Industry partner for commercialization and further technological upgradation. The academic institution may use the technical know- how for research purposes, however, the academic institution shall not share the technical know- how, details and design of the technology so developed with any third party. After the expiry of the lock in period, the technology/ IP shall be open for transferring to any third party with the mutual agreement of the MHI, PIO. All costs pertaining to the transfer of rights/ ownership of the IPs may be borne exclusively by the PIO. All costs pertaining to the transfer of rights/ ownership of the IPs may be borne exclusively by PIO.
- e. Licensing of the technology before the grant of IP- After the expiry of the lock in period and till the time, the patent is granted, the technology can be transferred to a third party by way of a transfer of technology agreement as per Annexure A. The transfer of technology shall take place with the mutual agreement of MHI, PIO.

- f. **Licensing of the IP:** A non- exclusive license may be granted to any third party, after the expiry of the lock- in- period of three years. The licensing of IPRs shall be done with the mutual consent of MHI, PIO. However, after the expiry of 10 years of the grant of patent, all decisions pertaining to the licensing of the patent shall be taken by the PIO.
- g. **Sharing of royalty:** The royalty earned in case of licensing of IPRs/ by way of technology transfer agreement shall be distributed in the ratio 80:20 between PIO and the service account. The royalty share in the service account shall be used for the promotion and upgradation of the technology developed. Unused funds from the service account will be used for promotion of commercialization, IP protection and any other related activities. All decisions in this regard may be taken by MHI and PIO mutually.
- h. **IP Management fund**: PIO shall be responsible for the management of the IP. PIO shall utilize funds out of the earned revenues (80% share in royalty), for any activity relating to commercialization and maintenance of IPR or obtaining IPR in any other country, or for capacity building in the area of IP protection, annual maintenance etc.
- i. Commercialization of the technology: Commercialization shall be sole responsibility of the Industry partner. PIO and MHI shall extend all possible support to Industry partner for commercialization purposes. In case the Industry partner fails to commercialize, the technology shall be assigned to National Research Development Corporation for arranging commercialization. NRDC shall help in bridging the gap between the level of technology developed and the actual industrial requirement. MHI shall be protected and indemnified from all liability arising from development and commercialization of the IPR.

3. **OBLIGATION:**

- a. PIO agrees to identify potential licensees, customer and/or joint development partner; negotiate the best possible terms and coordinating to enable the parties to enter into a sale or license.
- b. **MHI** agrees to provide best support to PIO for enhanced outreach through other government departments.
- c. **Industry Partner** agrees to provide best support to PIO for development of the targeted technology and shall play a key role in commercialisation of the targeted technology.

4. TERM AND TERMINATION:

The Agreement shall commence from the Effective Date and shall continue until the validity of the last of the patents. Either Party may terminate this Agreement upon thirty (30) days advance written notice to the other Parties. However, in the event of such termination, the ownership rights and revenue sharing arrangements of all joint IPs shall remain unaffected. Moreover, each Party shall return all information that is proprietary to the other party.

5. INDEMNITY:

PIO shall indemnify MHI against infringement claims. Moreover, upon entering into of any agreement with a third party, the parties shall procure an indemnity from such third party for the use or license of the Technology.

6. LIABILITY:

Except as any liability agreed herein, in no event shall either Party be liable to the other, either for or under this contract, tort or any other legal theory, for any direct, indirect, incidental, special, consequential, reliance or cover damages, including, but not limited to, loss of profits, revenue, data or use, incurred by the other party under this Agreement even if advised of the possibility of the same and arising out of either the performance or non-performance of its obligations under this Agreement.

7. GOVERNING LAW & DISPUTE RESOLUTION:

This Agreement will be governed by and construed in accordance with the laws of India. Any disagreement/ difference of opinion/ dispute between the Parties regarding the interpretation of the provisions of this Agreement or otherwise arising from this Agreement and the activities undertaken under this Agreement shall be resolved by mutual consultation by the Parties. In case the dispute is not resolved mutually, Secretary, Heavy Industries will be empowered to nominate an arbitrator to decide the dispute. The award made by the arbitrator, shall be submitted to the Secretary, Heavy Industries, whose decision will be binding on both parties.

IN WITNESS WHEREOF, the Parties hereto have caused this Agreement to be executed by their duly authorized representatives.

| Ministry of Heavy Industry | ABCD LTD. |
|----------------------------|------------|
| | |
| Signature: | Signature: |
| Name: | Name: |
| Title: | Title: |
| PQR Ltd. | Witness |
| | |
| Signature: | Signature: |
| Name: | Name: |
| Title: | Title: |